वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार का स्वायत्त निकाय

विषय-सामग्री

1.	**प्रस्तावना**	**5–9**
1.1	संस्थान के बारे में	गग
1.2	अधिदेश	गग
1.3	उद्देश्य	गग
1.4	महत्वपूर्ण क्षेत्र	गग
1.5	लक्ष्य समूह	गग
1.6	संगठनात्मक ढांचा	गग
1.6.1	*परिषदें*	*गग*
1.6.2	*समितियां*	*गग*
1.7	सहयोगी भागीदार	गग
1.8	संस्थान भवन	गग
2.	**2011–12 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलापों/ घटनाओं की विशिष्टताएं**	**10.16**
2.1.	बजट आबंटन	गग
2.2	मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण	गग
2.3.	वृद्धावस्था देखभाल	गग
2.4	समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे	गग
2.5	मीडिया प्रभाग	गग
3.	**प्रशासन और वित्त**	**17.20**
3.1	संगठन और प्रबंधन	गग
3.2	प्रभाग की संरचना	गग
3.3	मानव संसाधन प्रबंधन	गग
3.4	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण	गग
3.5	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	गग
3.6	सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन	गग
3.7	निधियां	गग
3.8	लेखा और लेखापरीक्षा	गग
3.9	बकाया लेखों का निपटान	गग
3.10	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का भवन	गग

4. मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण 21–33

4.1 पृष्ठभूमि गग

4.2 लक्ष्य और उद्देश्य गग

4.3 लक्ष्य समूह गग

4.4 कार्यकलाप गग

4.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गग

4.6 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम गग

4.7 नशीली दवा दुरूपयोग अनुश्रवण प्रणाली (डीएएमएस) गग

4.8 आरआरटीसी के माध्यम से आउटरीच/प्रोमोशनल कार्यकलाप गग

4.8.1. वर्ष के दौरान आरआरटीसी द्वारा निष्पादित गतिविधियां गग

4.9 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं गग

5. वृद्धावस्था देखभाल 34–41

5.1 पृष्ठभूमि गग

5.2 लक्ष्य और उद्देश्य गग

5.3 लक्ष्य समूह गग

5.4 कार्यकलाप गग

5.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गग

5.6 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम गग

5.7 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं गग

6. समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे 42–48

6.1 पृष्ठभूमि गग

6.2 लक्ष्य और उद्देश्य गग

6.3 लक्ष्य समूह गग

6.4 कार्यकलाप गग

6.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गग

6.6 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम गग

6.7 अन्य आयोजन/कार्यक्रम गग

7. अनुसंधान और प्रलेखन 49–52

7.1 प्रस्तावना गग

7.2 अनुसंधान गग

7.3 विलेखन गग

7.4 पुस्तकालय गग

8. मीडिया और प्रचार **53**

8.1. पृष्ठभूमि गग

8.2 प्रदर्शनी और आयोजन गग

8.2.1 शिल्पोत्सव गग

8.2.2 जन सूचना अभियान गग

अनुबंध I से XIII

I संगठनात्मक ढांचा 54

II आम परिषद के सदस्य 55–57

III कार्यकारी परिषद के सदस्य 58

IV संस्थान में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के नाम और पदनाम 59

V मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण संबंधी प्रषिक्षण कार्यक्रमों की सूची 60–65

VI मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण प्रभाग के क्षेत्रीय संसाधन प्रषिक्षण केन्द्रों (आरआरटीसी) की सूची 66

VII वृद्धावस्था देखभाल प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सूची 67–70

VIII वयोश्रेष्ठ सम्मान के विजेताओं की सूची 71

IX समाज रक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सूची 72–73

X वृद्धजन देखभाल में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 74

XI वृद्धजन देखभाल में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 75

XII वृद्धजन देखभाल प्रभाग की क्षेत्रीय संसाधन प्रषिक्षण केन्द्रों (आरआरटीसी)/सहायक एजेंसियों की सूची 76–77

XIII भारत में समाज कार्य के प्रमुख विद्यालयों/विभागों/संस्थानों की सूची 78

वार्षिक लेखापरीक्षित खाते

XIV लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित वार्षिक खाते और लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट 79–101

अध्याय–1

परिचय

1.1 संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) को 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन मूल रूप से सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज के नाम से स्थापित किया गया था। इस ब्यूरो को बाद में 1964 में तत्कालीन समाज सुरक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। 1975 से, संस्थान तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य किया। यह भारत सरकार की दिनांक 15 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 10–3/2000–एसडी. खण्ड.II के द्वारा एक स्वायत्त निकाय बना और 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास पंजीकृत है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक नोडल संस्थान है। हालांकि, समाज रक्षा के तहत समाज सुरक्षा कार्यकलापों और कार्यक्रमों के सभी पहलु आते हैं, संस्थान को मुख्यतः मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, अन्य बातों के साथ–साथ आईडीयू और अन्य संबंधित मुद्दों, वृद्धजन देखभाल और भिक्षावृत्ति की रोकथाम सहित समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दों का कार्य सौंपा गया है।

1.2 अधिदेश:

संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के समाज रक्षा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

1.3 उद्देश्य:

संस्थान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. समाज रक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा;

ii समाज रक्षा संबंधी समस्याओं की प्रत्याशा व निदान;

iii समाज रक्षा के क्षेत्र में निवारक, पुनर्वास और उपचारात्मक नीतियाँ बनाना;

iv. समाज रक्षा नीतियों के उद्देश्यों को साकार करने हेतु उपायों की पहचान और उनका विकास करना;

v. समाज रक्षा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना; और,

vi. समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयास का विकास करना और इन्हें बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान निम्नलिखित कार्यकलाप करता है:

i. समाज रक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में अनुसंधान करना;

ii. समाज रक्षा क्षेत्र संबंधी आँकड़ों का संकलन और विश्लेषण करना;

iii. समाज रक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षणध्उन्मुखीकरण का विकास/ प्रोत्साहनध्प्रायोजन और कार्यान्वयन करना;

iv. समाज रक्षा संबंधी समस्याओं पर केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को परामर्श देना और समाज रक्षा के क्षेत्र में मॉडल नियम. विनियम बनाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करना;

v. समाज रक्षा के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना और इस प्रकार, समाज रक्षा के क्षेत्र में सूचना के क्लियरिंग हाऊस का कार्य करना;

vi. समाज रक्षा सम्बंधी समस्याओं, विशेष तौर पर समुदाय की निवारक और पुनर्वासक की भूमिका के बारे में जन.जागरूकता का प्रसार करता है;

vii. भारत सरकार को पाठ्यक्रम–सामग्री, माड्यूल आदि तैयार करने संबंधी मुद्दों पर समाज संबंधी सूचना के आदान–प्रदान में मदद करना आदि;

viii. समाज रक्षा पर सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करनाय

ix. समाज रक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करना; और

x. समाज रक्षा के क्षेत्र में, लोकप्रिय और व्यावसायिक, दोनों प्रकार का प्रकाशन करना।

1.4 महत्वपूर्ण क्षेत्र

संस्थान के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्र निम्नांकित हैं:

i. मादक द्रव्य दुरूपयोग रोकथाम

ii. वृद्धजनों की देखभाल, और

iii. भिक्षावृत्ति निवारण आदि सहित अन्य समाज रक्षा संबंधी मुद्दे।

1.5 लक्ष्य समूहः

संस्थान के लक्ष्य समूह निम्नांकित हैं:

i. केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के पदाधिकारी

ii. समाज रक्षा के क्षेत्रों में सरकारी और गैर–सरकारी, दोनों क्षेत्रों में सेवा प्रदाता/देखभाल प्रदाता।

iii. समाज कार्य विद्यालय और संबंधित शैक्षिक संस्थानों के शिक्षाविद और व्यावसायिक।

1.6 संगठनात्मक संरचनाः

संस्थान का अध्यक्ष निदेशक स्तर का अधिकारी होता है और इसमें निम्नलिखित प्रभाग हैं:

i. प्रशासन और योजना,

ii. मादक द्रव्य दुरूपयोग निवारण

iii. वृद्धावस्था देखभाल

iv. समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे,

v. अनुसंधान और प्रलेखन और

vi. मीडिया और प्रकाशन

उपर्युक्त प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख, मीडिया और प्रकाशन प्रभाग को छोडकर, जिसका प्रमुख तकनीकी अधिकारी (मीडिया) होता है, उपनिदेशक होता है। संस्थान का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध –I पर है।

1.6.1. परिषदें

(i) आम परिषद

आम परिषद, संस्थान का सर्वोच्च नियामक निकाय है जिसके पदेन अध्यक्ष, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं। परिषद के अन्य सदस्यों में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि और समाज रक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ/ व्यावसायिक शामिल है। परिषद, संस्थान के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करती है।

(ii) कार्यकारी परिषद

कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव (समाज रक्षा), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार हैं। अन्य सदस्यों में निदेशक/उप सचिव (आईएफ विंग), निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान और दो गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। परिषद,संस्थान के कार्यकलापों और कार्यक्रमों पर नज़र रखती है और मार्गदर्शन करती है।

1.6.2. समितियां:

(i) वित्त समिति

वित्त समिति, संस्थान के निदेषक की अध्यक्षता में कार्य करती है। समिति वस्तुओं की खरीद और सेवाओं को किराए पर लेने आदि के प्रस्तावों की जांच और सिफारिश करती है।

(ii) शैक्षणिक समिति

निदेशक, शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और संबंधित उप निदेशक शामिल है। यह समिति पाठ्यक्रम, मॉड्यूल कार्यक्रमों आदि संबंधी मामलों में संस्थान का मार्गदर्शन करती है।

(iii) पुस्तकालय समिति

संस्थान के निदेशक, पुस्तकालय समिति के प्रमुख हैं। अन्य सदस्यों में संस्थान के उप निदेशक, अनुसंधाान अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और कनिष्ठ लेखा अधिकारी आते हैं। समिति की जिम्मेदारी संस्थान के पुस्तकालय से संबंधित मामलों की निगरानी करना है।

संस्थान, प्रशिक्षण और अनुसंधान का कार्य करती हैं। राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्थान के सहयोगी भागीदार निम्नानुसार हैं:

1.7 सहयोगी भागीदार

सरकारी क्षेत्र

क्रम संख्या	राष्ट्रीय	राज्यीय	क्षेत्रीय	स्थानीय	अंतर्राष्ट्रीय
1.	संबंधित राज्य और केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग –एम्स पुलिस – मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनबीसीसी) – नेहरू युवा केन्द्र (एनवाईकेएस) – विश्वविद्यालय और समाज कार्य संस्थान	राज्य समाज कल्याण विभाग, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	निमहांस, मदुरै समाज विज्ञान संस्थान, उदयपुर समाज कार्य विद्यालय जयप्रकाष सामाजिक परिवर्तन संस्थान, जैन विश्व विद्यालय समाज कार्य विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय समाज कार्य विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय	पंचायती राज संस्थाएं	यूएनओडीसी और सार्क
स्वंयसेवी क्षेत्र					
2.	एफआईएनजीओडीएपी और भारतीय एल्कोहल नीति एलायंस, (आईएपीए)	शून्य	क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित गैर – सरकारी संगठन	शून्य

भारत में समाज कार्य विद्यालयों/विभागों की क्षेत्र और राज्यवार संख्या क्रमशः अनुबंध– XII और XIII पर है।

193 समाज कार्य विद्यालयों/विभागों में सेए संस्थान ने निम्नलिखित सात संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस)
2. मदुरै समाज कार्य संस्थान, मदुरै
3. उदयपुर समाज कार्य संस्थान, उदयपुर
4. जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान, कोलकाता
5. जैन विश्व विद्यालय, जयपुर
6. समाज कार्य विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विषाखापत्तनम
7. समाज कार्य विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

1.8 द्वारका में संस्थान के भवन का निर्माण:

संस्थानए अपनी स्थापना के बाद से पश्चिम खण्ड 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भवन निर्माण और छात्रावास की सुविधा के लिए संस्थान को सेक्टर 10, द्वारका में 2 एकड़ भूमि आवंटित की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। तदनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने डीडीए के अनुमोदन के लिए निर्माण की अनुमानित लागत के साथ निर्माण योजना प्रस्तुत की है। डीडीए ने दिनांक 31.12.2012 के अपने पत्र सं.32(14)/87/आईएल/1384 के जरिये राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान बिल्डिंग के निर्माण की अवधि में 31 दिसम्बर, 2013 तक बढोत्तरी (ईओटी) प्रदान की है। हालांकिए डीडीए से औपचारिक अनुमोदन पर सक्रिय तौर पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली शहरी कला आयोग और प्रमुख अग्नि–शमन कार्यालय को आवश्यक मंजूरी के लिए एनआईएसडी की बिल्डिंग का आरेख प्रस्तुत किया है।

अध्याय–2

2011–12 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलापों/घटनाओं की मुख्य विशेषताएं

2.1 बजट आबंटन:

संस्थान को इस वर्ष के लिए 5.00 करोड़ रुपए (योजनागत) और 1.25 करोड़ रुपए (गैर–योजनागत) बजट आबंटन किया गया था और यह आबंटन संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में जारी किया गया। वर्ष के दौरान, 251 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें कुल 8208 लाभार्थियों को कवर किया गया। क्षेत्रक–वार प्रदर्शन नीचे दिया गया है: –

2.2. मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण

संस्थानए केंद्र और राज्य सरकारए दोनों के पदाधिकारियों सहित गैर सरकारी संगठनो के कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण/सुग्राहीकरण कार्यक्रम चलाता है। वर्ष के दौरान, 83 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कुल 2075 लाभार्थियों को कवर किया गया। इस प्रयोजन के लिए 1.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। स्वयं संस्थान और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा और इसकी वित्तीय सहायता से सहयोगी एजेंसियों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की सं0	लाभार्थियों की श्रेणी	व्यय
1.	3–माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम				
2.		2	50	आईआरसीए/ उपचार केन्द्र के परियोजना निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार	34 लाख
3.	मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण संबंधी चयनित मुद्दों पर 3 से 5 दिन का विशेषज्ञता पाठ्यक्रम	1	25	विभिन्न क्षेत्रों में मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कार्यरत चयनित सेवा प्रदाता	2 लाख
4.	कार्यनीतिक परामर्श	3	75	संबंधित राज्य/केन्द्रीय विभागों सहित सिविल सोसायटी और सरकारी क्षेत्र, दोनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले हितधारक	6 लाख
	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	25	सार्क क्षेत्र के सदस्य देशों से गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	4 लाख
	कुल	**6**	**150**		**46 लाख**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की सहायता से सहयोगी एजेंसियों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की सं0	लाभार्थियों की श्रेणी	सहायता राशि (लाख रू0 में)
1.	एक माह का पाठ्यक्रम				
2.		9	225	आईआरसीए / उपचार केन्द्रों के समाज सेवक, सलाहकारों, आउटरीच श्रमिकों नर्सों, वार्ड ब्वॉय सहित कार्यकर्ता / सेवा प्रदाता	56.71 लाख
3.	मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण संबंधी चयनित मुद्दों पर 3 से 5 दिन का विशेष पाठ्यक्रम	31	775	– तदैव–	57.81 लाख
	प्रषिक्षण की आवष्यकताओं के आकलन (टीएनए) पर आधारित 2–दिवसीय उन्मुखी पाठ्यक्रम	36	900	विभिन्न युवा और महिला समूह, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), नेहरू युवा संगठन, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, कल्याण, स्वास्थ्य प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, आंगन वाडी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि।	24.78 लाख
	कुल	**76**	**1900**		**139.3**

2.3. वृद्धावस्था देखभाल

(i) संस्थान द्वारा गैर सरकारी संगठनों और सरकारी पदाधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण कार्यक्रम किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की सहायता से 135 कार्यक्रमों के जरिये 4909 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रयोजन के लिए 2.51 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। स्वयं संस्थान द्वारा आयोजित आठ पाठयक्रमों और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की मदद से सहयोगी एजेंसियों द्वारा आयोजित 127 पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की श्रेणी
प्रमाण पत्र कोर्स				
1.	एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उदघोषणा और कैट)	1	12	सामान्य प्रवेष परीक्षा (कैट) के आधार पर न्यूनतम स्नातक छात्र
2.	वृद्धजन की देखभाल में मूलभूत मुद्दों पर छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1	17	10वीं उत्तीर्ण छात्र

क्र. सं.	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की श्रेणी
3.	वृद्धजन की देखभाल में मूलभूत मुद्दों पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1	30	गैर सरकारी संगठन
4.	वृद्धजन देखभाल संस्थानों के न्यूनतम मानक तय करने के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला	1	30	गैर सरकारी संगठन, सहयोगी और आरआरटीसी
5.	वृद्धजन परामर्ष पर पांच दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम	1	30	गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी और वृद्धावस्था गृह का स्टाफ
6.	अंतर पीढ़ी सोच को पाटने के लिए एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम	2	60	विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/ परामर्षदाता/ छात्र कल्याण प्रतिनिधि
7.	स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम	1	30	वरिष्ठ नागरिक फोरम, निवासी कल्याण एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी
	कुल	**8**	**209**	

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की सहायता से सहयोगी एजेंसियों द्वारा वित वर्ष 2011–12 में आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं .	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की सं0	लाभार्थियों की श्रेणी
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम				
	एकीकृत वृद्धजन देखभाल में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6	180	10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी
	केयरटेकर्स/बैड एसिस्टेंट/ग्रामीण महिलाओं/मैनुअल सफाईकर्मी व अन्य के लिए तीन– माह का मूल पाठ्यक्रम	6	180	7वीं उत्तीर्ण छात्र
	वृद्धजन देखभाल के मूल मुद्दों पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	8	240	गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारी
	विषयक क्षमता निर्माण कार्यक्रम			
		11	460	इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारी
	कार्यनीतिक परामर्श	6	260	––
	वरिष्ठ नागरिकों के लिए समुदाय प्रशिक्षण	90	3380	निवासी कल्याण एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी, स्थानीय नेता आदि
	कुल	**127**	**4700**	

(ii) अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा समाज रक्षा संस्थान और हैल्प एज इंडियाए नई दिल्ली के सहयोग से इंडिया गेट लॉनए नई दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2011 को ''इंटर जेनेरेशनल वॉकाथन'' का आयोजन किया गया। वॉकाथन को श्री मुकुल वासनिकए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

संस्थान द्वाराए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से श्री सत्य साईं अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली में वयोश्रेष्ठ सम्मान, 2011 का आयोजन किया। इस अवसर पर, श्री गुलाम नबी आजाद, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिकए सामाजिक न्याय और अधिकारिता और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय मंत्रीए श्री डी. नेपोलियनए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने वृद्धजन की देखभाल में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए छह जाने – माने वरिष्ठ नागरिकों और चार संस्थाओं को वयोश्रेष्ठ, 2011 सम्मान प्रदान किया। सम्मान की श्रेणी में सर्वोत्तम सेवा संस्थान और ज्ञान संस्थान, सर्वोत्तम पंचायत और सृजन कला श्रेणी में खिलाड़ी, शतवर्षीय पुरस्कार तथा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है।

2.4. समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे

समाज रक्षा प्रभागए आमतौर पर बाल संरक्षणए भिक्षावृत्ति निवारण और समाज रक्षा से संबंधित मुद्दों पर सरकारीध्गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण/सुग्राही कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष के दौरानए विभाग ने 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यनीतिक परामर्श के माध्यम से 1224 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इस प्रयोजन के लिए 88 लाख रुपये खर्च हुए। संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम और राज्य विभागों/समाज सेवा संस्थानों/ अन्य संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा 2011–12 में आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की श्रेणी	व्यय (लाख रू0 में)
1	समाज रक्षा पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	2	58	समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता/ समाज सेवक/व्याख्यानदाता/ रीडर	20.00
2	मादक द्रव्य दुरूपयोग ग्रस्त बच्चों पर तीन दिवसीय कार्यक्रम	1	40	सरकारी/ गैर– सरकारी संगठनों के पदाधिकारी	2.00
3	भिक्षावृत्ति पर उप–समूह बैठक	3	46	केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिनिधि/विषेषज्ञ व्यक्ति	3.00
	कुल	**6**	**144**		**25.00**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की सहायता से सहयोगी एजेंसियों द्वारा वर्ष 2011–12 में आयोजित पाठ्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रमों का नाम	पाठ्यक्रमों की सं0	लाभार्थियों की सं0	लाभार्थियों की श्रेणी	सहायता राशि (लाख रू0 में)
1	समाज रक्षा पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम	4	160	संबंधित राज्य सरकार/ गैर सरकारी संगठन/ पंचायत/ संस्थाओं के कार्यकर्ता	8.00
2	समाज रक्षा पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	120	राज्य पुलिस विभागों के मध्य स्तरीय पुलिस पदाधिकारी	6.00
3	समाज रक्षा पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	80	समाज सेवा विभागों के व्याख्यानदाता / रीडर / फील्ड वर्क पर्यवेक्षक और पेषेवर समाज सेवक	4.00
4	मादक द्रव्य दुरूपयोग और एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों की विशेष देखभाल पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम	8	320	सरकारी / गैर सरकारी संगठन के सम्बंधित पदाधिकारी	16.00
5	भिक्षावृत्ति रोकथाम पर तीन दिवसीय कार्यक्रम	1	40	सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी	2.00
6	स्ट्रीट शिक्षकों के लिए काउंसिलिंग कौशल पर पांच दिवसीय क्षेत्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम	9	360	समाज सेवक और गैर सरकारी संगठनों के परामर्शदाता	27.00
		27	**1080**		**63.00**

वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध– IX पर है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, डॉ. आर गिरिराज, उप निदेषक (एसडी) को श्रीमती संगीता गैरोला, आईएएस, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 बनाने के लिए समाज कल्याण पर कार्य समूह के हिस्से के रूप में भिक्षावृत्ति संबंधी उप–समूह का सदस्य चुना गया था। एसडी प्रभाग ने डॉ. जुबेर मीनाई, विभागाध्यक्ष, समाज रक्षा विभाग, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में भिक्षावृत्ति पर विज्ञान भवन में क्रमशः 30.05. 2011, 24.06.2011 और 14.07.2011 को अलग–अलग तारीखों में तीन उप–समूह बैठकों का आयोजन किया। विभिन्न बैठकों में किए गए विचार–विमर्ष और क्षेत्र में किए गए कार्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी जिसमें 914 बिलियन रूपए का कुल बजट था।

अध्याय 3

प्रशासन और वित्त

3.1 संगठन और प्रबंधन

संस्थान कार्यप्रणाली को सुसाध्य बनाने और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण सृजित करने के लिए संगठन और प्रबंधन में बहु–स्तरीय सहायता संरचना है।

आम परिषद (जीसी), संस्थान का सर्वोच्च नियामक निकाय है जिसमें सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके पदेन अध्यक्ष हैं। संस्थान की आम परिषद को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 26.03.2008 के आदेश संख्या 15–41(6)/–07–08–एजी–II के द्वारा दो वर्ष के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसका गठन अनुबंध–II पर दिया गया है। संस्थान के बहिर्नियम के अनुसार, वर्ष में कम से कम एक बार आम परिषद की बैठक होनी चाहिए। इस वर्ष के दौरान, 2 अगस्त, 2011 को आम परिषद की बैठक आयोजित की गई।

जबकि आम परिषद व्यापक और आवश्यक नीतिगत मानदण्ड तय करती है, कार्यकारी परिषद (ईसी) संस्थान की गतिविधियों और कार्यक्रमों का नियंत्रण और मार्गदर्शन करती है। कार्यकारी परिषद के प्रमुख संयुक्त सचिव (समाज रक्षा), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार हैं। संस्थान की कार्यकारी परिषद को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 26.03.2008 के आदेश संख्या 15–41 (6)/. 7–08–एजी–II के द्वारा दो वर्ष के लिए पुनर्गठित किया गया था जिसका गठन अनुबंध–III पर दिया गया है। संस्थान के बर्हिनियम के अनुसारए हर तिमाही में कार्यकारी परिषद की कम से कम एक बैठक होनी चाहिए लेकिन इस वर्ष के दौरान, 20 मई, 2011, 19 जून, 2011, 26 जून, 2011, 26 जुलाई, 2011, 19 अगस्त, 2011, 9 दिसंबर, 2011 और 19 मार्च, 2012 को कार्यकारी परिषद की छह बैठकें आयोजित की गईं।

संस्थान बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियां चलाता है। इन गतिविधियों के कार्यान्वयन में विशेषज्ञों और व्यावसायिक मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, निदेशक की अध्यक्षता में संस्थान में एक शैक्षणिक समिति (एसी) है। समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञ और संस्थान के संबंधित उप निदेशक इसके सदस्य हैं।

संस्थान में निदेशक की अध्यक्षता में वित्त समिति (एफसी) भी है और संस्थान के उप निदेशक/कार्यक्रम प्रभागों के प्रतिनिधि और संस्थान के लेखाकार इसके सदस्य हैं। वित्त समिति, सामान की खरीद और सेवाएं किराए पर लेने के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा और सिफारिश करती है।

पुस्तकालय समिति (एलसी) की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है और प्रभागाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक इसके सदस्य हैं। समितिए आवधिक तौर पर, पुस्त्कालय की गतिविधियों की समीक्षा करती है और समयदृसमय पर पुस्तकों की खरीद के लिए प्राधिकृत करती है।

3.2 प्रभाग की संरचना

संस्थान के उप. निदेशक (प्रशासन एवं नियोजनद्ध प्रभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। प्रभाग का संगठन चार्ट नीचे दिया गया है:

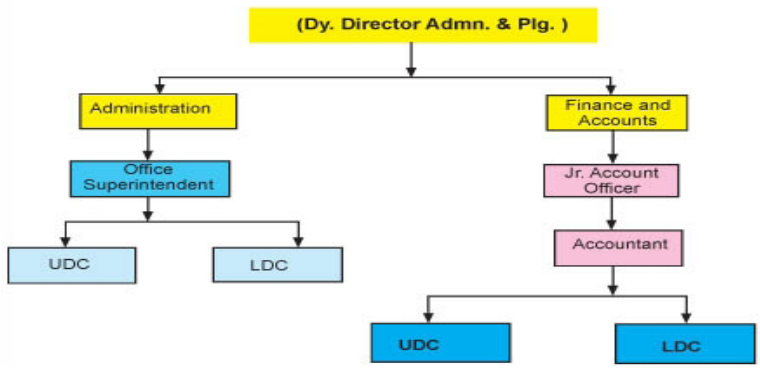

3.3 मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान, कोई भर्ती नहीं हुई है।

3.4 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनिवार्य आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। विभिन्न ग्रेडो में इन श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

संस्थान के समूह 'क' और 'ख' के संबंध में वर्तमान पदधारियो के नाम और पदनाम अनुबंध IV पर हैं।

क्र. सं.	समूह	31.03.2012 को सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों कुल संख्या	अनु.जाति श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या	विकलांग के कर्मचारियों की संख्या	अल्पसंख्यक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या
1.	समूह 'क'	13	1	1	1	–	1
2.	समूह 'क'	21	2				–
3.	समूह 'क'	16	2	1	2	–	1
4.	समूह 'क'	8	5	1	–	–	–
	कूल	**58**	**10**	**3**	**3**	**–**	**2**

3.5 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

संस्थान के कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया है।

1 से 15 सितम्बर, 2011तक "हिन्दी पखवाड़ेष के दौरानए हिन्दी टंकणएनोटिंग और ड्राफ्टिंग, कविता आदि प्रतियोगिताओं सहित बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को नकद पुरस्कार दिए गए। "हिन्दी पखवाड़ाष के अंत में, राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा आवश्यक कार्र्वाई के सम्बंध में चर्चा करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

3.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयने

संस्थान द्वारा अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। संस्थान के उपनिदेशक (एसडी), केंद्रीय जन सूचना अधिकारी हैं और निदेशकए अपीलीय प्राधिकारी हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान, 10 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों का निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया था।

3.7 निधियां

संस्थान को मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान सहायता (जीआईए) के माध्यम से सहायता मिलती है। वर्ष 2011–12 के दौरान, संस्थान को योजना के अंतर्गत 5.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अलावाए पिछले वर्ष के अनुदान से 4.48 करोड़ रुपये की राशि शेष को आगे लाया गया और सहयोगी भागीदारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूर्व में दिए गए अग्रिमों के अव्ययित शेष की वापसी के रूप में 0.21 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस प्रकारए उपयोग के लिए 9.69 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थीए जिसमें से 6.66 करोड़ रूपये खर्च किए गए और इस प्रकारए वर्ष के अंत में 3.03 करोड़ रुपये शेष रहे जिसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे ले जाया जाना है। गैर. योजना के तहत, 1.25 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी। इसके अलावाए पिछले वर्ष के अनुदान से 1 लाख रुपये की राशि शेष को आगे लाया गया और इस प्रकार, 1.26 करोड़ रुपए की राशि उपयोग के लिए उपलब्ध थी। तथापि 1.12 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया जिससे उपयोग में न लाई गई 14 लाख की राषि शेष रह जाती है। वर्ष के दौरान, प्राप्ति और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	शीर्ष	राशि	क्र. स	शीर्ष	राशि
1	**योजना**		1		
	प्राप्तियां			**व्यय**	
	आरम्भिक शेष	4.48		i)वेतन व मजदूरी	0.47
	वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	5.00		ii) यात्रा भत्ते	0.04
	पूर्व अग्रिम में से व्यय न किए शेष की वापसी	0.21		iii) प्रकाशन	0.02
	उप– योग	9.69		iv) कार्यालय व्यय	0.31
				v) कार्यक्रम	5.82
2	**गैर– योजना**			**उप– योग**	**6.66**
	आरम्भिक शेष	0.01	2		
	वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान	1.25		i) स्टाफ का वेतन	1.12
	उप– योग	1.26			
	कुल योग	**10.95**		**उप– योग**	**1.12**
				कुल योग	**7.78**
	अंत में शेष				**3.17**

3.8 लेखा और लेखापरीक्षा

चूंकि एक स्वायत्त निकाय के रूप में रूपांतरण के बाद इस संस्थान के लिए मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्ति का नौवां वर्ष था, लेखा का रख–रखाव, लेखा की एक्रूअल प्रणाली के अनुसार किया गया था जैसाकि संस्थान के उप–कानून में प्रावधान है। संस्थान की वार्षिक खातों की आंतरिक लेखापरीक्षा मैसर्स अरुण सिंह एण्ड कं0 चार्टर्ड एकाउंटेंट्सए लाजपत नगर, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। संस्थान के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तरों की प्रति अनुबंध. XIV पर हैं।

3.9 बकाया लेखा का निपटान

01.04.2002 से 31.03.2004 को आधार के रूप में लेते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार रू0 34 लाख का बकाया अग्रिम निपटान के लिए लंबित था। वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक सहयोगी भागीदारों के लिए जारी 22.85 करोड़ रुपये के अग्रिम में से 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार, 5.04 करोड़ रूपये की राशि का व्यवस्थापन किया जाना बाकी था। नीचे दी गई तालिका में आज की तारीख तक दिए गए अग्रिमों और व्यवस्थापन हेतु लम्बित खातों की स्थिति दर्शाई गई है।

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	जारी अग्रिम की राशि	निपटान के लिए लंबित बकाया अग्रिम
2002–2004	3.65	0.71
2004–05	1.55	023
2005–06	2.20	0.35
2006–07	2.09	0.42
2007–08	2.25	0.64
2008–09	2.36	0.57
2009–10	3.26	0.81
2010–11	1.84	0.65
2011–12	3.65	0.66
कुल	**22.85**	**5.04**

अध्याय 4

मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम

4.1 पृष्ठभूमि

मादक द्रव्यों का दुरुपयोग गंभीर चिंता के विषय के रूप में उभरा है, जिसका देश की शारीरिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। आधुनिक जीवन के दबाव और तनाव से व्यक्ति मादक द्रव्य दुरुपयोग की समस्या की चपेट में अधिक आ गया है। मादक द्रव्यों की लत से न केवल इसमें शामिल व्यक्ति प्रभावित होता है वरन परिवार और समाज भी काफी हद तक प्रभावित होते हैं।

यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन सब्सटेन्स एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001–02 में कराए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 73.2 मिलियन व्यक्ति एल्कोहल और मादक द्रव्यों का उपयोग कर रहे थे जिनमें से 8.7, 2.0 और 62.5 मिलियन क्रमशः कैनबिसए ऑपिएट्स और एल्कोहल का प्रयोग करते थे। इन तीनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं में से क्रमशः लगभग 26 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 17 प्रतिशत को इन पर निर्भर/इनका आदी पाया गया। चूंकि, देश की आबादी को देखते हुएए नमूने का आकार छोटा था (केवल 40,697 पुरुष), सबसे अच्छा है कि इस अनुमान को केवल संकेत के रूप में लिया जाए। सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिला कि अन्य पदार्थ जैसे स्वापक/हिप्नोटिक्सए वाष्पशील पदार्थए हैलूसिनोजिन्सए उत्तेजक पदार्थ और दवाओं का भी दुरुपयोग किया जाता है।

कई अन्य अध्ययनों से भी यह संकेत मिला कि परिवर्तनशील प्रचलन और मादक द्रव्य दुरुपयोग की घटनाओं से महिलाओं और बच्चों के बीच मादक पदार्थों के बढ़ते उपयोग और साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि एवं विशेष रूप सेए आवारा बच्चों में इनहेलरों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स अधिनियम, 1985 की धारा 71 में सरकार को नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों की पहचान, उपचार और उनके लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार दिया गया है। नोडल एजेंसी के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रिवेन्शन ऑफ एल्कोहलिज्म एण्ड सब्सटेन्स (सब्सटेन्सेज) योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान, इस योजना के तहत 221 गैर सरकारी संगठनों को 262 उपचार केन्द्र चलाने के लिए सहायता प्रदान की गई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में नेशनल ड्रग डिपेन्डेंस ट्रिटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी); नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरोलॉजिकल साइंस (निमहांस), बंगलौर; आरआईएमएस, मणिपुर; केईएम अस्पताल, मुंबई स्थापित किया गया है। मंत्रालय द्वारा देश भर में व्याप्त सरकारी अस्पतालों में 122 नशा मुक्ति केंद्रों को सहायता प्रदान की गई।

जबकि विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से बहुत से प्रयास किए जा रहे हैंए मादक द्रव्य दुरुपयोग के बदलते परिदृश्य में प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन में संवर्धन और व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत है। इस प्रकार, मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम संस्थान के मुख्य विषयों में से एक है।

मादक द्रव्य दुरुपयोग के बढ़ते खतरे और देश पर इसके प्रभाव के मद्देनजरए यह निर्णय लिया गया था कि सितंबर, 1998 में नेशनल सेंटर फोर सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन (एनसी–डीएपी) स्थापित कर संस्थान में तत्कालीन ब्यूरो ऑफ सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन को एक व्यापक भूमिका प्रदान की जाए। संस्थान का अधिदेश मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में सरकारी नीतियों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना और मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने के लिए देशभर में सेवाओं की एक व्यापक और बेहतर कवरेज की सुविधा प्रदान करना है।

संस्थान, एनसी–डीएपी के माध्यम से अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम रहा है और मादक द्रव्य दुरुपयोग के मुद्दों से निपटने के लिए कार्यनीतियां तैयार कर ली है और सेवा प्रदान करने में गुणात्मक सुधार लाता है। प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से इसने सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यनीति तैयार की है। प्रभावी हस्तक्षेप मॉड्यूल और कार्यक्रम तैयार करने के लिएए समस्या का और अधिक गहन अध्ययन करने एवं फील्ड से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से मादक द्रव्य दुरुपयोग के विस्तारए प्रवृत्ति एवं पैटर्न पर जानकारी के संग्रह के लिए अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया है।

4.2 लक्ष्य और उद्देश्य

संस्थान का प्रयास निम्नलिखित की उपलब्धि करना है:

i. मादक पदार्थ मांग में कमी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत पदाधिकारियों/ कार्मिकों की योग्यता के स्तर को ऊपर उठाना;

ii. मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम में देखभाल का मानकीकरण;

iii. मादक द्रव्य दुरुपयोग और हस्तक्षेप के संबंध में स्थानीयए क्षेत्रीयए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और पैटर्न की जानकारी अद्यतन करना और डेटाबेस तैयार करनाय और

iv. मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में वकालत और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।

4.3 लक्ष्य समूह

संस्थान, मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित उपचार और पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत पदाधिकारियों/सेवा प्रदाताओं यथा; परियोजना अधिकारियोंए सलाहकारोंए सामाजिक पदाधिकारियों, आउटरीच पदाधिकारियों, समुदाय श्रमिक, नर्स और वार्ड ब्वॉयों/ केयरटेकरों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। केंद्र द्वारा संबंधित सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, युवा मामले, जेलों और सुधारक संस्थानों के प्रतिनिधियों और एचआईवी/एड्स सहित संबंधित क्षेत्रों में गैर–सरकारी संगठनों में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए आवशयकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है।

4.4 कार्यकलाप

मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में मुख्य गतिविधियां हैं:

i. नशे की मांग में कमी के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण;

ii. सूचना अद्यतन करना और उचित डेटाबेस एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना;

iii. संपर्क बनाना, परामर्श को सुसाध्य बनाना, और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक द्रव्य की मांग में कमी के क्षेत्र में नेटवर्किंग व्यवस्था को बढ़ावा देना; और

iv. मादक द्रव्यों और शराब के दुरुपयोग और फैले दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु निवारक शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करना।

4.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

संस्थान द्वारा निम्नलिखित तीन आयामी एप्रोच अपनाकर विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए तैयार बहुत–से कार्यक्रम और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं:

(i) "नशा– मुक्ति परामर्श और पुनर्वास" पर तीन माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– पाठ्यक्रम को उपचार.सह– पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत परियोजना अधिकारियोंए वरिष्ठ सलाहकार और गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो माह का कक्षा में प्रशिक्षण और एक माह चयनित उपचार केन्द्रों में फील्ड प्लेसमेंट शामिल है। पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय–सामग्री आठ अभिगम इकाइयों– लत का आधारए काउंसिलिंग उपचार नयाचार, जागरूकता निर्माण और निवारक शिक्षा, पुनर्वासए स्वास्थ्य ह्रास रोकथाम और परिवर्ती देखभाल सेवा और रिकार्ड कीपिंग और प्रलेखन के रुप में है।

(ii) "मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर एक माह का बुनियादी पाठ्यक्रम उपचार केन्द्रों में कार्यरत सलाहकारोंए सामाजिक कार्यकर्ताओंए आउटरीच कार्मिकों सहित सेवा प्रदाताओं के ज्ञान का आधार निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम में इंटरैक्टिव सैद्धांतिक सत्र और प्रतिष्ठित उपचार केन्द्रों में एक सप्ताह का क्षेत्र प्लेसमेंट शामिल है। पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय–सामग्री हैं– व्यसन की आधारभूत बातेंए प्रेरणा और परामर्शए समुदाय आधारित हस्तक्षेपए आउटरीच और जागरूकता निर्माण।

(iii) विषयक कौशल निर्माण कार्यक्रम– इस श्रेणी के तहत, निम्न दो से पांच दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं:

- **नशे की लत की पहचान, प्रारंभिक प्रेरणा और आरंभिक हस्तक्षेपः** सेवा प्रदाताओं को रोगसूचक व्यवहारए शुरुआत में पहचान और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के बारे में उन्मुखीकरण के लिए ताकि वे शीघ्र हस्तक्षेप के लिए आवश्यक तकनीक से सुसज्जित हो।
- **व्यसन में परामर्श. व्यक्ति, परिवार और समूहः** नशे की मांग में कमी के क्षेत्रों में कार्यरत परामर्शकों को प्रशिक्षित करने के लिए ताकि उनके ज्ञान के आधार का विस्तार हो और वे व्यक्ति, समूह और परिवार को परामर्श देने के अपने कौशल में प्रखरता लाएं।
- **उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए निवारक हस्तक्षेपः** उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे ट्रक ड्राइवरोंए व्यावसायिक यौन कार्यकर्ताओं आदि के साथ कार्यरत सेवा प्रदाताओं को व्यवहारगत परिवर्तन संचार (बीसीसी) से संबंधित मुद्दों पर सुग्राही करना।
- **मादक द्रव्य दुरुपयोग के संबंध में अनुसंधानए तीव्र आकलन और निगरानीः** मादक द्रव्य दुरुपयोग के संबंध में अनुसंधानए तीव्र आकलन और निगरानी की प्रासंगिकताए कार्यक्षेत्र और विषय–सामग्री के बारे में नियोजन हस्तक्षेप कार्यनीति के प्रमाण प्राप्त करना।
- **सह निर्भरता और पारिवारिक मुद्दों का प्रबंधनः** सलाहकारों/सामाजिक कार्यकर्ताओं को व्यसनी के परिवार और सह.आश्रितों सहित अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ प्रभावी ढंग निपटने में सक्षम बनाने के लिए।
- **पुनर्वास और स्वास्थ्य में गिरावट की रोकथाम– मुद्दे और मोडेलिटीः** सेवा प्रदाताओं करे पुनर्वास और स्वास्थ्य में गिरावट की रोकथाम के कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए।
- **मादक द्रव्य दुरुपयोग और एचआईवी/एड्स की रोकथाम और प्रबंधनः** सेवा प्रदाताओं को मादक द्रव्य के उपयोगकर्ताओं को एचआईवी/एड्स की रोकथाम के क्षेत्र में उन्मुखीकरण और उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए।
- **कार्यस्थल पर शराब और मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथामः** संगठनों/ उद्यमों/ उद्योगों के साथ सुग्राही कॉर्पोरेट हाऊसों के श्रम कल्याण अधिकारियों और उपचार एवं पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत परियोजना अधिकारियों/वरिष्ठ सलाहकारों को सुग्राही बनाना।
- **युवा समन्वयकों हेतु लर्निंग पैकः** नशे और शराब सेवन की रोकथाम पर राष्ट्रीय सेवा योजना(एनएसएस), नेहरू युवा केन्द्र (एनवाईके) के युवा समन्वयकों के लिए बनाया गया है।

- **जेलों/सुधारात्मक संस्थाओं में व्यसनी का उपचार और पुनर्वास:** जेलों/सुधारात्मक संस्थाओं में कार्यरत मध्यम स्तर के पदाधिकारियों को नशे और एल्कोहल के दुरुपयोग की रोकथाम के मुद्दों के बारे में सुग्राही और सशक्त बनाना।
- **व्यसन प्रबंधन का प्रलेखन–आकलन, ग्राहक रूपरेखा, रिकॉर्डिंग और प्रलेखन:** कार्यक्रम की गतिविधियों का उचित रिकार्ड और प्रलेखन सुनिश्चित के लिए कार्यक्रम
- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी):** उपचार–सह– पुनर्वास केन्द्रों द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम गतिविधियों के लिए बुनियादी कौशल और समझ विकसित करने के लिए कार्यक्रम ।
- **टीएनए (प्रशिक्षण की जरूरत का आकलन) आधारित उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम:** आरआरटीसी के परिचालन क्षेत्रों में आवश्यकता के आकलन पर आधारित चयनित विषयगत मुद्दों पर पाठ्यक्रम।

(iv) कार्यनीतिक परामर्श

संस्थान संस्तुत कार्रवाई के लिए कार्यनीति तैयार करने के लिए विभिन्न पणधारकों के साथ कार्यनीतिक विचार–विमर्श का आयोजन भी करता है ताकि विभिन्न भागीदारों के साथ चल रहे कार्यक्रमों में तालमेल लाया जा सके।

संस्थान क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र का कार्य करने वाले देश के विभिन्न भागों में स्थित आठ क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों (आरआरटीवीद्ध के साथ वार्षिक परामर्शदात्री बैठक का आयोजित भी करता है। प्रचालन स्तर पर उभरती प्रवृत्तियोंए प्रमाण और प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यनीतिक मुख्य हस्तक्षेपों के लिए एनसी–डीएपी और आरआरटीसी की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए इस परामर्शदात्री बैठक का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

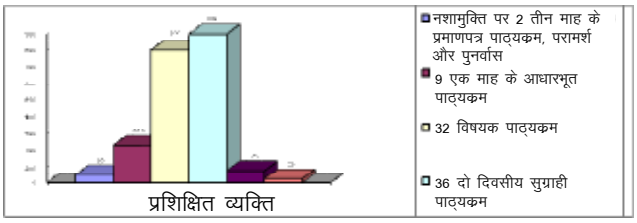

4.6 वर्ष के दौरान किए गए कार्यक्रम:

वर्ष के दौरान 83 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सुग्राहीकरण कार्यक्रम/परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 2075 व्यक्ति कवर किए गए।

वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची अनुबंध–V पर है।

4.7 मादक दवा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली (डीएएमएस):

मादक दवा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली (डीएएमएस) एक ऑनलाइन डेटा बेस है, जिसमें देश में मादक द्रव्य के दुरुपयोग के रुझान को समझने के लिए एक त्रैमासिक आधार पर मादक के प्रकार, उपभोग विधि, नशा.मुक्ति केंद्रों पर इलाज के आकांक्षियों के नैदानिक और सामान्य प्रोफ़ाइल के संबंध में डाटा एकत्रित किया जाता है। यह प्रणाली मौजूदा हस्तक्षेप को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए है और यह नशाखोरी के परिवर्तनशील उपभोग व्यवहार में उपयुक्त निवारक कार्यनीति तैयार करने के लिए उपयोगी होगी।

तथापि, वर्ष के दौरान, प्रतिभागी उपचार केन्द्रों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण उपचार के इच्छुक लोगों में मादक द्रव्य दुरुपयोग के विस्तारए प्रवृत्तियों व पैटर्न संबंधी उचित डाटा को क्रमबद्ध नहीं किया जा सका।

4.8 क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (आरआरटीसी) के माध्यम से आउटरीच/प्रोत्साहक कार्यकलाप

आरआरटीसी के रूप में निर्दिष्ट दस गैर–सरकारी संगठनों को क्षेत्रीय स्तर पर उपचार और परामर्श केन्द्रों के सेवा प्रदाताओं को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की गई थी। यह देश के आकार और क्षेत्रीय विविधताओं की दृष्टि से वांछनीय और व्यावहारिक माना जाता है जिसके लिए विशिष्ट कार्यनीतियों की जरूरत है।

इसके अलावाए आरआरटीसी मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित सेवाएं भी प्रदान करते हैं:

- गैर सरकारी संगठनों की सभी गतिविधियों, सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करने सहित, का प्रलेखन।

- मादक द्रव्य दुरुपयोग कार्यक्रमों का समर्थन, अनुसंधान और निगरानी करना।
- गैर–सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठन और उद्यमों को तकनीकी सहायता।

निम्न तालिका में क्षेत्र.वार आरआरटीसी के साथ ही उनके द्वारा कवर राज्यों सहित उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या दर्शाई गई है।

क्र.सं.	क्षेत्र	आरआरटीसी का नाम	कवर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र / क्षेत्र का नाम	नशा–मुक्ति केन्द्रों की सं0
1.	उत्तरी जोन	सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज (एसपीवाईएम), नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़	87
2.	उत्तरी जोन–II	सामुदायिक विकास हेतु गुंजन संगठन	हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर पंजाब	4
3.	पूर्वी जोन –I	कोलकाता स्मारिटनए कोलकाता	बिहारए झारखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग	15
4ण	पश्चिमी जोन–I	मुक्तांगन मित्र, महाराष्ट्र	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात मध्यप्रदेश (ग्वालियर को छोड़कर), महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव	64
5	पश्चिमी जोन–II	अफीम नशा–मुक्ति उपचार प्रशिक्षण और अनुसंधान न्यास	राजस्थान, गुजरात	20
6.	दक्षिण प्रदेश–II	टीटीके रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी	43
7.	दक्षिण जोन -II	चंगनचेरी सोसल सर्विस सोसायटी	कर्नाटक, केरल	42
8.	पूर्वोत्तर जोन -II	गैलेक्सी क्लबए मणिपुर	असम, मणिपुर	27
9.	उत्तर पष्चिमी जोन -II	कृपा फाउंडेशनए नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड	10
10.	उत्तर दक्षिणी जोन -III	मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (एमएसआरडीबी), मिजोरम	मिजोरम, उत्तरी त्रिपुरा	10
कुल				**347**

4.8.1 आरआरटीसी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलाप:

(i) सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज, आरआरटीसी, उत्तरी जोन–I ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया।

- केन्द्र अपने क्षेत्र के तहत 5 राज्यों को कवर करत है जिनमें 65 नशा मुक्ति केंद्र हैं।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर बुनियादी मुद्दों पर 2 एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्डब्वॉयस के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

और टीएनए; प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन) पर आधारित 2 दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम,

इसके अलावाए सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेज, आरआरटीसी उत्तरी क्षेत्र ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया;

- उपचार केन्द्र में 60 फील्ड दौरे किए।
- 445 लाभार्थियों के लिए 14 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।
- विभन्नि लक्ष्य समूहों के लिए 5 सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 175 प्रतिभागियों को कवर किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में बच्चोंए युवाए और अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए आईईसी सामग्री तैयार की गई।

(ii) **कोलकाता स्मारिटन, आरआरटीसी पूर्वी जोन –II** ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के अपने क्षेत्र के तहत 4 राज्य कवर होते हैं जिनमें 15 नशा मुक्ति केंद्र शामिल हैं।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों पर एक 1 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर तीन 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमए नर्सों और वार्ड ब्वायज के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और टीएनए आधारित दो– 2 दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम ।
- इसके अलावा, कोलकाता स्मारिटनए आरआरटीसी पूर्वी जोन –II ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया:
- अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी उपचार केन्द्रों का दौरा किया। आवश्यकता के आधार पर कुछ केन्द्रों का दो–तीन बार दौरा किया गया। दौरों के दौरान उपचार केन्द्रों का प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए) किया गया।
- 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 232 लाभार्थियों ने शिरकत की।
- एम्स, नाको एनसीबी, यूएन एडस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयए झारखंड सरकारए पॉजिटिव महिला नेटवर्क के साथ नेटवर्क बनाया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग पर विभिन्न आईईसी सामग्री, पुस्तिका, पर्चे तैयार किए।

(iii) **मुक्तांगन मित्र, आरआरटीसी, पश्चिमी जोन–** ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, साथ निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के तहत 7 राज्य हैं जिनमें 64 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर एक 1 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर तीन 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वॉय के लिए 1 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और टीएनए पर आधारित 2 दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम और जेल अधिकारियों के लिए एक 1–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम ।

इसके अलावाए मुक्तांगन मित्र, आरआरटीसी, पश्चिमी जोन– द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया गया:

- प्रशिक्षण की आवश्यकता के आकलन (टीएनए) के लिए विभिन्न उपचार केंद्रों के 43 दौरे किए थे।
- 22 समर्थक (एडवोकेसी), जागरूकता, रोकथामए और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के सहयोग से गैर. सरकारी संगठनों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर एक महाराष्ट्र राज्य पुलिस विभाग के साथ सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सीआरपीएफ के लिए शराब सेवन की रोकथाम और जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया।
- पीअर एजुकेटरों/ आउटरीच कार्यकर्ताओं के लिए क्षति कम करने पर कार्यशालाएं आयोजित की।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए कार्य स्थल पर नशाखोरी की रोकथाम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और कर्मचारियोंए परिवारों और ज्ञात नशाखोरों के लिए सत्रों का आयोजन किया गया।

(iv) टी.टी. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, आरआरटीसी, दक्षिण जोन –I ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, साथ निम्नलिखित

गतिविधियों का आयोजन किया:

वर्ष के दौरान संस्थान की वित्तीय सहायता के साथ निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के तहत 2 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जिनमें 43 नशा मुक्ति केंद्र हैं।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों पर एक– माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्डब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, टीएनए आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

इसके अलावाए टीटी रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, आरआरटीसी, दक्षिण जोन – ने वर्ष के दौरान, साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया:

- 43 उपचार केन्द्रों का दौरा किया।
- 12 ऑनसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इनमें एल्कोहलिक्स एनोनिमस (एए) कार्यक्रम, समूह थेरेपी और उपचार कार्यक्रम संरचना विषयों को कवर किया गया था
- क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 247 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों जैसे कि स्कूल और कॉलेज के शिक्षक और छात्रों, यौनकर्मियों, सलाहकारों, मजदूरों, (16 कार्यक्रमों में 589 प्रतिभागियों) के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों जैसेकि स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए 60 प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- गैर सरकारी संगठन श्अरुणोदयश के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(v) गैलेक्सी क्लब, आरआरटीसी, उत्तर पूर्वी जोन –I- ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, साथ निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के अपने क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं जिनमें 27 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों एक 1– माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर तीन 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और टीएनए पर आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

इसके अलावा, गैलेक्सी क्लब, आरआरटीसी, उत्तर पूर्वी जोन–I ने वर्ष के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया:

- 42 उपचार केन्द्रों के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया। जरूरत के अनुसारए कुछ केन्द्रों का दो बार या तीन बार दौरा किया गया ।
- 10 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- राज्यों में विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए 26 जागरूकता/ समर्थक ;एडवोकेसीद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में बच्चों, युवा, और अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए आईईसी सामग्री के लिए तैयार और वितरित की गई।

(vi) कृपा फाउंडेशन, आरआरटीसी, उत्तर–पूर्वी जोन–II ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, साथ निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के अपने क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं जिनमें 10 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों एक 1– माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमए नर्सों और वार्ड ब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और टीएनए पर आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

इसके अलावा, कृपा फाउंडेशन, आरआरटीसी, उत्तर–पूर्वी जोन–II ने वर्ष के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया:

- केन्द्र के अपने क्षेत्र के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं जिनमें

10 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।

- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों एक 1– माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और टीएनए पर आधारित 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
- उपचार केन्द्रों के 16 दौरे किए गए। जरूरत के अनुसारए कुछ केन्द्रों का दो बार या तीन बार दौरा किया गया। दौरे के दौरान, उपचार केन्द्रों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन (टीएनएद्ध भी किया गया।
- 11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 359 लाभार्थियों ने भाग लिया।

(vii) **मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड, मिजोरम, आरआरटीसी, उत्तर– पूर्वी जोन -III** ने संस्थान की वित्तीय सहायता से, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं जिनमें 10 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम के बुनियादी मुद्दों एक 1– माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, चयनित विषयगत मुद्दों पर दो 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और टीएनए पर आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

इसके अलावाए मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड, मिजोरम, आरआरटीसी,उत्तर– पूर्वी जोन–III ने वर्ष के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया:

- राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी के तहत क्षमता निर्माण हेतु लक्षित हस्तक्षेप का कार्यान्वयन करने वाले उपचार केन्द्रों व गैर–सरकारी संगठनों के 39 क्षेत्र दौरे किए गए। अनुवर्ती दौरे भी किए गए।
- मिजोरम में मादक द्रव्य दुरुपयोग व शराबखोरी की समस्या की समस्या की सीमा के आकलन के लिए सर्वेक्षण आयोजित किया गया।
- अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मादक द्रव्य दुरुपयोग व शराबखोरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
- राज्यों में विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए जागरूकता/वकालत (एडवोकेसी) कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- मिजोरम राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दिवस के विषय का संदेश प्रसारित करने के लिए मिजोरम राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एमएसएसीएस), उत्पाद शुल्क और आइज़ोल थंडर (बुलेट 'बाईकर्स क्लब') के सहयोग से कुलीकांव से बांगकांव तक एक दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। डा. लालजामा, माननीय मंत्रीए उत्पाद शुल्क विभाग, भारत सरकार ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।
- मादक द्रव्य दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों, युवा, और माता पिता को शिक्षित करने के लिए वीडियो फिल्मों का इस्तेमाल किया गया। निवारक उपाय के हिस्से के रूप में आम जनता के बीच पोस्टर, पर्चे और पुस्तिकाएं वितरित किए गए।

(viii) **चंगनचेरी, आरआरटीसी दक्षिण जोन– II** ने संस्थान की वित्तीय सहायता से वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- केन्द्र के अपने क्षेत्र के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं जिनमें 42 नशा मुक्ति केंद्रों को शामिल किया गया।
- चयनित विषयगत मुद्दों पर दो 5– दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमए नर्सों और वार्डब्वायज हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और टीएनए पर आधारित 2–दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
- राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी के तहत क्षमता निर्माण हेतु लक्षित हस्तक्षेप का कार्यान्वयन करनेवाले केन्द्रों व गैर–सरकारी संगठनों के 26 क्षेत्र दौरे किए गए। अनुवर्ती दौरे भी किए गए।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए 7 जागरुकता/एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ix) गुंजन समुदाय विकास संगठन, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, आरआरटीसी उत्तरी– ने II ने वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- इस संगठन के तहत 2 राज्य आते हैं जिनमें इसके तहत क्षेत्र में 4 नषा–मुक्ति केन्द्र हैं।
- चयनित मुद्दों पर दो 5 –दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वायज के लिए एक प्रषिक्षण कार्यक्रम और टीएनए आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम।
- राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी के तहत क्षमता निर्माण के लिए लक्षित हस्तक्षेप का कार्यान्वयन करने वाले उपचार केन्द्रों और गैर सरकारी संगठनों के 6 फील्ड दौरे। अनुवर्ती दौरे भी किए गए।
- राज्यों में विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए 2 जागरूकता/एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xi) अफीम नशा मुक्ति और अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर, राजस्थान, पश्चिम जोन – II ने वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- इस संगठन के तहत 2 राज्य आते हैं जिनमें इसके तहत क्षेत्र में 20 नशा–मुक्ति केन्द्र हैं।
- चयनित मुद्दों पर दो 5 –दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम, नर्सों और वार्ड ब्वायज के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और टीएनए आधारित दो 2–दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम।
- राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी के तहत क्षमता निर्माण के लिए लक्षित हस्तक्षेप का कार्यान्वयन करने वाले उपचार केन्द्रों और गैर सरकारी संगठनों के 12 फील्ड दौरे। अनुवर्ती दौरे भी किए गए।

4.9 अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

"मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मादक द्रव्य के दुरूपयोग के बढ़ते खतरे के प्रति समाज, खासतौर पर युवाओं को संवेदनषील बनाने के लिए 26 जून, 2011 को मावलंकर सभागार, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित कर मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।

श्री कपिल सिब्बल, मानव संसाधन विकास मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और इस अवसर की अध्यक्षता श्री मुकुल वासनिक, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई। इस अवसर पर नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली से आए बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम (मंच प्रदर्षन) का प्रदर्षन किया और श्री मुकुल वासनिक, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संबंधित मुद्दों पर एक पोस्टर जारी किया गया था।

श्री कपिल सिब्बल, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और श्री मुकुल वासनिक, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता 26 जून, 2011 को मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पोस्टर और प्रषिक्षण मैनुअल जारी करते हुए।

26 जून, 2011 को मावलंकर सभागार, नई दिल्ली में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम।

राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरूपयोग रोकथाम सम्मेलनः

मादक पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम पर भारतीय गैर सरकारी संगठनों का परिसंघ (एफआईएनजीओ डीएपी), नई दिल्ली के सहयोग से पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में 28–30 अक्तूबर, 2011 को द्रव्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त नषाखोरी रोकथाम क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें गैर सरकारी संगठनों, यूएन एजेंसियों और सरकारी विभागों से लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। श्री पवन बंसल, माननीय केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और इसकी अध्यक्षता श्री मुकुल वासनिक, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने की।

श्री पवन बंसल, माननीय केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और इसकी अध्यक्षता श्री मुकुल वासनिक, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पंजाब विश्वविद्यालय में गैर सरकारी संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में।

अध्याय 5

वृद्धावस्था देखभाल

5.1 पृष्ठभूमि

दुनियाभर में वृद्धों की आबादी में एक अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय संक्रमण देखने में आया है। 60+ आयुवर्ग की आबादी के अनुपात में बढ़ोत्तरी हो रही है। दीर्घायु में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी की घटना विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से सामने आई है। वृद्धों की आबादी में वृद्धि से न केवल उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने की चुनौती ही मिलती है बल्कि उनके अनुभव और ज्ञान के व्यापक भंडार का उपयोग करने का अवसर भी मिलता है।

2001 की जनगणना के अनुसारए वरिष्ठ नागरिकों (60+द्ध की कुल जनसंख्या 7.7 करोड़ थी, जिसमें से पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 3.8 करोड़ और 3.9 करोड़ थी। वरिष्ठ नागरिक कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंडए हरियाणाए उड़ीसाए महाराष्ट्रए आंध्र प्रदेशए कर्नाटकए गोवाए केरलए तमिलनाडु और पुदुचेरी में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी राष्ट्रीय औसत (7.5 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

जनसंख्या (2001)

	व्यक्ति	पुरूष	महिला
सम्पूर्ण भारत	102.9	53.2	49.7
वरिष्ठ नागरिक (60+)	7.7	3.8	3.9
कुल का %	7.5	7.1	7.8

स्रोतः जनगणना, 2001

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित तकनीकी समूह की भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित मई, 2006 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2026 तक (1 मार्च) 60+ आयुवर्ग की अनुमानित जनसंख्या और देश की कुल अनुमानित जनसंख्या में उनकी अनुमानित प्रतिशत हिस्सेदारी निम्नवत हैः

वर्ष की आयुवर्ग की जनसंख्या लगभग 6.6 प्रतिशत थी। 2026 तक इस आंकडे के 12.4 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है।

वर्षों तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सामान्य सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की सुरक्षा में लगातार वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है। यह सुनिश्चित करना एक

वर्ष	वरिष्ठ नागरिक	
	अनुमानित जनसंख्या (करोड़)	कुल जनसंख्या का :
2006	8.36	7.5
2011	9.84	8.3
2016	11.81	9.3
2021	14.32	10.7
2026	17.32	12.4

जीवन प्रत्याशा में निरंतर वृद्धि का मतलब है कि और अब अधिक लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। जबकि 1996 में कुल जनसंख्या में 60 और अधिक बड़ी चुनौती है कि वे अब अधिक आयु तक जीवित मात्र न रहे, अपितु एक सुरक्षित, गरिमामयी और उत्पादक जीवनयापन करे।

परंपरागत देखभाल प्रणाली को सुदृढ करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना संस्थान का मुख्य दायित्व है, जो आधुनिक दुनिया की अनिवार्यता के कारण दबाव में अंतर्गत आ गया है। सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए अपने कर्मियों को वृद्धाश्रम और दिवा देखभाल केन्द्रों में प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण संस्थाओं की चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। संस्थान सक्रिय, सृजक और सम्मानजनक वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए बुजुर्ग आबादी के लिए अपेक्षित सेवाओं के लिए बहु–आयामी ढांचा विकसित करने के कार्य में भी लगा है। समाज निर्माण में षामिल सभी आयुवर्गों के लिए विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑल्डर पर्सस (एनपीओपी), 1999 के अनुसरण में संस्थान द्वारा नेशनल इनिश्येटिव ऑन केयर फोर एल्डर्ली (नाइस) की शुरूआत की गई।

भारत सरकार बुजुर्गों की बेहतरी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है और सक्रिय और उत्पादक जीवन जीवनयापन हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए नीति–निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में बुनियादी नीतिगत मार्गदर्शन, इसके कार्यान्वयन की रुपरेखा प्रदान करता है और हितधारकों यथाः संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारोंए गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटियों, आदि के बीच समन्वय भी करता हैं। साथ ही, मंत्रालय द्वारा वृध्द व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपीद्ध का कार्यान्वयन भी किया जाता है जिसके तहत वृद्धाश्रम, दैनिक देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों आदि के संचालन और रख–रखाव के लिए पात्र स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 के दौरान, मंत्रालय ने इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 400 गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की।

5.2 लक्ष्य और उद्देश्य

एनआईसीई के माध्यम से, समाज रक्षा संस्थान, परिवार और समुदाय व्यवस्था में हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था केयर गिवर का एक समर्पित कॉडर (जेरियाट्रिक एनीमेटर्सद्ध तैयार कर रहा है और कुशल जनशक्ति का सृजन कर रहा है। युवा पीढ़ी और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के साथ जुडे अन्य व्यक्तियों को वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और कल्याण के लिए पेशेवरों का कैडर तैयार करनाय
- वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित ज्ञान प्रदान करना;
- वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त कौशल विकसित करना; और
- छात्रों को कार्यक्रम के विकास और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुजुर्गों की देखभाल की तकनीक/प्रबंधन हस्तक्षेप के बारे में उन्मुख करना।

5.3 लक्ष्य समूह

लक्ष्य समूहों में वरिष्ठ नागरिक और गैर.सरकारी संगठन के पदधिकारीध सरकारए वृद्धावस्था आदि के क्षेत्र में कार्यरत नीति निर्माता शामिल हैंरू

5.4 गतिविधियां

वृद्धावस्था के क्षेत्र में की गई मुख्य गतिविधियां हैं:

- जराचिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की परामर्शी बैठकए
- वृद्धावस्था देखभाल में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणए
- वृद्धावस्था देखभाल में प्रशिक्षण और शैक्षिक पाठ्यक्रमए
- समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमए
- युवाओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमए
- स्कूल के शिक्षकों/छात्रों के लिए संवेदनशील कार्यक्रमोंए औरए
- बुजुर्गों की जरूरतों का आकलन करने और उन्हें पूरा करने के लिए समुदाय आउटरीच कार्यक्रम।

5.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

कुशल वृद्धावस्था केयरगिवर की महसूस की गई जरूरत को पूरा करने और संस्थागत और होम सेटिंग्स

में बुजुर्गों को देखभाल प्रदान करने के लिएए संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम नियमित आधार पर चलाता है:

(i) एकीकृत वृद्धावस्था देखभाल में एक–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधकीय स्तर पर वृद्ध ावस्था देखभाल के लिए गुणवत्तापरक कर्मियों की टीम तैयार करना है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक सत्र, व्यावहारिक सत्र, इंटर्नशिप और परियोजना कार्य शामिल है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम के अन्य आवश्यक हिस्सों में सेमिनार प्रस्तुतिकरण और फील्ड वर्क के आधार पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करना है। पाठ्यक्रम का विवरण अर्थात् उम्मीदवारों की पात्रता/योग्यता, पाठ्यक्रम संरचना, प्रवेश प्रक्रिया आदि अनुबंध–X पर है। छात्रों से कोई पाठयक्रम प्रभार नहीं लिया जाता है।

संस्थान उत्तीर्ण छात्रों के प्लेसमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता। पाठयक्रम वर्तमान में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा नई दिल्ली में ही संचालित किया जाता है। वर्ष के दौरान, 12 छात्रों ने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया।

(ii) वृद्धावस्था देखभाल में छ्माही प्रमाणपत्र पाठयक्रम:

पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधकीय स्तर पर गुणवत्तापरक वृद्धावस्था एनीमेटर/ केयर गिवर की एक कुशल कर्मियों टीम तैयार करना है। पाठ्यक्रम का विवरण अर्थात् उम्मीदवारों की पात्रता/योग्यता, पाठ्यक्रम संरचना, प्रवेश प्रक्रिया, आदि अनुबंध–XI पर है। पाठ्यक्रम मॉड्यूल में सिद्धांत, व्यावहारिक सत्र और परियोजना कार्य है। पाठयक्रम वर्तमान में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा नई दिल्ली और निम्नलिखित 6 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है:

1. कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट ऑफ जिरोंटॉलॉजी, कोलकाता
1. सेंटर फोर एक्शन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, भुवनेश्वर
3. अभय मिशन, त्रिपुरा
4. पीएसजीआर कृष्णामल कॉलेज, कोयंबटूर
5. नाइटिंगेल मेडिकल ट्रस्ट, बंगलौर, और
6. अल्जाइमर रिलेटेड डिसोर्डर सोसायटी ऑफ इंडिया, कोचीन।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के दौरान, प्रत्येक केंद्र 30 छात्रों का चयन करता है। छात्रों से कोई शुल्क प्राभारित नहीं किया जाता। इस साल के दौरान, इन पाठ्यक्रमों से 197 छात्र उत्तीर्ण हुए।

(iii) गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धावस्था देखभाल के आधारभूत मुद्दों पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम:

पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल के बारे में व्यापक ज्ञान का सृजन, वृद्धाश्रम में गुणवत्तापरक सेवा– प्राप्ति को सुसाध्य बनाना, वृद्धों को परामर्श में कौशल और विशेषज्ञता में बढोत्तरी करना, कुशल गृह प्रबंधन के लिए उपकरण प्रदान करना आदि है।

वृद्धावस्था देखभाल के आधारभूत मुद्दों पर एक माह के प्रमाणपत्र पाठयक्रम के प्रशिक्षार्थी

iv वृद्धों के लिए कंप्यूटर में बीस दिवसीय सामुदायिक प्रशिक्षणः

पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को कंप्यूटर अर्थात् कंप्यूटर संचालन विशेषताओं, इंटरनेट के उपयोग, ई दृ मेल भेजने, टिकट बुकिंग, प्रासंगिक जानकारी डाउनलोड करने आदि की सुविधाओं का बुनियादी और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है।

(v) अल्प कालीन पाठ्यक्रम– विषयक दक्षता निर्माण कार्यक्रम/संवेदीकरण कार्यक्रमः

बुजुर्ग और सेवाप्रदाता एजेंसियों के पदाधिकारियों के कौशल में बढ़ोत्तरी के लिएए संस्थान कई कौशल आधारित विषयगत कार्यक्रम चलाता है, जो निम्नानुसार हैं:

(क) मनोभ्रंश प्रबंधन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रमः इसका उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच मनोभ्रंश के ज्ञान में वृद्धि करना और उन्हें मनोभ्रंश जल्दी पता लगाने और पागलपन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उन्मुख करना और मनोभ्रंश की देखभाल के प्रबंधन में अपने कौशल में उन्नयन के साथ–साथ उन्हें उचित उपायों से लैस करना है।

(ख) **बुजुर्गों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/माइक्रो– क्रेडिट की प्रोन्नति पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः** इसके उद्देश्य लघु ऋण और सूक्ष्म वित्त के विभिन्न पहलुओं पर स्वयं सहायता समूहों की क्षमता निर्माणए पारिवारिक व्यवस्था में बुजुर्ग महिलाओं के सशक्तिकरणए महिलाओं की भूमिका को समझनेए सक्रिय और उत्पादक वृद्ध ावस्था के प्रोत्साहन हेतु उन्हें विपणन नेटवर्क के लिए तैयार करना है।

(ग) वृद्धों की बुनियादी देखभाल/वृद्धों से संबंधित मुद्देः इसका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं का वृद्धों की बुनियादी देखभाल/वृद्धों सें संबंधित मुद्दों के बारे में उन्मुखीकरण करनाय उन्हें परित्यक्त बुजुर्गों से निपटने ध्उनकी देखभाल करने संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करनाय वृद्ध व्यक्तियों की विशेष मनोवैज्ञानिक दैहिक जरूरतों को समझना और इस समझ को उनकी देखभाल में इस्तेमाल करना है। लक्ष्य समूह में गैर–सरकारी संगठनों के पदाधिकारी और केयरगिवर शामिल हैं।

(घ) **वृद्धावस्था परामर्श में प्रमुख कार्यकर्ताओं के क्षमता**

नर्सिंग पर व्यावहारिक निदर्षन के दौरान वृद्धावस्था संबंधी मूल मुद्दों पर पांच दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

निर्माण पर प्रशिक्षण पांच दिवसीय कार्यक्रमः इसका उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न गैर.सरकारी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों को वृद्धों के परामर्श में बुनियादी कौशल में वृद्धि करना; वृद्धों की देखभाल करते समय विशेष हस्तक्षेप कार्यनीतियों के व्यावहारिक सम्पर्क के लिए वृद्धों की देखभाल हेतु परामर्श में विभिन्न एप्रोच वाले प्रतिभागियों को

वृद्धावस्था सम्बंधी विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने में सक्षम बनाना है।

(ड़) **अंतर्राष्ट्रीय अंतराल को समाप्त करने के लिए स्कूल के शिक्षकों/सलाहकारों, अभिभावकों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम संवेदीकरण कार्यक्रमः** इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षक और सलाहकारों को पीढ़ी के अंतराल को पाटने की विभिन्न तकनीकों पर कार्य की अवधारणा को समझने और पीढ़ी के अंतराल को समाप्त करने के उपाय खोजना, स्कूल के शिक्षकों को बच्चों/युवा पीढ़ी को उचित मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए संवेदी बनानाय सलाहकारों को वृद्धों के साथ–साथ युवा वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टकराव का मुकाबला करने के लिए विभिन्न परामर्श तकनीकों से अवगत कराना और अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

(च) **वृद्धों के सशक्तिकरण पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रमः** संस्थान ने सहयोगी एजेंसियों के सहयोग से वृद्धजनों के सशक्तिकरण विषय पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सक्रियए उत्पादक और स्वस्थ वृद्ध के बारे में संवेदनशील करनाय उन्हें नए अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 से अवगत कराना है।

(vi) कार्यनीतिक परामर्शः

संस्थान इस क्षेत्र में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने से सम्बंधित विभिन्न उभरते मुद्दों पर विशेषज्ञोंए गैर–सरकारी संगठनोंए वरिष्ठ अधिकारियों और दूसरों के विचार प्राप्त करने के लिए रणनीतिक सलाहकार बैठ्कें/कार्यशालाएं आयोजित करता है।

वृद्धावस्था प्रभाग की सहायक एजेंसियों की सूची अनुबंध– XII पर है।

5.6 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम:

संस्थान के 135 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमध्संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनके तहत 4909 व्यक्तियों को कवर किया गया। नीचे आयोजित कार्यक्रमों के साथ–साथ इनके तहत कवर पदाधिकारियों/व्यक्तियों की संख्या दी गई है:

क्र. सं.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या
1	दीर्घकालीन पाठ्यक्रम	23	659
2	अल्पकालीन कार्यक्रम	12	490
3	कार्यनीतिक परामर्श/विशेषज्ञों की बैठकें	100	3760
	कुल	**135**	**4909**

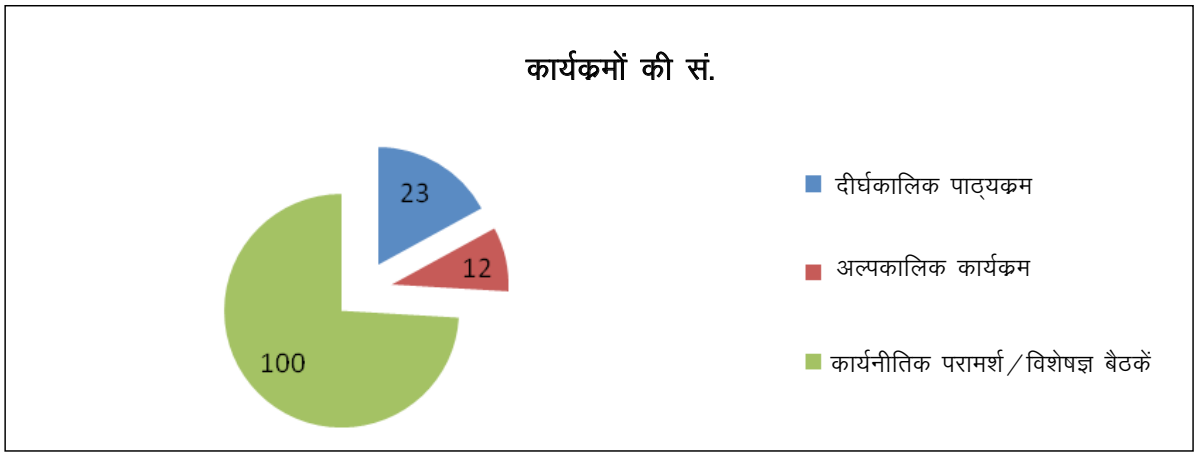

2011–12 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों की एक विस्तृत सूची अनुबंध–VII पर है।

5.7 अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) समारोह

संस्थान ने 1 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में श्री सत्य साई सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक और श्री डी. नेपोलियन ने दो वरिष्ठ नागरिकों और दो संस्थानों को वयोवृद्धावस्था की ओर उनके योगदान के लिए वयोश्रेष्ठ सम्मान 2011 प्रदान किया गया। (अनुबंध–VIII)

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधार कर सर्वांगीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 30 सितंबर, 2011 को अनुग्रह, दिल्ली के सहयोग से ''क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिनियर सिटिजन्स'' विषय पर एक दिवसीय मल्टी– ईवेंट एक्टिविटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रमए में वृद्धावस्था और उपलब्ध सुविधाओं संबंधी समस्याओं पर प्रदर्शनी आधारित विषय, मषहूर वरिष्ठ कलाकारों द्वारा प्रदर्शित सक्रिय, वैभवपूर्ण एवं स्वस्थ वृद्धावस्था को रेखांकित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।

(iii) राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी): माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में 2 नवंबर, 2011 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद (एनसीओपी) की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देष्य देषभर में वृद्धजनों की स्थिति और संबंधित राज्यों द्वारा उनके कल्याण के लिए किए गए कार्य का आकलन करना था।

अध्याय 6

समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे

6.1 पृष्ठभूमि:

जैसाकि आम भाषा में समझा जाता है, समाज रक्षा का संबंध हाशिये पर आबादी के ऐसे वर्ग से है जिसे व्यवस्थित संगठित और सुसंगत प्रयासों के माध्यम से सरकार और सिविल सोसायटी, दोनों से सुरक्षा के अतिरिक्तए देखभाल और सहायता की आवश्यकता है। समाज रक्षा के मुद्दे जैसे मादक द्रव्य दुरुपयोग, वृद्धावस्था, बाल शोषण, भिक्षावृत्ति, एचआईवी/एड्स, देह–व्यापार, परिवीक्षा सेवाएं, जेल आदि कुछ उभरते मुद्दे माना गया है। इसलिए, समाज के ऐसे तबको की बेहतरी के लिए, जो प्रभावित है, तत्काल और उपयुक्त हस्तक्षेप आवश्यक है।

भारत में भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या है जिससे प्राथमिकता आधार पर निपटा जाना चाहिए। यद्यपिए ऐसे व्यक्ति, जो समाज के लिए संभावित खतरा और परेशानी का सबब है, की आवारगी और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध नियंत्रक कानून हैं। तथापि, यह एक सामाजिक समस्या अधिक है और इसका तदनुसार, समाधान किया जाना चाहिए। इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों और भागीदार गैर.सरकारी संगठनों के लिए भिक्षावृत्ति रोकथाम पर प्रशिक्षण/सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का असर दूरगामी होगा।

संस्थान, बच्चों की सुरक्षा, जैसे मादक द्रव्यों के सेवन, एचआईवी/ एड्स से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और स्ट्रीट शिक्षकों के लिए परामर्श कौशल से संबंधित मुद्दों का संचालन करता है। समाज रक्षा के मुद्दों पर राज्य सरकार ध्ौर सरकारी संगठनों/पंचायत/ पुलिस और समाज सेवा के पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए एक माह का व्यापक कार्यक्रम और 3 दिन अल्पावधि राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

6.2 लक्ष्य और उद्देश्य

संस्थान का उद्देश्य पणधारकों/सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भिक्षावृत्ति रोकथाम और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत राज्य समाज कल्याण विभागों और संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना है:

- सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाए बच्चों व भिखारियों की शिक्षा और न्याय तक बेहतर पहुंच।
- भिक्षावृत्ति और बाल सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष सेवाएं विकसित करना।

6.3 लक्ष्य समूह

लक्ष्य समूहों में संबंधित राज्य समाज कल्याण विभागों के अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के पदाधिकारी, राज्य पुलिस विभागों के मध्यम स्तरए समाज सेवा संस्थाओं के व्याख्याता, रीडर और फील्ड कार्य–पर्यवेक्षक, संबंधित गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी, समाज सेवक, पंचायती राज संस्थाए और रिसर्च स्कॉलर्स हैं।

6.4 गतिविधियां

संस्थान की गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- भिक्षावृत्ति की रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण;
- अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के क्षेत्रों में सरकार/ पंचायतों/गैर.सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाना;
- समाज रक्षा के अन्य मुद्दों के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रलेखन; और
- इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों और सलाहकार बैठकों का आयोजन करना।

6.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

6.5.1 दीर्घकालीन कार्यक्रम:

- सरकार के समाज रक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठन और पंचायती के पदाधिकारियों को सुसज्जित करने/हितधारकों/सेवाप्रदाताओं के उन्मुखीकरण के उद्देश्य से लिए समाज रक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक एक माह का प्रमाणपत्र कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। समाज रक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मॉड्यूल में मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम, वृद्धजन देखभाल, बाल संरक्षण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, अवैध व्यापार, परिवीक्षा आदि शामिल हैं।

श्री अनूप श्रीवास्तव, आईएएस, अपर सचिव, 28 मार्च –26 अप्रैल, 2012 तक एनआईएसडी में आयोजित समाज रक्षा में एक माह के प्रमाणपत्र के प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित करते हुए।

28 मार्च –26 अप्रैल, 2012 तक समाज रक्षा में एक माह के प्रमाणपत्र के प्रतिभागियों का समूह फोटो।

श्री लालसंगलूर, निदेषक, एनआईएसडी वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान एनआईएसडी में 16 नवंबर–15 दिसंबर, 2011 तक आयोजित समाज रक्षा में एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए।

6.5.2 विषयक कौशल निर्माण कार्यक्रम:

प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अल्पकालिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है:

समाज सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दे

- **समाज रक्षा के मुद्दों पर सरकारी/गैर सरकारी संगठन/पंचायत के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** का उद्देश्य समाज रक्षा की अवधारणाओं, विधान, कार्यक्रम, योजनाओं और समाज रक्षा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सरकार/ गैर सरकारी संगठनोंध पंचायती राज संस्थाओ में कार्यरत विभिन्न कर्मियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान, समझ विकसित करने के लिए प्रतिभागियों का सुग्राहीकरण और उन्मुखीकरण करना है।
- **समाज रक्षा मुद्दे पर पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** का उद्देश्य प्रतिभागियों का समाज रक्षा के मुद्दों पर सुग्राहीकरण और उन्मुखीकरण करना और अधिकारियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों और कार्यक्रमों और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में समझ प्रदान करना है।
- **समाज सेवा व्यावसायिकों के लिए समाज रक्षा मुद्दों पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम** का उद्देश्य समाज रक्षा मुद्दों पर व्याख्याताओं, रीडरों, समाज सेवा संस्थानों के पर्यवेक्षकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें सुग्राही बनाना है।

बाल सुरक्षा

- संबंधित सरकार/ गैर सरकारी संगठन पदाधिकारियो के लिए मादक द्रव्य दुरुपयोग से प्रभावित बच्चों की विशिष्ट देखभाल पर तीन दिवसीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को मादक द्रव्य दुरुपयोग से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष सेवाओं के बारे में संवेदनषील बनाना और उन्हें इन बच्चों के पुनर्वास के लिए आवश्यक विशेष कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है।
- एचआईवी/एड्स से प्रभावित और संक्रमित बच्चों की विशेष देखभाल पर संबंधित सरकारी/ गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों कोएचआईवी/एड्स से प्रभावित और संक्रमित बच्चों के पुनर्वास के लिए आवश्यक विशेष सेवाओं के संबंध में सुग्राही बनाना और प्रशिक्षित करना है।
- बच्चों के लिए कार्यरत स्ट्रीट शिक्षकों के लिए परामर्श कौशल पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमरू इसे प्रभावी बाल सेवाओ के लिए सलाहकारों की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बनाया गया हैं। यह कार्यक्रम अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने हेतु स्ट्रीट शिक्षकों को बुनियादी संचार और

परामर्श कौशल प्रदान करने पर फोकस करता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में बाल शोषण, बच्चों में मादक द्रव्य के दुरुपयोग और एचआईवी/एड्स आदि जैसे कुछ विशेष मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है।

भिक्षावृत्ति की रोकथाम

सरकारी/ गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों के लिए भिक्षावृत्ति निवारण पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य भिक्षावृत्ति निवारण पर प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण और प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण के माड्यूल में संसाधनों के अभिसरण, उद्यमी, बहु.कौशल प्रषिक्षण और माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से अवधारणा, परिमाण, कार्यक्रम आदि शामिल है।

6.5.3 कार्यनीतिक परामर्श

- समाज रक्षा के मुद्दोंए कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन और समाज रक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप रणनीतियों की उपयुक्तता का विश्लेषण करने की वर्तमान स्थिति का पता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

6.5.4 भिक्षावृत्ति पर उप–समूह बैठक

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, समाज रक्षा प्रभाग ने ग्प् वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए समाज कल्याण संबंधी कार्य समूह के भाग के रूप में भिक्षावृत्ति संबंधी उपसमूह की कई बैठकें आयोजित की।

इस प्रभाग ने ग्प् वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए श्रीमती गैरोला, आईएएस, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में समाज कल्याण संबंधी कार्यसमूह के भाग के रूप में विज्ञान भवन, समिति कक्ष 'ग' में 30.05.2011 को भिक्षावृत्ति पर प्रथम उप समूह बैठक के आयोजन का कार्य किया।

श्री अभिलक्ष्य लिखी, आईएएस, संयुक्त सचिव (एसडी), श्री जुबैर मीनाई, अध्यक्ष, भिक्षावृत्ति उप समूह और डॉ. आर. गिरिराज, उप निदेशक (एसडी), और सदस्य सचिव 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) तैयार करने के लिए एनआईएसडी में 24.06.2011 को आयोजित भिक्षावृत्ति पर द्वितीय उप समूह में भाग लेते हुए।

भिक्षावृत्ति पर तृतीय उप–समूह बैठक 14.07.2011 को समिति कक्ष 'ग' विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। डॉ. आर. गिरिराज, उप निदेषक (एसडी), और सदस्य सचिव, भिक्षावृत्ति उपसमूह ने इसमें प्रस्तुति दी। डॉ. (प्रोफेसर) स्नेह लता टंडन, पूर्व अध्यक्ष, समाज विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉ. (कैप्टन) डी. वी. पी. राजा, अध्यक्ष, मदुरै समाज विज्ञान संस्थान भी उपस्थित थे।

भिक्षावृत्ति पर प्रथम उप समूह ने भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए द्विषाखी कार्यनीति अर्थात प्रत्यक्ष और अभिसरण एप्रोच की सिफारिष की। इसकी मुख्य सिफारिष केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसे भिखारियों की सुरक्षा और पुनर्वास एकीकृत कार्यक्रम कहा जाता है, भिखारियों के पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय मॉडल विधान बनाना था। समिति ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार के पहले से मौजूदा कार्यक्रमों की सेवाओं /प्रावधानों के उपयोग की सिफारिष भी की।

वर्ष 2011–12 के दौरान, समाज रक्षा प्रभाग ने 33 प्रशिक्षण एवं सुग्राहीकरण कार्यक्रमों (राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर) के माध्यम से अन्य 1224 लाभार्थियों को कवर किया। इन कार्यक्रमों में विशेष मुद्दों जैसे परामर्श कौशल, भिक्षावृत्ति निवारण, मादक द्रव्य दुरुपयोग से प्रभावित बच्चे, व्यापक समाज रक्षा कार्यक्रम आदि को कवर किया गया।

अध्याय 7

अनुसंधान और प्रलेखन

7.1 परिचय

अनुसंधान और प्रलेखन किसी भी कार्यक्रम का मुख्य आधार है जिसके लिए प्रमाण आधारित नीति हस्तक्षेप की जरुरत होती है और यह वैज्ञानिक विधि और उपकरणों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र से एकत्रित ज्ञात सामाजिक समस्याओं या मुद्दों संबंधी डाटा और सूचना प्रदान करते हैं। अनुसंधान के निष्कर्षो से एकत्रित डाटा और सूचना नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का कार्य करते हैं। इस तरह के निष्कर्षों को नीति निर्माताओं, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के साथ–साथ अनुवर्ती अनुसंधान कार्य के लिए शोधकर्ताओं के सुलभ प्रयोग के लिए सुसाध्य प्रारुप में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथामए वृद्धावस्था देखभाल और भिक्षावृत्ति निवारण, बाल संरक्षण आदि सहित समाज रक्षा के अन्य मुद्दों के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए समाज रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/संगठन के साथ सहकार्य कर रहा है।

7.2 अनुसंधान और प्रलेखनः

(i) अनुसंधान

संस्थान की अनुसंधान विंग के सुदृढ़ीकरण और समाज रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानोन्मुख कार्रवाई के निष्पादन के लिए समिति ने मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथामएओल्ड एज केयर और भिक्षावृत्ति की रोकथाम के संबंध में एक्शन अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है। इस संबंध में, संस्थान ने कुछ राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं जैसे एनआईसीएफएस, आईसीएसएसआर आदि के आधार पर, स्वायत्त निकाय के रुप में एनआईएसडी की अपेक्षाओं के अनुरुप अनुसंधान दिशा–निर्देश तैयार किए हैं। संस्थान के अनुसंधान और प्रलेखन संबंधी मामलों पर एक अनुसंधान परामर्शदात्री समिति स्थापित की गई है जिसमें निदेशक, एनआईएसडी इसके अध्यक्ष हैं और संथान के संबंधित कार्यक्रम प्रभाग के उपनिदेशकों के साथ–साथ संस्थान के उल्लिखित 3 मूल क्षेत्रों के प्रतिनिधि विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं।

क्र. सं.	अनुसंधान प्रस्ताव का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	अध्ययन की अवधि	स्वीकृत राशि
1	अंतः षिरा मादक पदार्थों के दुरूप्योग के वयसनी के लिए उत्तरदायी कारक– महाराष्ट्र में युवा वयसनियों/उपयोगकर्ताओं का अध्ययन	आईयूएम प्रबंधन और समाजिक अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड, एम–57 बी, तृतीय तल, मालवीय नगर, नई दिल्ली	8 माह	4,99,500/–
2	तमिलनाडु में भिखारियों के जीवन के यथार्थ का अध्ययन	डॉ. पी. एन. नारायण, प्रधानाचार्य, मदुरै समाज विज्ञान संस्थान, नं. 9, अलगर कॉयल रोड, मदुरै 625002 (तमिलनाडु)	9 माह और 15 दिन	5,00,000/–
3	वृद्धाश्रमों मे वृद्धजनों का स्वास्यि– एक अन्वेषक अध्ययन	लेडी इर्विन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिकंदरा रोड़, नई दिल्ली–1, डॉ. सुषमा गोयल, परियोजना निदेशक	2 वर्ष	5,00,000/–
4	केरल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन	लेयोला एक्सटेंषन सर्विसेज (एलईएस), लोयोला समाज विज्ञान कॉलेज, श्री कैरियम, तिरूअनंतपुरम, केरल–695017	12 माह	4,94,300/–

संस्थान अनुसंधान की पृष्ठभूमि और अनुभव प्राप्त विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और संस्थानों, केन्द्र–राज्य विभागों और गैर–सरकारी संगठनों को समाज रक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न अध्ययनों का आयोजन कराने के लिए वित्तपोषण प्रदान कर इनसे अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रथम परामर्शदात्री समिति की 19 अगस्त, 2011 को आयोजित बैठक में संस्थान ने 9 दिसंबर, 2011 को संस्थान की कार्यकारी परिषद के सम्मुख अनुसंधान परामर्शदात्री समिति की सिफारिश प्रस्तुत की जिसने निम्न विषयों पर पांच अनुसंधान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है:–

(ii) मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम

संस्थान द्वारा आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित डेटाबेस तैयार किया गया है:

- गैर.सरकारी संगठनों और सेवा प्रदाताओं का विवरण,
- देश में मादक पदार्थों की मांग में कमी और एचआईवी/एड्स की रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत संसाधन व्यक्तियों/ प्रशिक्षकों का विवरण और
- एनसी–डीएपी, आरआरटीसी और अन्य सहयोगी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित पदाधिकारियों/सेवा प्रदाताओं के विवरण।

वर्ष के दौरान इन्हें अद्यतन किया गया था।

(iii) वृद्धावस्था देखभाल

रिपोर्ट की अवधि के दौरान उत्तर, उत्तर–पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में आयोजित छमाही प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के छात्रों को एक खास इलाके में गृहस्थों के सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्र में एक व्यावहारिक अधिगम अनुभव भी प्रदान किया गया।

- एकीकृत वृद्धावस्था देखभाल में एक–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमः स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अनुसंधान कार्य को आंषिक तौर पर पूरा करने के तौर पर शोध निबंध का कार्य किया गया। वृद्धावस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे संज्ञानात्मक विकार, सेवानिवृत्ति के बाद परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, समुदाय व परिवार की भूमिका, ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य आदि को समझने का प्रयास किया गया था।
- वृद्धावस्था देखभाल में छमाही प्रमाणपत्र पाठयक्रमः छ माह के पाठ्यक्रम में शोध प्रबंध/परियोजना, पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होता है! यह मूलतः छात्रों के लिए क्षेत्र में कार्य से संपर्क है और इससे विशेष समुदाय/लोकेलिटी में वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं की गहन समझ मिलती है। शोध प्रबंध/परियोजना का संबंध मुख्यतः केयर गिवर प्रणाली,, चिकित्सा सेवाओं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं, सफल/उत्पादक वृद्धावस्था, वृद्धजनों का सषक्तिकरण और समुदाय आधारित देखभाल आदि है। :

(iv) समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दे

समाज रक्षा पर एक राष्ट्रीय निर्देशिका का कार्य पूरा किया गया है जिसमें संबंधित राज्य समाज कल्याण विभागों, संबंधित गैर सरकारी संगठनों, संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के विवरण शामिल है। इसके अलावा, संस्थान द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों की निर्देशिका पर डेटा बेस और किशोर न्याय में मास्टर ट्रेनर्स का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है।

7.3 पुस्तकालय

संस्थान में एक अच्छे स्टॉक वाला पुस्तकालय है जिसमें पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और शब्दकोशों के अलावा लगभग 15000 पुस्तकों और दस्तावेजों का संग्रह है। व्यापक विषयों में क्षेत्रों में बाल अधिकार, बाल कल्याण और संरक्षण, किशोर न्याय, जराचिकित्सा/वृद्धावस्था देखभाल और मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम हैं। अन्य विषयों में अपराध प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक कानून, अपराध और पुलिस, अपराध–विज्ञान, परिवीक्षा, किशोर अपराध, जेल–नियमावली, जेल कल्याण और सुधार, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, नशाखोरी और एड्स, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार, मादक द्रव्य दुरुपयोग और इसके परिणाम और बाल विकास शामिल हैं। किताबें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं। इसके अलावा, पुस्तकालय में प्रशासनिक

नियमावली, संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, वार्षिक पुस्तकें, सांख्यिकीय एब्सट्रैक्ट, भारत में बाल एटलस, आदि पर पुस्तकें हैं।

पुस्तकालय में अंग्रेजी में 14 पत्रिकाएं और हिंदी में 10 पत्रिकाएं आती हैं; अनुपूरक (कम्प्लीमेंट) आधार पर पत्रिकाएं जैसे समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, भारतीय पुलिस पत्रिका, एसपीएएन, इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एक्टा क्रिमोनोलॉजी मेडिसिना लिगलिस जैपोनिका, राष्ट्र और विश्व और मनकदूत आते हैं। संस्थान के कार्मिकों के अलावाए पुस्तकालय का प्रयोग छात्रों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठयक्रमों में नामांकन कराया हुआ है। साथ ही, देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के अनुसंधान विद्वानों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है।

अध्याय 8

मीडिया और प्रचार

8.1 पृष्ठभूमि

संस्थान मादक पदार्थ एल्कोहल दुरुपयोग, आंतर पीढी संबंध की अवधारणा और वृद्धजन देखभाल के क्षेत्र में प्रचार और आईईसी सामग्री तैयार करता है।

8.2 प्रदर्शनी और घटनाएँ

निवारक शिक्षा को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण विषयों बारे में अधिक जागरुकता सृजित करने के लिए, संस्थान ने वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें दिल्ली हाट में शिल्पोत्सव और प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शामिल है। संस्थान ने इस तरह के सभी योजनों में सूचनात्मक और अंतर–क्रिया स्टाल लगाए जिनमें न केवल सूचनात्मक पैनल प्रदर्शित किए गए वरन ऑन–स्पॉट परामर्श बूथ, फिल्म शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए जिन्होंने भारी संख्या में स्टाल की ओर आगंतुकों को खींचने के लिए अतिरिक्त आकर्षण पैदा किया।

8.2.1 शिल्पोत्सव

संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 17 से 22 जनवरी, 2012 तक एमवीआईआरडीसी, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई और 16 से 30 सितंबर, 2011 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित शिल्पोत्सव, 2011–12 में सक्रिय रूप से भाग लिया। संस्थान ने प्रदर्शनियों के दौरान मंत्रालय के विभिन्न लक्ष्य समूहों से संबंधित विषय पर "मूकाभिनय प्रदर्शन", एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म शो का आयोजन किया। इसके अलावा, इसने अपनी स्टॉल में वृद्धावस्था देखभाल और मादक पदार्थ दुरूप्योग रोकथाम संबंधी मुद्दों पर आईईसी सामग्री भी प्रदर्षित की और परामर्ष दिया।

8.2.2 राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2011–12

संस्थान ने 12–16 जनवरी 2012 तक मंगलौर में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लिया। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने ''युवा कृति'' के तहत प्रदर्शनी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा अखिल भारतीय हस्तशिल्प एवं सामाजिक विकास मेला आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने वृद्धावस्था और मादक पदार्थ दुरूप्योग रोकथाम के सबंध में अंग्रेजी और हिंदी में सूचनापरक फ्लैक्सी और डिजीटल पैनलों का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान स्टाल पर मादक पदार्थों की लत और वृद्धावस्था की समस्याओं के संबंध में तत्काल परामर्श उपलब्ध कराया गया था। आगंतुकों ने इसमें गहरी रूचि दिखाई।

अनुबंध–I
संगठनात्मक संरचना

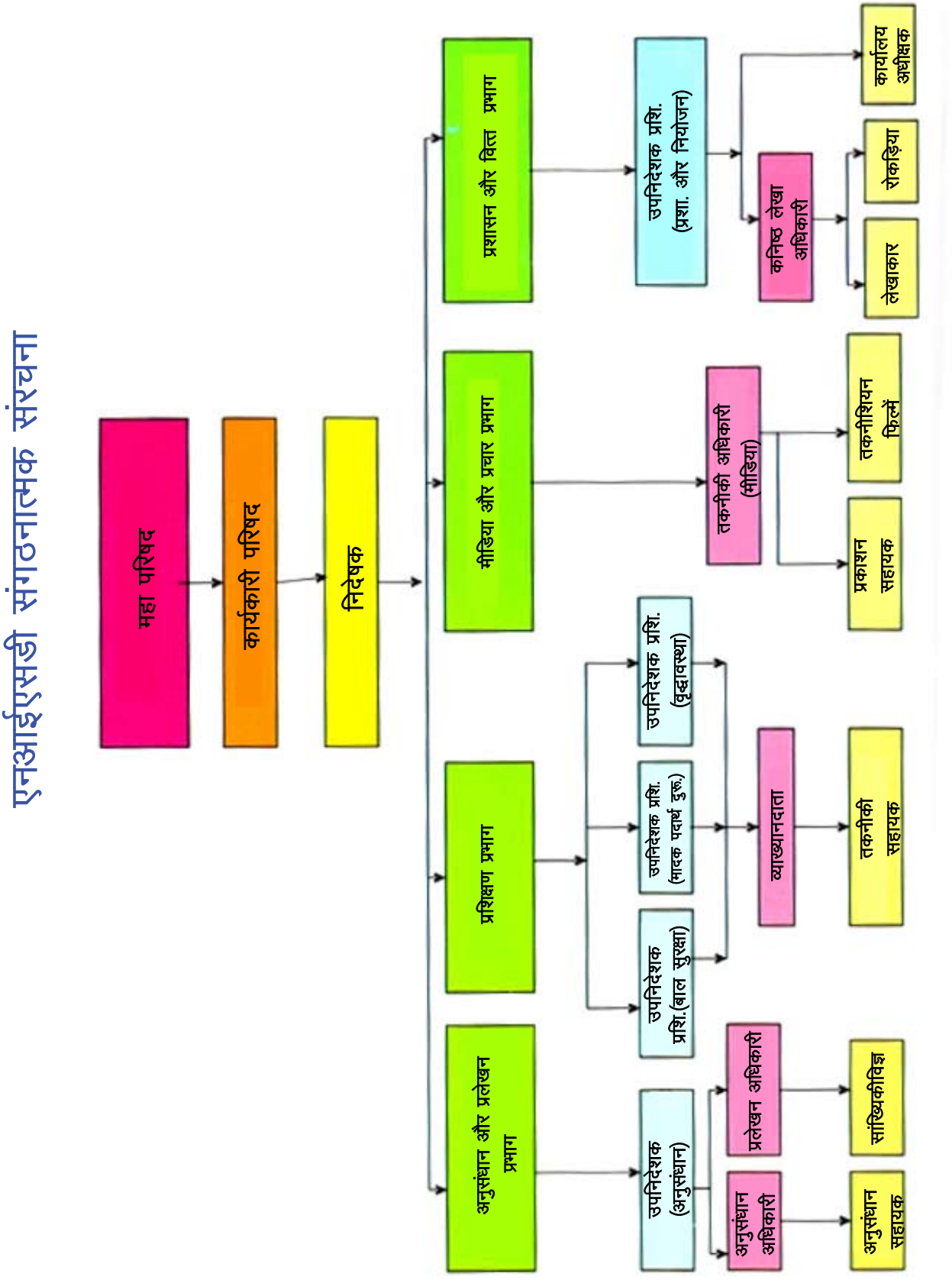

अनुबंध – II
(अध्याय 3 का पैरा नं. 3.1)

आम परिषद के सदस्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 26 मार्च 2008 के आदेश सं. 15–41(6)/07–08/एजी–प्प के अनुसार राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की आम परिषद का गठन निम्नानुसार है:–

1.	सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सरकार भारत शास्त्री भवन, नई दिल्ली.	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (एसडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
6.	प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	प्रतिनिधि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य

8. प्रतिनिधि — सदस्य
युवा मामले एवं खेल विभाग
सरकार भारत
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

9. प्रतिनिधि — सदस्य
श्रम मंत्रालय
सरकार भारत
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

10. प्रतिनिधि — सदस्य
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय
सरकार भारत
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

11. प्रतिनिधि — सदस्य
विधि – कार्य विभाग
विधि एवं न्याय मंत्रालय
सरकार भारत
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

12. प्रतिनिधि — सदस्य
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो
पश्चिम ब्लॉक 1, विंग– 3
आर.के. पुरम, नई दिल्ली.

13. सचिव — सदस्य
समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली.

14. निदेशक — सदस्य–सचिव
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
पश्चिम ब्लॉक–1, विंग–7,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली.

इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के छह विशेषज्ञ/ प्रतिनिधि

15. श्री पी. एन. अरोडा — सदस्य
संस्थापक ट्रस्टी
यषोदा फाउंडेषन
113, गांधी नगर,
गजियाबाद

16. श्री मनोहर अरोड़ा — सदस्य
एक्स–52, पष्चिमी पटेल नगर
नई दिल्ली–110008

17.	डॉ. एस. जी. शेखर नं. 294, पुरसवालक्कम हाई रोड़ कैलीज, चेन्नई तमिलनाडु–600010	सदस्य
18.	प्रोफेसर राजीव कुमार केयर ऑफ अभिराम सिंह राष्ट्रीय पुस्तकालय लेन ईस्ट लोहानीपुर, कदम कुआं, पटना–8000003, बिहार	सदस्य
19.	श्री दिनेश गुप्ता 55/77, पंजाबी बाग (पष्चिम) नई दिल्ली–110026	सदस्य
20.	श्री मदिगा इराबापू इसरायल टावास सं. 3–24, तम्मालुरू मंडल रंगा रेड्डी जिला हैदराबाद–501359 (आन्ध्र प्रदेष)	सदस्य

अनुबंध – III
(अध्याय 3 का पैरा नं. 3.1)

कार्यकारी परिषद के सदस्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 26 मार्च 2008 के आदेश सं. 15–41(6)/07–08/एजी–II के अनुसार राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद का गठन निम्नानुसार हैः–

1.	संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली.	अध्यक्ष
2.	निदेशक / उप सचिव (आई. एफ. विंग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली.	सदस्य
3.	श्री ओम प्रकाश रंगा आवास सं. 1262, गली नं. 9 स्वतंत्र नगर, नरेला दिल्ली–110040	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) शिलू श्रीनिवासन अध्यक्ष डिग्निटी फाउंडेशन मंबई	सदस्य
5.	निदेशक राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान पश्चिमी ब्लॉक–1, विंग–7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य– सचिव

अनुबंध – IV
(अध्याय 3 का पैरा नं. 3.4)

संस्थान में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के नाम और पदनाम

समूह–क		
1.	श्री लालसंगलुर	निदेशक
2.	श्री डी. सी. जयाराजू	उप निदेशक (अनुसंधान और विकास)
3.	श्री एम. सुनील कुमार	उप निदेशक (एनसी–डीएपी)
4.	डॉ. आर. गिरिराज	उप निदेशक (एसडी)
समूह–ख		
5.	श्री जी. सी. हल्दर	अनुसंधान अधिकारी
6.	सुश्री. पुनम रानी	अनुसंधान अधिकारी
7.	श्री मनोज हतोज	अनुसंधान अधिकारी

अनुबंध – V
(अध्याय–4 का पैरा नं. 4.6)

मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2011–12

क्र. सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की सं.
तीन माह का प्रमाणतत्र पाठ्यक्रम				
1.	मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर 3–माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनएसआईडी)	नई दिल्ली	25
तीन माह का बुनियादी पाठ्यक्रम				
2.	मादक द्रव्य दुरुपयोग की रोकथाम पर 3–माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनएसआईडी)	नई दिल्ली	25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	इम्फाल	25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	आइजवाल	25
		टीटीके रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण)	चैन्नई	25
		कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		कृपा फाउंडेशन (आरआरटीसी पूर्व–II)	नागालैण्ड	25
		विवेकानंद एजुकेशन सोसायटी, कोलकाता (आरआरटीसी पूर्व–I)	कोलकाता	25
		आरआरटीसी उत्तर– सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	नई दिल्ली	25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम)	पुणे	25
चयनित कौशल निर्माण संबंधी मुद्दों पर 3 से 5 दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम				
3.	आईटी परामर्श मुद्दों और कौशल पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	चैन्नई	25
		(आरआरटीसी दक्षिण– II)	चेंगनचेरी	25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	25
		मानकलाओ अफीम नशा–मुक्ति केन्द्र आरआरटीसी पश्चिम– II)	जोधपुर	25
		आरआरटीसी पश्चिम– II	अहमदाबाद	25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	चूराचंदपुर	25

क. सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की सं.
4.	हानि में कमी के संबंध में 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	रांची	25
		(आरआरटीसी पूर्व–I), गैलेक्सी क्लब		25
		आरआरटीसी उत्तर– सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	इम्फाल	25
5.	पुनर्वास और स्वास्थ्य में गिरावट की रोकथाम पर 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	गंगटोक	25
		टीटीके रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)		25
		(आरआरटीसी दक्षिण– II)	रांची	25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)		25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	आईजवाल	25
		आरआरटीसी पश्चिम– II	जोधपुर	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I गैलेक्सी क्लब	इम्फाल	25
6.	नए परामर्शकों के उन्मुखीकरण हेतु 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	टीटीके रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)		25
7.	नए परामर्शकों के उन्मुखीकरण हेतु 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	टीटीके रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	नई दिल्ली	25
8.	सूचना प्रोद्योगिकी पर 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	आरआरटीसी दक्षिण– II		25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	सतारा	25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	आईजवाल	25
9.	सूक्ष्म ऋण पर 5 दिवसीय पाठ्यक्रम	मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर – II कृपा फाउंडेशन	दीमापुर	25
10.	बीसीसी पर कौशल निर्माण संबंधी 5 दिवसीय प्रशिक्षण	मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	आईजवाल	25
		आरआरटीसी पश्चिम– II	अहमदाबाद	25
		आरआरटीसी पूर्व – II कृपा फाउंडेशन	शिलांग	25
11.	आजीविका के विकल्पों के संबंध में 1 दिवसीय पाठ्यक्रम	आरआरटीसी पूर्वोत्तर – II कृपा फाउंडेशन	दीमापुर	25
12.	नर्सों और वार्ड ब्वायस के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम	कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	इम्फाल	25

क. सं.	प्रशिक्षण पाठयक्रम / कार्यक्रम का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की सं.
		आरआरटीसी पश्चिम– II	इम्फाल	25
		कृपा फाउंडेशन सोसायटी फोर यूथ प्रोमोशन एंड मासेस (आरआरटीसी उत्तर)	नई दिल्ली	25
		आरआरटीसी पूर्व – II	नागालैण्ड	25
		आरआरटीसी दक्षिण– II		25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	चैन्नई	25
13.		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	25
प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए) आधारित दो दिवसीय उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम				
14.	डीएपी पर 2 दिवसीय उन्मुखीकरण / सुग्राहीकरण कार्यक्रम	टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	त्रिची	25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	विजाग	25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	पांडिचेरी	25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	चैन्नई	25
		सोसायटी फोर एंपावरमेंट एण्ड एडवोकेसी	भरतपुर	
		आरआरटीसी आईडब्ल्यूसीडीसी	इम्फाल	25
		कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	25
		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	25
		सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	दिल्ली	25
		सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	दिल्ली	25
		सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	दिल्ली	25
		सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम)	दिल्ली	25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	गोवाहाटी	25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	उखरूल	25

क. सं.	प्रशिक्षण पाठयक्रम / कार्यक्रम का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की सं.
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	गोवाहाटी	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–II कृपा फाउंडेशन	कोहिमा	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–II कृपा फाउंडेशन	चोंगकॉम	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–II कृपा फाउंडेशन	शिलांग	25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	लुगलैई	25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)	आईजवाल	25
		आरआरटीसी पश्चिम –II	जोधपुर	25
		आरआरटीसी पश्चिम –II	जोधपुर	25
15.	चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम	कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	25
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	25
		आरआरटीसी दक्षिण –II		25
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	इम्फाल	25
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–II कृपा फाउंडेशन	नागालैण्ड	25
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–III)		25
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	चैन्नई	25
		सोसायटी फोर यूथ प्रोमोशन एण्ड मासेस (आरआरटीसी उत्तर)	दिल्ली	25
		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	25
16.	नशे से उबरने वाले लोगों के लिए आजीविका के विकल्प के तौर पर कंप्यूटर पर 20 दिवसीय केश कोर्स	सोसायटी फोर यूथ प्रोमोशन एण्ड मासेस (आरआरटीसी उत्तर)	दिल्ली	
		टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (आरआरटीसी दक्षिण– I)	चैन्नई	
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	इम्फाल	
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	
		कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	उखरूल	

क. सं.	प्रशिक्षण पाठयक्रम / कार्यक्रम का शीर्षक	सहयोगी एजेंसी	आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की सं.
17.	एल्कोहल, दवाओं के प्रयोग और एचआईवी एडस के बारे में विद्यालय आधारित उन्मुखीकरण और सुग्राहीकरण कार्यक्रम	सोसायटी फोर यूथ प्रोमोशन एण्ड मासेस (आरआरटीसी उत्तर– I)	दिल्ली	
		सोसायटी फोर यूथ प्रोमोशन एण्ड मासेस (आरआरटीसी उत्तर– I)	चैन्नई	
		(आरआरटीसी दक्षिण– II)	चंगनचेरी	
		कलकता स्मारिटन्स (आरआरटीसी पूर्व–II)	कोलकाता	
		मुक्तांगन मित्र (आरआरटीसी पश्चिम– I)	पुणे	
		आरआरटीसी पश्चिम– II	जोधपुर	
		गैलेक्सी क्लब (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)		
		आरआरटीसी पूर्वोत्तर–II कृपा फाउंडेशन		
		मिजोरम समाज रक्षा और पुनर्वास बोर्ड (आरआरटीसी पूर्वोत्तर–I)	आईजवाल	
		गुंजन, आरआरटीसी उत्तर–II	धर्मशाला	
		एफओआरई	नई दिल्ली	
		डॉ. नंदाम्मा मोसेसे धर्माथ न्यास	विशाखापत्तनम	
		कृपा फाउंडेशन	गोवाहाटी	
		लव इन एक्शन	सगंग	
		लव इन एक्शन	चूराचंदपुर	
		फोटा–एन–मैन एसोसिएट	शिलांग	
		लव इन एक्शन	मणिपुर	
		ईटीआर फोर डिसएबल्ड	कोलकाता	
		उरीवी विक्रम धर्मार्थ न्यास	नई दिल्ली	
18.	एल्कोहल एडवोकेसी और रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय पाठ्यक्रम	इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	नई दिल्ली	30
		इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	मुंबई	30
		इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	बंगलौर	30
		इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	चंडीगढ़	30
		इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	पटना	30
		इंडियन एल्कोहल पॉलिसी एलायंस	आईजवाल	30
कार्यनीतिक परामर्श				
19.	आरआरटीसी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक	एनआईएसडी	एनआईएसडी	25

अनुबंध – VI
(अध्याय–4 का पैरा नं. 4.8)

क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केन्द्रों (आरआरटीसी) की सूची

निम्नलिखित सारणी में प्रदेश–वार आरआरटीसी और उनके द्वारा कवर किए जाने वाले राज्य, संपर्क सूत्रों सहित दर्शाए गए हैं:–

क्षेत्र	आरआरटीसी के नाम	शामिल राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	सम्पर्क सूत्र
उत्तर जोन	सोसायटी फोर प्रोमोशन ऑफ यूथ एण्ड मासेस (एसपीवाईएम), नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब	डा. राजेश कुमार कार्यकारी निदेशक टेलीफैक्स. 011–2689–3872ध्6229 ई:मेलः - spym@vsnl.com
उत्तर जोन II	गुंजन आर्गेनाइजेशन फोर कम्यूनिटी डेवलपेमेंट	हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर	श्री संदीप परमार मो.: 09418080369/09418122425 ई:मेलः Sp23868@yahoo.com
पूर्व जोन II	कलकत्ता समरिस्तान्स, कलकत्ता	बिहार, झारखण्ड, सिक्किम, दार्जिलिंग	मानद निदेशक दूरभाष. 033– 2295920ध्2299731 फैक्स. 033. 2178097 ई:मेलः emcal@giasclol.vsnl.net.in calsam@satyam.net.in
पश्चिम जोन I	पश्चिम मुक्तांगन मित्र महाराष्ट्र	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात मध्य प्रदेश (ग्वालियर को छोड़कर) महाराष्ट्र दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव	सुश्री मुक्ता पुताम्बेकर उप–निदेशक टेलीफैक्सः 020 – 565 9407 ई:मेलरू - rrtcwest@gmail.com
पश्चिम जोन II	आोपियम डि–एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिसर्च ट्रस्ट, जोधपुर	राजस्थान, गुजारात डा. एन.एस. मानकलाव मो.	डा. एन.एस. मानकलाव मो.रू 09414133996 ई:मेल: nsmanaklao@gmail.com rrtcmanaklao@gmail.com
दक्षिण जोन I	टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुड्डूचेरी	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुड्डूचेरी	श्रीमती शांति रंगनाथन, मनद सचिव दूरभाषः 044.491.8461/2948/4416428 फैक्सः 044.8117150 ई:मेलः ttrcrf@md2.vsnl.net.in
दक्षिण जोन II	चंगनचेरी सोसल सर्विस सोसायटी कर्नाटक, केरल	कर्नाटक, केरल	फा. के.डी. थामस मो.: 09847231365 ई:मेलः acceptrrtc@rediffmail.com
उत्तर पूर्व जोन -I	ग्लैक्सी क्लब, मणिपुर	अमस मणिपुर	डा. जयंत कुमार, अध्यक्ष दूरभाषः . 231 117 ई:मेलः-jayanta_isd@hotmail.com
उत्तर पूर्व जोन -II	कृपा फाउण्डेशन, नागालैण्ड अरूणाचल प्रदेश, मेघालय नागालैण्ड	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय नागालैण्ड	डा. पी. नगुली, परियोजना निदेशक फैक्स: 0370 – 242 224 ई:मेलः - rrtcne2@gmail.com
उत्तर पूर्व जोन -III	मिजोरम सोसल डिफेंस एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड(एमएसडीआरबी), मिजोरम	मिजोरम नार्थ त्रिपुरा	श्रीमती लालपरमावई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिजोरम दूरभाषः 349 320/394 321 ई:मेलः - rrtcne3@gmail.com

अनुबंध – VII
(अध्याय 5 का पैरा 5.6)

वर्ष 2009–10 के दौरान वृद्धावस्था देखभाल डिवीजन प्रभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	सहयोगी एजेंसी और आयोजन स्थल
I. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम				
01.	एकीकृत वृद्धावस्था देखभाल में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनएसआईडी), नई दिल्ली	9	1
02.	वृद्धावस्था देखभाल में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	◆ राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली ◆ सीएआरटी, भुवनेश्वर ◆ सीएमआईजी, कोलकाता ◆ एमएमटी, बंगलौर ◆ एआरडीएसआई, कोचीन ◆ पीएसजीआर, कोयंबटूर ◆ अभय मिशन, अगरतला	210	7
03.	वृद्धावस्था देखभाल के बुनियादी मुद्दों पर एम माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	◆ रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल ◆ एनएमटी, बंगलौर ◆ अभय मिशन, अगरतला ◆ सीएमआईजी, कोलकाता ◆ सीएआरटी, भुवनेश्वर ◆ पीएसजीआर, कृष्णमल कॉलेज ◆ एनएमटी, बंगलौर ◆ हैरिटेज फाउंडेशन ◆ आरआरटीसी इम्फाल	240	8
05.	केयरटेकर, बैड असिस्टेंट और अन्य के लिए तीन माह का बुनियादी पाठ्यक्रम	◆ अभय मिशन, अगरतला ◆ सीएमआईजी, कोलकाता ◆ कोर केयर इंडिया, नई दिल्ली ◆ एनएमटी, बंगलौर ◆ एनएमटी, बंगलौर ◆ अनुराग, फरीदाबाद ◆ एमएडीएटी, भुवनेश्वर	180	6
II. विषयक क्षमता निर्माण कार्यक्रम				
01.	मतिभ्रंश प्रबंधन पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	◆ एनएमटी, बंगलौर ◆ एनएमटी, कोचीन ◆ हैरिटेज फाउंडेशन	150	3
04.	बुनियादी देखभाल/वयोवृद्धावस्था संबंधी मुद्दों पर पांच दिवसीय उन्मुखीकरण	◆ अभय मिशन, अगरतला ◆ सीएआरटी, भुवनेश्वर ◆ रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल ◆ एमएडीएटी, भुवनेश्वर ◆ एसईए, भरतपुर, राजस्थान	150	5
18.	वृद्धावस्था परामर्श में गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण संबंधी पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	◆ पीएसजीआर, कृष्णमल कॉलेज ◆ राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली ◆ अनुरोग, सिरसा	35	

कार्यनीतिक परामर्श/ विशेषज्ञों की बैठकें

क्र. सं	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	सहयोगी एजेंसी और आयोजन स्थल
1.	एशिया प्रशांत क्षेत्र(सेंटर फोर जिरोनटोलॉजिकल स्टडीज, में वृद्ध लोगों के मानवाधिकारों पर तीन दिवसीय कार्यशाला	1	30	एआरडीएसआई, तिरूअनंतपुरम, केरल
2.	''सर्वांगीण स्वास्थ्य देखभाल; वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, आईडीओपी मनाने '' के लिए बहु गतिविधि आयोजन''	1	200	अनुराग, नई दिल्ली
3.	वृद्धाश्रम संस्थानों के न्यूनतम मानक स्थापित करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला	1	30	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनएसआईडी), नई दिल्ली
4.	वृद्धाश्रमों के लिए नियामक निकायों और वृद्धों को संस्थागत देखभाल करने वाले संगठनों को क्षेत्रीय स्तरीय परामर्श	1	90	एनआईएमटी, बंगलौर–2 आईएलसी, पुणे–1
5.	वरिष्ठ नागरिकों से दुव्यर्वहार और अपराध पर एक दिवसीय संगोष्ठी	3	30	आईएलसी, पुणे–1
6.	अंतर–पीढी अंतराल को पाटने के लिए, वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण और कल्याण अधि ानियम, 2007 को फोकस में रखते हुए स्कूल/कॉलेज के अध्यापकों/ परामर्शकों के लिए एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम	36	1440	1. हीलिंग टच, उत्तराखंड–2 2. फूट एण्ड बड, फरीदाबाद, जनकपुरी–3 3. अनुग्रह, चंडीगढ़–1 4. एमबीएस संस्थान, नागपुर–1 5.. आरआरटीसी, इम्फाल, मणिपुर–1 6. एमएडीएटी, चिलगुडा–1 7. रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल आगरा–1 8. परिमार्जन, बिहार–2 9. सौहार्द, दिल्ली–2 10 पीएसजीआर–कोयंबटूर –2 11. मानस्वी, बिजनौर–2 12. हैरिटेज फाउंडेशन, हैदराबाद–2 13. सीएमआईजी, कोलकाता–1 14. डब्ल्यूएसईडीपी, बागपत, झिरका–फरीदाबाद–3 15. आईएलसी, पुणे–2 16. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मिंटो रोड गोल मार्केट –2 17. एसईए, अजमेर, भरतपुर –2

क्र. सं	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	सहयोगी एजेंसी और आयोजन स्थल
7.	वरिष्ठ नागरिक फोरम/निवासी कल्याण एसोसिएशनों के साथ एक दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम	9	360	1. मनस्वी, दिल्ली–1 2. फ्रूट एण्ड बड,, दिल्ली–2 3. अभय मिशन, राम नगर अगरतला–1 4. सौहार्द, मोहम्मदपुर, दिल्ली–1 5. सीएआरटी, भुवनेश्वर –1 6. डब्ल्यूएसईडीपी, मंडावली, ओखला –2 6. सीएमआईजी, कोलकाता –1
8.	वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सुग्राही/जागरूकता कार्यक्रम	17	520	1. अनुग्रह, हरिद्वार–2 2. फ्रूट एण्ड बड, विरूद्धनगर, तमिलनाडु–1 3. मनस्वी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश–1 4. अभय मिशन, उदयपुर दक्षिण त्रिपुरा –1 5. सौहार्द, जिंदल नगर, उत्तर प्रदेश 6. एआरडीएसआई, कोचीन–1 7. पीएसजीआर, 1 8. सीएआरटी, भुवनेश्वर –1 9. हैरिटेज फाउंडेशन, हैदराबाद–1 10. डब्ल्यूएसईडीपी, पलवल–1 11. एमबीएस रामटेक, –1 12. एमएडीएटी, भुवनेश्वर –1 13. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली–1 14. परिमार्जन, दिल्ली–1 15. एसईए, भरतपुर–1 16. आईआरडीईओ, मणिपुर–1
9.	ग्रामीण वृद्धजनों के लिए सरकारी स्कीमों संबंधी एक दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम	8	240	1. अभय मिशन, ए.डी. नगर,अगरतला –1 2. एनएमटी, हैदराबाद 3. आईआरडीईओ, इम्फाल–1 4. एमएडीएटी, भुवनेश्वर –1 5. मनस्वी, मोहनपुर, उ. प्र.–1 6. हीलिंग टच–1 7. एमबीएस रामटेक, –1 8. एसईए, भरतपुर–1

क्र. सं	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	सहयोगी एजेंसी और आयोजन स्थल
10.	वृद्धजनों के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थानों के लिए एक दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम	9	540	1. अभय मिशन, ए.डी. नगर,अगरतला –1 2. एमएमटी, बंगलौर–1 3. अनुराग, सिरसा, हरियाणा–1 4. सौहार्द, बिलासपुर, उ.प्र.–1 5. मनस्वी, हैदराबाद–1 6. डब्ल्यूएसईडीपी, फिरोजपुर, नरोरा–2 7. एमबीएस, रामटेक–1 8. एसईए, भरतपुर–1
11.	मतिभ्रंष – ग्रस्त वृद्धजनों की परिवार में देखभाल करने वाले लोगों के लिए एक दिवसीय सुग्राही कार्यक्रम	2	60	1. एआरडीएसआई, मणिपुर–2
12.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए कंप्यूटर में सामुदायिक प्रशिक्षण	14	280	◆ एनएमटी बंग्लौर–2 ◆ रेस्पेक्ट एज आगरा–1 ◆ कोर केयर इंडिया, नई दिल्ली–1 ◆ बिहार पेंशनर, बिहार–1 ◆ एनआईपीएसटीईसी, मालवीय नगर और नौएडा–2 ◆ अनुग्रह, देहरादून और फरीदाबाद–2 ◆ अभय मिशन, अगरतला–2 ◆ पीएसजीआर, कायंबटूर, पिल्लाची–1 ◆ सीएआरटी, भुवनेष्वर–1 ◆ सीएमआईजी, कोलकाता, मालदा–1 ◆ एनएडीए इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली–1
		95	3440	
	कार्यक्रमों की सं.	**135**	**लाभार्थियों की सं.–**	**4909**

अनुबंध – VIII
(अध्याय 5 का पैरा नं. 5.7 (i))

वयोश्रेष्ठ सम्मान, 2011–12 के पुरस्कार विजेताओं की सूची

रचनात्मक कला	**श्री सी. एस. एन. पटनायक** पटनायक कला दीर्घा 1–59–21, प्लाट नं.–109 सैक्टर–2, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापत्तनम–530017
सर्वश्रेष्ठ पंचायत	**श्री वाई. रविन्दर रेड्डी** स्रपंच प्रशांत नगर ग्राम पंचायत सिड्डीपेट मंडल आन्ध्र प्रदेश–502003
सेवा संस्था	**श्रीमती के. नागचंद्रिका देवी** संस्थापक प्रबंधक और महासचिव प्रेमानिलयम वृद्धाश्रम किन्नेरा कल्याण सोसायटी 12–2–717/ए/9, रेटीबॉवली रिंग रोड़ मेहदीपटनम, हैदराबाद
आर्थिक नेतृत्व	**श्री ओम प्रकाश गुप्ता** डी–311, आनंद विहार, नई दिल्ली–110092

अनुबंध – IX
(अध्याय 2 का पैरा नं. 2.4)

वर्ष 2011–12 के दौरान समाज रक्षा संबंधी प्रभाग के अन्य मुद्दों पर प्रषिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क्र. सं.	प्रावधान	आयोजन स्थल	राज्यों और सहयोगी विभागों के नाम	प्रतिभागियों की संख्या
I. प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम				
1	समाज रक्षा पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	नई दिल्ली	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)	28
	समाज रक्षा पर एक माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	नई दिल्ली	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)	30
II. विषयक क्षमता निर्माण कार्यक्रम				
1	सरकारी/ गैर सरकारी संगठनों/पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए सामाजिक रक्षा पर तीन दिवसीय प्रादेशिक स्तरीय सुग्राही कार्यक्रम	हैदराबाद	किशोर कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	40
		कोलकाता	जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान, कोलकाता	40
		रायपुर	किशोर कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	40
		इम्फाल	किशोर कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार	40
		मदुरै	मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान, मदुरै	40
2	पुलिस पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	मैसूर	कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर, पुलिस विभाग, कर्नाटक सरकार	40
		चैन्नई	तमिलनाडु पुलिस अकादमी, तमिलनाडु सरकार	40
		चैन्नई	तमिलनाडु पुलिस अकादमी, तमिलनाडु सरकार	40
3	समाज सेवकों के लिए सामाजिक रक्षा पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	मदुरै	मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान, मदुरै	40
		कोलकाता	जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान, कोलकाता	40
4	नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से प्रभावित बच्चों की विशेष देखभाल के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम	चंडीगढ़	आरआरटीसी उत्तर–सोसायटी फोर प्रोमोषन ऑफ यूथ एण्ड मासेस (एसपीवाईएम), नई दिल्ली	40
		चैन्नई	आरआरटीसी (उत्तर) टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन	40
		तिरूपति	आरआरटीसी (उत्तर) टी.टी.के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन	40

क्र. सं.	प्रावधान	आयोजन स्थल	राज्यों और सहयोगी विभागों के नाम	प्रतिभागियों की संख्या
		कोलकाता	जयप्रकाष सामाजिक परिवर्तन संस्थान, कोलकाता	40
		इम्फाल	आईडब्ल्यूसीडीसी, इम्फाल	40
		नई दिल्ली	समर्थ, नई दिल्ली	40
		बड़ौदा	बड़ौदा नागरिक परिषद, बड़ौदा	40
		पुदुचैरी	आरआरटीसी (उत्तर) टी.टी. के. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन	40
		पुणे	आरआरटीसी (पष्चिम जोन– I), मुक्तांगन, पुणे	40
5	भिक्षावृत्ति की रोकथाम पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	कोलकाता	कंट्रोलर ऑफ वैगेरेंसी, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	40
6	स्ट्रीट शिक्षकों के लिए परामर्श कौशलों पर पांच दिवसीय प्रादेशिक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशाखापत्तनम	सामाजिक कार्य विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय	40
		हैदराबाद	किशोर कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	40
		बड़ौदा	बड़ौदा नागरिक परिषद, बड़ौदा	40
		अगरतला	अभय मिशन, अगरतला, त्रिपुरा	40
		कोयंबटूर	समाज कल्याण विभाग, हिंदुस्तान कला और विज्ञान महाविद्यालय, तमिलनाडु	40
		नई दिल्ली	समर्थ राष्ट्रीय स्तरीय गैर सरकारी संगठन, नई दिल्ली	40
		इम्फाल	आईडब्ल्यूसीडीसी, इम्फाल	40
		मदुरै	मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान, मदुरै	40
		कोलकाता	जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान, कोलकाता	40
III. परामर्श बैठकें				
1	भिक्षावृत्ति पर उप समूह की बैठकें	नई दिल्ली	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)	46
कार्यक्रमों की कुल संख्या = 34		**लाभार्थियों की कुल संख्या**		**1264**

अनुबंध – X
(पैरा 5.5 (i) अध्याय 5)

एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

I. पात्रता:

क. आयु सीमा: 1 अक्तूबर, 2010 को उसकी आयु पूरे 21 वर्ष की हो और 1 अक्तूबर, 2011 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. योग्यता और अर्हता परीक्षा: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि (अथवा समकक्ष) होना चाहिए।

वांछनीय: निम्न उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी–

- समाजशास्त्र सामाजिक कार्य/समाज कल्याण, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, नर्सिंग, गृह विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में उपाधिधारक हो।
- एज केयर संगठन में काम करने का प्रमाणपत्र/अनुभव/ प्रशिक्षण धारक हो।

II. सीटों का आरक्षण:

कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 15 प्रतिशत अनु0 जाति, 7.5 प्रतिशत अन0 जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग और 3 प्रतिशत शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।

III. पाठ्यक्रम की रुपरेखा:

- पेपर – I जिरोन्टोलॉजी
- पेपर – II लोक नीति और नियोजन
- पेपर – III क्लिनिकल जराचिकित्सा
- पेपर – IV जराचिकित्सा प्रबंधन
- पेपर – V मनोविज्ञान और परामर्श
- पेपर – VI अनुसंधान विधि–विज्ञान

संगोष्ठी, निबंध, टीम/समूह परियोजना और ब्लॉक प्लेसमेंट पाठ्यक्रम के अभिन्न हिस्से हैं। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पहलू है। प्रत्येक पेपर अनिवार्य है और कोई वैकल्पिक विषय नहीं है। आवधिक आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा और अंतिम परीक्षा में क्रमशः 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत भारिता दी जाएगी।

IV. प्रवेश प्रक्रिया:

पाठ्यक्रम के लिए चयन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के माध्यम सेए समूह चर्चा और साक्षात्कार के बाद अखिल भारतीय आधार पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट (कैट) के माध्यम से किया जाता है। कैट परीक्षा नई दिल्ली में आयोजित की जाती है।

अनुबंध – XI
(पैरा 5.5 (ii) अध्याय 5)

छमाही प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

I. पात्रता:

a. **आयु सीमा:** 1 अक्तूबर, 2011 को उसकी आयु पूरे 21 वर्ष की हो और 1 अक्तूबर, 2011 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

b. **योग्यता और अर्हता परीक्षा:** हाई स्कूल/ मेट्रिकुलेशन अथवा 10 वर्ष के अध्ययन के बाद सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा अथवा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;

ओल्ड एज केयर गिवर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं, समाजसेवकों, होम केयर कार्यकर्ताओं, नर्सिंग एसिस्टेंट अथवा एज केयर एजेंसियों/संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. सीटों का आरक्षण:

कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 15 प्रतिशत अनु0 जाति, 1.5 प्रतिशत अनु0 जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग और 3 प्रतिशत शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। तथापि, प्रवेश के शारीरिक विकलांग हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण के तहत विकलांग पर विचार करते हुए योग्यता की निम्न मानदण्ड को मद्देनजर रखा जाएगा:

III. पाठ्यक्रम की रुपरेखा:

- पेपर - I — सामाजिक जिरोन्टोलॉजी में वृद्धावस्था परिचय पर बड़ी इकाइयां; समाजविज्ञान और सामाजिक कार्य; मनोविज्ञान और मानव व्यवहार शामिल हैं।
- पेपर - II — आधारभूत जराचिकित्सा में शरीरविज्ञान और शरीररचना विज्ञान; पोषण; समुदाय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय साफ–सफाई पर बडी इकाइयां शामिल हैं।
- पेपर - III — प्रायोगिक जराचिकित्सा में एज केयर; वृद्ध व्यक्तियों हेतु योजनाओं व कार्यक्रमों पर बड़ी इकाइयां शामिल हैं।
- पेपर - IV — जराचिकित्सा नर्सिंग में वृद्धों की विशेष देखभाल; फिजियोथैपेपी और पुनर्वास पर बड़ी इकाइयां शामिल हैं।

IV. चयन का मापदण्ड:

प्रवेश परीक्षा: चयन समूह चर्चा और साक्षात्कार के बाद अखिल भारतीय आधार पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट (कैट) के माध्यम से किया जाता है। कैट परीक्षा नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाताए अगरतला, बंग्लौर, कुन्नाकुलम/कोचीन और कोयम्बटूर में आयोजित की जाती है।

अनुबंध – XII
(अध्याय 5 का पैरा नं. 5.5 (vi))

भारत में समाज सेवा के प्रमुख विद्यालयों/विभागों की प्रदेश व राज्य–वार सं0

क्र. सं.	एजेंसी का नाम और पता	संपर्क सं.
1.	डॉ. (श्रीमती) इन्द्राणी चक्रवर्ती सचिव, (सीएमआईजी) कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट ऑफ जिरोंटोलॉजी, (सीएमआईजी) ई/1, सोपान कुटीर, 53 बी, डॉ. एस. सी. बनर्जी रोड़ कोलकाता–700010 (पश्चिम बंगाल) (आरआरटीसी)	033–23701437 09830398184 श्री गौतम साह– 09339825148 ई–मेल.cmig@rediffmail.com chakraindrani@gmail.com
2.	डॉ. आभा चौधरी, संस्थापक सचिव अनुराग बी–33, आर्य नगर अपार्टमेंट, आई. पी. एक्सटेंशन पटपड़गंज, नई दिल्ली (आरआरटीसी)	anugrahaindia@yahoo,com 91–11–22726632 मो.: 09810717722
3.	कुमार सिंह, सचिव, एकीकृत अनुसंधान विकास शिक्षा संगठन (आईआरडीईओ), वंगबाल, डाकघर– थाउबल–795138, मणिपुर (आरआरटीसी)	irdeo.manipur@gmail.com 094436883222 09873668044
4ण	डॉ. राधा मूर्ति, प्रबंधन ट्रस्टी नाइटिनगेल मेडिकल ट्रस्ट (एनएमटी) 337, दूसरा क्रॉस, प्रथम ब्लॉक आर. टी. नगर, बंगलौर–560032	09844037381 080–23548444/555 080–23548999 nightingales@vsnl.net
5ण	श्री बिघनरोज राउत्रे, सचिव सेटर फोर एक्शन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (सीएआरटी) एचआईजी–10/6, फेज–1 एम.बी. कॉलोनी, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर उड़ीसा–751016	0674–2397984, 2741596 09938512549 फैक्स : 0674.2741596/2741682 ई–मेलः cartodisa@gmail.com
6ण	सुश्री सुषमा डे, सचिव अभय मिशन राम नगर रोड नं. 1, डाकघर–रामनगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम–799002	मो. 09436123069 फैक्सः 0381 2208507 ई–मेल: swabalamban@redifmail.com
7.	डॉ. जैकब रॉय, अध्यक्ष अल्जाइमर्स एण्ड रिलेटेड डिस्ऑर्डर सोसायटी ऑफ इंडिया (एआरडीएसआई) मादवाना टेंपल रोड़, वेन्नला डाकघर– परारिवत्तम, एनएच बाईपास, कोची–28, केरल	फोनः 04885. 2508088ए09846198786ए09846198471 ई–मेलः ardsicochin@gmail.com office@alzheimer_india.org alzheimr@md2vsnl.net.in
8.	डॉ. (श्रीमती) एन. यशोदा देवी, प्रधानाचार्य पीएसजीआर, कृष्णामल कॉलेज फोर वूमैन पीलामेडु, कायंबटूर–04	0422.2572222 फैक्सः 0422.2591255 मो. 09994283962 principal@psgrkc.com

अनुबंध – XIII

(अध्याय 1 का पैरा नं. 1.7)

भारत में समाज सेवा के प्रमुख विद्यालयोंधविभागों की प्रदेश व राज्य–वार सं.

क्र. सं.	प्रदेश	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक कार्य के विद्यालयों/ महाविद्यालयों/विभागों की सं.
1	**उत्तरी हरियाणा**	उत्तरी	2
		हिमाचल प्रदेश	1
		मध्य प्रदेश	4
		उत्तर प्रदेश	6
		पंजाब	1
		दिल्ली	4
		उप–योग	**18**
2	**पूर्वी**	बिहार	1
		उड़ीसा	5
		पश्चिम बंगाल	6
		उप–योग	**12**
3	**पश्चिमी**	गुजरात	7
		महाराष्ट्र	53
		राजस्थान	2
		उप–योग	**62**
4	**दक्षिणी**	अरूणाचल प्रदेश	22
		कर्नाटक	32
		केरल	22
		तमिलनाडु	21
		पांडिचेरी	1
		उप–योग	**98**
5	**उत्तर पूर्व**	असम	1
		मिजोरम	2
		उप–योग	**3**
		समग्र योग	**193**

अनुबंध – XIV
(अध्याय 1 का पैरा नं. 1.7)

लेखा–परीक्षा महा निदेशक का कार्यालय (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली–110002

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के लेखों की वर्ष 2011–12 के लिए सामान्य स्थिति, निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के अध्यधीन संतोषजनक पाई गई।

निरीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत और उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार तैयार किया गया है। लेखा–परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली का कार्यालय लेखापरीक्षा करानेवाले पक्ष की ओर से किसी गलत सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ह./–
निदेशक(ए.एम.जी.–III)
लेखा–परीक्षा महा निदेशक का कार्यालय (केंद्रीय व्यय)

अंकेक्षण निरीक्षण रिपोर्ट

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पश्चिमी ब्लाक 1, विंग 7, भूतल
आर. के. पुरम, नई दिल्ली
हेतु 01.04.2011 से 31.03.2012 के लेखों की निरीक्षण रिपोर्ट

समाज रूप के क्षेत्र में सेवाओं के समन्वय, विकास और मानकीकरण के दृष्टि कोण से 1961 में भारत सरकार ने ''केंद्रीय सुधारव्यय सेवा ब्यूरो'' की स्थापना की गई। वर्ष 1975 से यह संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय रहा और बाद में इस ''राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान'' नाम दिया गया। भारत सरकार की 15.07.2002 की अधिसूचना से यह संस्थान एक स्वायत्त निकाय बना दिया है और 1860 के सोसायटी अधिनियम, XXI के अंतर्गत दिल्ली सरकार में पंजीकृत है।

भारत सरकार के विभिन्न समाज रक्षा कार्यक्रमों के लिए तथ्यों एवं सूचनाओं की आपूर्ति और उनकी पुष्टि करना ही इस संस्थान का उद्देश्य है। संस्थान के मुख्य कार्य हैं:–आंकड़ा संग्रहए प्रलेखीकरण और नषीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम, वृद्धजनों की देखभाल और भिक्षावृत्ति की रोकथाम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है। संस्थान अपने परिसर के अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के सहयोग से अन्यत्र भी कथित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

नीचे वर्ष 2009–10 से 2011–12 में संस्थान के बजट और व्यय का ब्यौरा दिया गया है–

वर्ष	बजट		वास्तविक व्यय		अन्य स्रोतों से अनुदान सहायता	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2009–10	600.00	90.00	647.15	118.31	शून्य	शून्य
2010–11	680.00	110.00	410.00	109.00	शून्य	शून्य
2011–12	969.00	126.00	666.00	112.00	शून्य	शून्य

अरुण सिंह एंड कंपनी
चार्टेड एकाउंटेंट्स
एफ–7, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली 110,024
फोनः 2983 5500, 29835501, 4171 59911 फैक्सः 1686 2983
ई - esy: arunsinghco/gmail.com

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
पश्चिम ब्लॉक–1, विंग 7
आरण्के. पुरम, नई दिल्ली– 110066

प्रिय महोदय,

1. हमने राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थानए नई दिल्ली के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2012 के अनुसार बैलेंस शीट (प्राप्ति और भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखों सहित) का अंकेक्षण किया है।

2. ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

3. हमने भारत के सामान्य रुप से मान्य अंकेक्षण मानकों के अनुरुप अपना अंकेक्षण किया है। इस उद्देश्य से अंकेक्षण को इस तरह नियोजित और संपादित करना हे कि हमें वित्तीय आंकडों की उचित प्रस्तुति का भरोसा हो जाए। अंकेक्षण में वित्तीय विवरण में उल्लिखित राशियों तथा तथ्यपरक घोषणाओं के प्रभाग की परख का लक्ष्य है। अंकेक्षण में इसमें प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन के साथ ही साथ प्रबंधन के महत्वपूर्ण अनुमानों तथा कुल वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे अंकेक्षण से हमारी राय को उचित आधार मिलता है।

4. उपर्युक्त संलग्नक में हमारी टिप्पणी के साथ– साथ हमारा कहना है किरू

   क. अपने अंकेक्षण के लिए हमने अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के साथ सभी उपयोग सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ख. हमारी राय मेंए संस्थान के उपनियमों के अनुरुप उचित लेखा बहियां संस्थान के पास है, जैसाकि इन बहियों के परीक्षण से जाहिर होता है।

ग. बैलेंस शीट, आय और व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, जो कि इस रिपोर्ट में अंकेक्षित हैं। लेखा बही के नियमानुसार हैं।

घ. इस रिपोर्ट के साथ संलग्न संलग्नक–I में दिए गए पर्यवेक्षण तथा हमारी राय में इसके परिणामी प्रभाव तथा हमारी पूरी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची 'डी' में दी गई लेखा–नीति और टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे से निम्नलिखित जानकारी तथा सही और उचित राय मिलती है।

i. जहां तक 31 मार्च, 2012 को संस्था के कामकाज की बैलेंस शीट का संबंध है।

ii. जहां तक यह वर्ष के लिए लेने–देनों के प्राप्ति एवं भुगतान लेखें तथा उस तिथि के अंतः शेष से संबंधित है, तथा

iii. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त अवधि की व्ययोपरि आय के आय और व्यय लेखों से संबंधित है।

अरुण सिंह एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी0 सं0 011863 एन

रवि कपूर
भागीदार
एम. नंबर 095214

दिनांकः 27.05.2013
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक –1

सम–तिथि को हमारी रिपोर्ट का भाग बनाने वाली अद्यतन टिप्पणियाँ

1. वित वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक सकल अचल संपत्तियों का ब्यौरा अचल आस्ति रजिस्टर में विस्तृत रूप में दर्ज कर दिया गया है। इस रजिस्टर पर आधारित विभिन्न वर्गों की संपत्तियों को आवष्यकतानुसार लेखे में चढ़ाया गया है। सभ संपत्तियों का ह्रास मूल्य लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) विधि से उपलबध कराया गया है। अचल आस्तियों के रजिस्टर का वित्तीय विवरण से मिलान नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान अचल आस्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

2. (क) संस्थान को दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि0वि0प्रा0) द्वारा जनकपुरी, नई दिल्ली में 24.04.1988 को 1682 वर्गमीटर का एक भूखंड बेमियादी पट्टे पर आवंटित किया गया था और डीडीए के पास 10,11,768/– रू. की राशि जमा कराई गई थी। स्थानाभाव के कारण संस्थान ने अपने कार्यालय तथा छात्रावास हेतु एक वैकल्पिक भूखंड के लिए पुनः डीडीए से संपर्क किया। इसके पश्चात डीडीए द्वारा अपने पत्र सं0 एफ 32(14)87/12 दिनांक 19.03.1993 के माध्यम से संस्थान को द्वारका, सेक्टर–10, नई दिल्ली की 2 एकड़ का एक भूखंड बेमियादी पट्टे पर आवंटित किया गया था। यह भू–खण्ढ अनंतिमम अधिशुल्क पर 20.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से 40.00 लाख रू. में आवंटित किया गया था। फिर भी भूमि की दर में संशोधन की प्रत्याशा में, जिसे सरकार के विचाराधीन बताया गया था, एनएचआईएसडी को भूमि की कीमत के रूप में 60.00 लाख रू. जमा करने थे। तदनुरूप, डीडीए के पास 60.00 लाख रू. की राषि जमा कर दी गई, परन्तु डीडीए ने न तो भूमि के पुनर्मूल्यांकन के बारे में कोई सूचना दी और न ही रू. 20.00 लाख की राषि वापस की। इस मामले को एनएसआईडी के पत्र सं 1/1/2010 के माध्यम से उठाया गया और डीडीए से 20.00 लाख रू. की राशि वापस करने को कहा गया। तथापि, कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। इसके साथ ही, इस मामले के शीघ्र निपटान हेतु शहरी विकास मंत्रालय से उच्च स्तर पर संपर्क किया गया तथा डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी को एनआईएसडी के भवन का निर्माण कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया।

यह भूखंड संस्थान को 16.07.1993 को जनकपुरी में दिये गये भूखंड की एवज में आवंटित किया गया था। पहले आवंटित भूखंड डीडीए को संस्थान हेतु छात्रावास तथा कर्मचारी आवास हेतु वैकल्पिक भूखंड का आवंटन होने अथवा डीडीए को पूर्व में किये गये अतिरिक्त 20.00 लाख रू. की राषि वापस मिलने के बाद ही वापस किया जाना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष 2008–09 के पत्र सं0 1/1/2001–प्रषा. द्वारा डीडीए की आवासीय परिसर के निमार्ण हेतु भूखंड आवंटित करने हेतु निवेदन किया था, जो कि संस्थान के दिनांक 04.04.2005 और 16.04.2007 के पत्रों के क्रम में था। आवासीय परिसर का निर्माण संस्थान के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है। इससे संस्थान को डीडीए को पूर्व में दिए गए अतिरिक्त 20 लाख रू. का मुआवजा/समायोजन करने में भी मदद मिलेगी।

(ख) द्वारका भूखंड के आवंटन पत्र के खण्ड (अ) के अनुसार भूखंड पर कब्जा मिलने की 02 वर्ष की अवधि के भीतर भूखंड के निर्माण कार्य को स्वीकृत योजनानुसार पूरा किया जाना था। संस्थान ने

पहले ही आवंटित भूखंड पर निमार्ण कार्य करने हेतु केलोनिवि के पास 4.46 करोड रू. जमा करा दिये हैं। परन्तु कुछ तकनीकी तथा कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयों के कारण शहरी विकास मंत्रालय तथा डीडीए द्वारा संस्थान को अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी। संस्थान द्वारा केलोनिवि तथा दिविप्रा में संबद्ध प्राधिकारियों को अनुस्मारक भिजवाये गये, किन्तु निर्माण कार्य अभी भी लंबित है। संस्थान को संबद्ध प्राधिकरणों से मामले के निपटान हेतु संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

उपर्युक्त की समीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2008–09 में केलोनिवि ने दिविप्रा को शहरी विकास मंत्रालय (वाणिज्य प्रभाग) का ज्ञा. सं. 180111/8/2008–डब्ल्यू को दिनांक 01.07.2008 के द्वारा आवष्यक संषोधनों सहित 29.05.2008 को भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए भेजा। दिविप्रा की मांग के अनुसार, केलोनिवि ने अपने पत्र सं. 23(71)डीडीए/1401 दिनांक 25.07.2008 के द्वारा दिविप्रा के पास योजना शुल्क की फीस के रूप में 35,800/– रूपए की राशि जमा कराई थी। केलोनिवि ने दिनांक 30.10.2009 के पत्र सं. 23(71)डीडीए/6271 द्वारा इंगित किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया है तथा दिविप्रा के साथ ईओटी पर कार्य चल रहा है। साथ ही, दिविप्रा से निवेदन किया गया है कि वह भवन योजना को स्वीकृति दी जाए ताकि एनआईएसडी की बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया जा सके। उन्होंने 4.46 करोड़ रूपए की प्राप्ति की भी पुष्टि की जिसे अब 23.62 करोड़ रू0 (भवन निर्माण की लागत) के साथ समायोजित कर दिया गया है, शेष 19.16 करोड़ की राषि किस्तों में मांगी गई है।

(ग) इसके अलावा, जनकपुरी वाले भूखंड के परिप्रेक्ष्य में दिविप्रा ने संस्थान को सूचित किया है कि संस्थान को द्वारका, सेक्टर–10 वाले भूखंड के अतिरिक्त एक वैकल्पिक भूखंड इस शर्त पर आवंटित किया जाएगा कि जनकपुरी वाले भूखंड को दिविप्रा को वापस सौंप दिया जाए तथा 1988 से अब तक की अवधि का किराया तथा नये भूखंड हेतु रू. 26 लाख प्रति एकड़ व 2.5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया अदा किया जाए। यद्यपि यह मामला अभी तक लंबित है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि संस्थान द्वारा अवरोधित कोष का लक्षित कार्यों में उपयोग किया जा सके।

उपर्युक्त की समीक्षा में देखा गया कि यह मामला दृढ़ निर्णय के अभाव में अभी भी लंबित है। संस्थान को संबंधित प्राधिकरणों से आवष्यक कदम उठाने हेतु सतत प्रयास करने चाहिएं अथवा दिविप्रा से उनकी मांग निरस्त करने का अनुरोध करना चाहिए।

(3) संस्थान की कार्यकारी परिषद और नियंत्रक निकाय द्वारा उप–नियमों का अनुमोदन कर दिया है। तथापि, यह पाया गया कि इन्हें सरकार (अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) से अनुमोदित किए जाने की जरूरत है।

वर्ष 2011–12 हेतु उपरोक्त की समीक्षा से यह पता चलता है कि मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास अभी भी लंबित है।

4. हमने पाया कि 31 मार्च, 2012 को 2004–05 से 2011–12 की अवधि के संबंधी में 'सहयोगी एजेंसियो को अग्रिम' में रू. 8,54,57,615 बकाया थे जिसमें से रू. 1ए98ए19ए510 को बिना किसी चुकौती/समायोजन गत वर्ष से आगे लाया गया है। इसके अतिरिक्त, सहयोगी एजेंसियों को 1983–84 से 2003–04 के संबंध में रू. 69,19,459 की राषि के बकाया पर कोई कार्रवाई नहीं थी। सूचना के अभाव में, हम इन अग्रिमों की सत्यता और उसकी वसूली के संबंध में सुनिष्चित करने में असमर्थ हैं।

5 हालांकि, संस्थान लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली अपनाई जा रही है लेकिन यह देखा गया कि विगत वर्ष अर्थात 2010–11 के कुछ व्यय को चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के संबंध में किए गए व्ययके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. लेखांकन नीतियों और प्रक्रियाओं की सख्त अनुपालन के लिए समीक्षा की जाएगी क्योंकि इनका अनुसरण और पालन नहीं किया गया है जैसेकिः

क. एनआईएसडी की नीति के अनुसार कार्यक्रमों, एलटीसी और अन्य व्यय के लिए गए अग्रिम की राषि का एक माह की अवधि के भीतर लेखांकन कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामतः कतिपय व्यय में असामान्य कमी/वृद्धि हो रही है।

ख. व्ययों को संबंधित वित्तीय वर्ष में वित्तीय बहियों में दर्ज/लेखांकित नहीं किया गया है।

7. ऐसा पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में आयकर अधिनियिम, 1961 की धारा 194 ग के तहत टीडीएस नहीं घटाया गया थाः

क्र. सं.	पार्टी का नाम	बिल सं.	दिनांक	विवरण	राशि रू.	टीडीएस रू.
1.	ईएसएफ सिक्यूरिटीज	पी 6/67	27.05.2011	फरवरी, 2011 माह के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं	17224	172
2.	पाबला एण्ड कं.	पी 7/190	04.07.2011	सरकारी प्रयोजन के लिए टैक्सी	57000	570
3.	बत्रा इलेक्ट्रिकल्स	पी 7/391	20.09.2011	मादक पदार्थ दुरूपयोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष प्रकाश व्यवस्था	103351	1034
4.	दीपांक फर्नीचर वर्कस	पी 6/672	02.01.2012	सोफा सैट का नवीकरण	66275	663
5.	नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमि.	पी 6/718	10.01.2012	77 वर्गमीटर का नया वर्टिकल ब्लाइंडस लगवाना	99619	1992
6.	दीपांक फर्नीचर वर्कस	पी 6/1105	21.03.2012	पेंटिंग और एल्युमिनियम दरवाजों की मरम्मत	59136	591

8. यह भी पाया गया कि वर्गिस कुमार झा द्वारा मीडिया संबंधी कार्य पर परामर्श के लिए किए गए भुगतान के संबंध में उन्हें जारी पावती के सिवाय कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

9. यह भी देखा गया कि वर्मा सिक्यूरिटी एण्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमि. को सुरक्षा और सफाई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान में रिकॉर्ड में उपस्थिति शीट नहीं है।

वर्ष के दौरान, एनआईएसडी ने 980.007 रूपए की राशि को ऋण के शेष को बट्टे खाते में डाला है और 3,329,735 रूपए की राशि को ऋण शेष में डाला है।

प्रकृति	शीर्ष	राशि
आस्ति	केलोनिवि–इलेक्ट्रिक प्रभाग	146864
	सरकार सेवक लोन	135608
	अन्य स्रोतों के लिए अग्रिम	634936
कुल राशि		**980007**
	स्टाफ अग्रिम	62599
देनदारियां	जमानत राशि और पुस्तकालय सुरक्षा जमा	213100
	विभिन्न प्रकार के ऋण	200677
	गैर सरकारी संगठनों को विविध अग्रिम	1330949
	देय व्यय – अन्य वर्तमान देनदारियां	17214
	स्टाफ अग्रिम का क्रेडिट शेष	1567795
कुल राशि		**3329735**

हमें सूचना दी गई है कि इन शेष राशियों को पूर्व वर्षों में त्रुटियों की वजह से बट्टे खाते में डाला गया है। तथापि, रिकॉर्ड में बट्टे खाते में डालने के लिए कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरम, नई दिल्ली
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
योजनाओं हेतु भुगतान			**सहायता अनुदान**	**62,500,000.00**	**79,000,000.00**
शिशु देखभाल कार्यक्रम– योजना	8,168,074.00	2,692,031.00			
मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम कार्यक्रम और मानीटरिंग प्रणाली– योजना	21,818,128.00	8,295,357.00			
मीडिया कार्य–योजना	1,206,184.00	832,386.00	फार्म की बिक्री / टेंडर शुल्क	250.00	15,220.00
वृद्धावस्था कार्यक्रम व्यय–योजना	20,534,241.00	10,537,998.00	विविध आय	19,130.00	43,662.00
अनुसंधान प्रभाग	34,520.00	0.00			
कार्यालय व प्रशा. व्यय–आयोजना			**अन्य आय**		
लेखापरीक्षा शुल्क	106,742.00	106,742.00	अब देनदारियां अपेक्षित नहीं हैं।	10.00	366,075.00
कंप्यूटर मरम्मत एवं रख–रखाव– –योजना	62,100.00	18,420.00	बट्टे खाते में डाली गई मद	2,349,728.00	0.00
परिवहन व्यय– योजना	56,700.00	50,285.00			
एएमसी कार्यालय उपकरण– योजना	0.00	388,500.00			
एएमसी कार्यालय सॉफटवेयर– –योजना	0.00	440,000.00			
मूल्यह्रास	847,176.00	1,050,472.00			
विद्युत व्यय–योजना	0.00	3,290.00			
आम परिषद की बैठक––योजना	121,654.00	205,477.00			
मानदेय व्यय–योजना	115,000.00	116,500.00			
हिंदी प्रतियोगिता व्यय ––योजना	23,590.00	31,300.00			
समाचार पत्रए पुस्तक व पत्रिकाएं– –योजना	83,386.00	54,481.00			
कार्यालय मरम्मत व रख–रखाव –योजना	777,619.00	167,669.00			
कार्यालय सुरक्षा– योजना	955,064.00	722,564.00			
कार्यालय स्टेशनरी और मुद्रण– –योजना	422,167.00	620,890.00			
पोस्टेज और स्टेंप और कुरियर––योजना	92,200.00	40,482.00			

व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रोफेशनल व्यय–योजना	3,307.00	0.00			
बागवानी व्यय–योजना	5,014.00	0.00			
वेतन/बकाया/ महंगाई भत्ता बकाया –योजना	2,221,511.00	1,823,481.00			
स्टाफ कल्याण– योजना	0.00	98,055.00			
यात्रा भत्ता दावा व भत्ते –योजना	300,737.00	235,134.00			
टेलीफोन व्यय– योजना	175,482.00	202,895.00			
टयूशन फीस–योजना	0.00	41,860.00			
वाहन चालन एवं रख–रखाव –योजना	206,805.00	243,098.00			
वहन किराया प्रभार	89,386.00	0.00			
मजदूरी –योजना	97,642.00	54,841.00			
एलटीसी व्यय– योजना	268,847.00	6,829.00			
कार्यालय व्यय – विविध योजना	99,420.00	31,287.00			
अवकाश वेतन व पेंशन योगदान –योजना	2,222,532.00	1,824,090.00			
यात्रा व्यय/ भत्ता –योजना	151,940.00	149,143.00			
वैबसाइट रख–रखाव प्रभार	0.00	0.00			
विज्ञापन व्यय	0.00	29,152.00			
समयोपरि भत्ता	73,622.00	0.00			
कार्या. व प्रशा. व्यय– गैर –योजना					
बैंक प्रभार	1,452.00	790.00			
कार्यालय उपकरण मरम्मर और रख–रखाव गैर –योजना	1,150.00	70,940.00			
अवकाश वेतन व पेंशन योगदान गैर –योजना	49,218.00	0.00			
एलटीसी व्यय गैर .योजना	102,320.00	141,055.00			
मेडीकल प्रतिपूर्ति– गैर –योजना	105,355.00	308,772.00			
वेतन मूल/ बोनस पेशन योगदान– गैर –योजना	10,484,856.00	9,926,050.00			
शिक्षण शुल्क गैर .योजना	402,265.00	309,925.00			
अर्जित अवकाश नकदीकरण– गैर–योजना	66,857.00	81,277.00			
व्यय की तुलना में आय की अधिकता टी/एफ से बी/एस	–10,034,873.00	20,565,872.00			
कुल	**62,519,390.00**	**62,519,390.00**	**कुल**	**62,519,390.00**	**79,424,957.00**

अरुण सिंह एण्ड कं संस्थान

कृते राष्ट्रीय समाज रक्षा
चार्टेड एकाउंटेंटस

ललिता रानी लाल संगलूर	**डी सी जया राजू**	**रवि कपूर**
कैशियर	**निदेशक**	**उप निदेशक–प्रशा.**	**साझीदार**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरम, नई दिल्ली
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्यिां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रारंभिक शेष को				**पूंजी क्रय योजना**			
कैश इन हैंड	2,501.00		119,613.00	पुस्तकों की खरीदारी		5,107.00	0.00
सिंडिकेंट बैंक 405	174,883.00		174,883.00	कंप्यूटर की खरीदारी		0.00	0.00
सिंडिकेंट बैंक 451	44,907,824.00	45,085,208.00	15,737,039.00	फर्नीचर की खरीदारी		0.00	0.00
				फोटोस्टेट मशीन की खरीदारी		0.00	0.00
सहायता अनुदान				**कार्यालयी उपकरणों की खरीदारी**		**0.00**	**0.00**
मंत्रालय से		0.00	0.00	प्रिंटर का भुगतान		0.00	0.00
विशेष सहायता अनुदान		62,500,000.00	79,000,000.00	वाटर डिस्पेंशर की खरीदारी		0.00	0.00
यूनिसेफ से निधियां		0.00	0.00	वैब पोर्टल के लिए भुगतान		0.00	0.00
				के लिए भुगतान		0.00	0.00
राजस्व प्राप्तियां				**सॉफ्टवेयर की खरीदारी**		**90,720.00**	**0.00**
फार्मो की बिक्री		250.00	15,220.00				
कॉशन मनी और पुस्त. प्रतिभूति और ईएमडी जमाराशि		0.00	0.00	**अग्रिम और जमा योजना**			
विविध आय योजना		19,130.00	41,544.00	एनजीओ को प्रशि. हेतु अग्रिम भुगतान		44,818,135.00	22,300,618.00
टेंडर शुल्क		0.00	0.00	स्टाफ अग्रिम		3,380,191.00	3,390,625.00
				केलोनिवि को अग्रिम		0.00	0.00
अग्रिम के अव्यय बकाया की वापसी		2,380,967.00	3,401,800.00	सरकारी सेवकों को लोन		0.00	0.00
				मोटरसाईकिल/साईकिल/ कार अग्रिम		7,500.00	24000
				प्रतिभूति जमा		0.00	10000
				राजस्व व्यय योजना			
				लेखापरीक्षा शुल्क योजना		0.00	0.00
				शिशु देखभाल कार्यक्रम– .योजना		535,450.00	1,274,660.00

प्राप्तियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
				कंप्यूटर मरम्मत एवं रख–रखाव– –योजना		62,100.00	18,420.00
				यात्रा प्रभार–योजना		56,700.00	50,285.00
				मादक द्रव्य दुरुपयोग रोकथाम कार्यक्रम और मानीटरिंग प्रणाली– –योजना		2,647,417.00	4,469,363.00
				विद्युत व्यय– .योजना		0.00	3,290.00
				आम परिषद की बैठक––योजना		29,929.00	128,717.00
				हिंदी प्रतियोगिता व्यय–योजना		24,000.00	23,600.00
				मानदेय व्यय –योजना		115,000.00	116,500.00
				मीडिया कार्य– योजना		271,203.00	251,749.00
				समाचार पत्रए पुस्तक व पत्रिकाएं– –योजना		83,386.00	54,481.00
				वार्षिक रख–रखाव ठेका–योजना		0.00	828,500.00
				कार्यालय मरम्मत व रख–रखाव –योजना		7,320,029.00	157,321.00
				कार्यालय सुरक्षा– .योजना		926,064.00	704,864.00
				कार्यालय स्टेशनरी और मुद्रण– –योजना		422,167.00	620,346.00
				वृद्धावस्था कार्यक्रम व्यय– –योजना		2,431,611.00	2,523,969.00
				बागवानी व्यय –योजना		5,014.00	0.00
				बैबसाईट रखरखाव व्यय		0.00	0.00
				पोस्टेज और स्टेंप .योजना		72,676.00	40,482.00
				पत्रकारिता प्रकाशन व मुद्रण–योजना		0.00	0.00
				प्रोफेशनल व्यय .योजना		3,307.00	0.00
				वेतन बकाया/ डीए बकाया/ बोनस/ पेंशन योगदान–योजना		2,918,584.00	4,765,606.00
				स्टाफ कल्याण .योजना		0.00	98,055.00
				टयूशन फीस–योजना		0.00	41,860.00
				यात्रा भत्ता दावा व भत्ते –योजना		306,602.00	235,134.00
				टेलीफोन व्यय –योजना		175,482.00	202,895.00
				यात्रा व्यय/ भत्ता .योजना		164,147.00	148,143.00
				योजना		206,805.00	240,561.00
				वाहन हायरिंग प्रभार		89,386.00	0.00
				मजदूरी –योजना		97,642.00	54,841.00
				एलटीसी अग्रिम –योजना		0.00	0.00
				एलटीसी व्यय –योजना		132,181.00	6,829.00
				विविध कार्यालय व्यय .योजना		97,420.00	30,887.00

प्राप्तियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
				समयोपरि भत्ता		73,622.00	0.00
				वेतन व्यय योजना		1,410,868.00	1,520,678.00
				विज्ञापन व्यय		0.00	29,152.00
				गैर योजना व्यय			
				बैंक प्रभार		0.00	790.00
				कार्यालय उपकरण मरम्मर और रख–रखाव गैर –योजना		0.00	70,940.00
				एलटीसी व्यय गैर .योजना		30,419.00	43,193.00
				मेडीकल प्रतिपूर्ति– गैर .योजना/ मेडीकल अग्रिम		105,355.00	397,919.00
				एलटीसी अग्रिम गैर –योजना		42,858.00	88,667.00
				वेतन/अवकाश वेतन/जीआर+ गैर योजना/ बोनस/पेंशन अंशदान–गैर योजना		7,389,586.00	7,287,723.00
				शिक्षण शुल्क गैर योजना		401,683.00	309,925.00
				त्योहार अग्रिम		71,250.00	42,000.00
				विविध क्रेडिटर्स व अग्रिम		997,509.00	716,026.00
				अर्जित अवकाश नकदीकरण– गैर–योजना		66,857.00	81,277.00
				अंतिम शेष			
				कैश इन हैंड	4,001.00		
				सिंडिकेंट बैंक 405	174,883.00		
				सिंडिकेंट बैंक 451	31,720,709.00	31,899,593.00	45,085,208.00
कुल		**109,985,555.00**	**98,490,099.00**	**कुल**		**109,985,555.00**	**98,490,099.00**
					0.00		

कृते राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

अरुण सिंह एण्ड कं.
चार्टेड एकाउंटेंटस

ललिता रानी
कैशियर

लाल संगलूर
निदेशक

डी सी जया राजू
उप निदेशक–प्रशा.

रवि कपूर
साझीदार

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरम, नई दिल्ली

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	31.03.2012	31.03.2011
अनुलग्नक क		
जमानत राषि और पुस्तकालय प्रतिभूति जमा		
जमानत राषि और पुस्तकालय प्रतिभूति जमा	181100	181100
गार्जियन एजेंसी, नई दिल्ली	10000	10000
किरन नर्सरी प्लांटस, नई दिल्ली	3000	3000
नेशनल ग्रीन डेकोर, नई दिल्ली	3000	3000
न्यू प्रियंका नर्सरी, शकरपुर	3000	3000
वर्ना ग्रीन वेस, नई दिल्ली	3000	3000
वर्ना सिक्यूरिटीज, नई दिल्ली	10000	10000
कुल	**213,100**	**213100**
अनुलग्नक ख		
विविध क्रडिटर्स		
डी सी गर्ग एंड कं.	1854	1854
आर के गोविल एंड कं.	126485	126485
वर्मा सिक्यूरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज	67282	67282
अरुण सिंह एंड कं.	192136	96068
कुल	**387757**	**291689**
अनुलग्नक ग		
प्रशिक्षण अग्रिम		
स्ट्रीट शिक्षकों के लिए परामर्श कौशल	174912	174912
दिल्ली समाज कार्य विद्यालय	170656	170656
समाज रक्षा विभाग, चैन्नई	361670	76390
पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली	17454	11454
निदेशक, समाज कल्याण, केरल सरकार, तिरुअनंतपुरम	120115	120115
भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रदर्शनी	38500	38500
नाहोन्या की प्रदर्शनी	54538	54538
प्रमुख समाज कार्य विभाग– कोयंबटूर	46996	46996
महात्मा ज्योतिभा प्राकृतिकि चिकित्सा कल्याण समिति	3650	3650
नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन,नई दिल्ली	9276	9276
समाज कार्य विभाग–दमन	72583	72583
नशीले पदार्थों से प्रभावित बच्चों की विशेष देखभाल	136190	136190
द्वारका में एनआईपीएसटेक	20600	0
अंदमान निकोबार सामाजिक कल्याण महानिदेषालय	27305	0
आईडब्ल्यूसीडीसी इम्फाल	37775	0
समाजिक न्याय और अधिकारिता, हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला	59329	0
कुल	**1351549**	**915260**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरम, नई दिल्ली

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	31.03.2012	**31.03.2011**
अनुलग्नक घ		
सीजीईआईजीएस देय	1020	1050
सीएचएस देय	4100	4325
ईपीएफ देय– गैर योजना	180500	167450
जीपीएफ देय– योजना	24000	22,650
एचबीए वसूली देय	2240	6100
आयकर देय	13612	12000
लइसेंस फीस देय	2366	2488
एलआईसी देय	24880	19859
विविध वसूली	96576	955666
वेतन देय–गैर योजना	619700	641774
वेतन देय–योजना	125319	128493
टीडीएस देय	20786	1067
	115099	**1112429**
अनुलग्नक ड		
स्टाफ का क्रेडिट शेष		
सुसान चौधरी	0	13674
विश्वनाथ प्रसाद	0	37750
मनोज हतोज	0	92000
डा. आर. गिरीराज	0	31194
कुल	**0**	**174618**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरमए नई दिल्ली

अनुलग्नक च **वित्त वर्ष 2010–11**

	सकल ब्लॉक					वर्ष के				निवल ब्लॉक	
विवरण	मूल्यह्रास	01.04.2010	अतिरिक्त	समायोजन	31.03.2012	01.04.2011	दौरान	समायोजन	31.03.2012	31.03.2012	31.03.2011
	दर	को			को	को	मूल्यह्रास		को	को	को
कंप्युटर	60%	3876076.00	0.00	0.00	3876076.00	3852890.80	13911.12	0.00	3866801.92	9274.08	23185.20
फर्नीचर व पिक्स्चर	10%	5852313.00	0.00	0.00	5852313.00	3210833.70	264147.93	0.00	3474981.63	2377331.37	2641479.30
विद्युत उपकरण	15%	1933344.00	0.00	0.00	1933344.00	1308254.00	93763.50	0.00	1402017.50	531326.50	625090.00
वाहन	20%	849568.00	0.00	0.00	849568.00	805777.60	8758.08	0.00	814535.68	35032.32	43790.40
कार्यालय उपकरण	15%	5923575.00	0.00	0.00	5923575.00	3707773.75	332370.19	0.00	4040143.94	1883431.06	2215801.25
वैबसाइट	60%	720100.00	0.00	0.00	720100.00	714498.00	3361.20	0.00	717859.20	2240.80	5602.00
वैब पोर्टल	60%	1352250.00	0.00	0.00	1352250.00	1346044.40	3723.36	0.00	1349767.76	2482.24	6205.60
सॉफ्टवेयर	60%	473555.00	90720.00	0.00	564275.00	460808.60	34863.84	0.00	495672.44	68602.56	12746.40
भूमि	0%	5011768.00	0.00	0.00	5011768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5011768.00	5011768.00
पुस्तके	60%	794633.00	5107.00	0.00	799740.00	786736.60	6269.94	0.00	793006.54	6733.46	7896.40
फोटोस्टेट मशीन	15%	346767.00	0.00	0.00	346767.00	96227.80	37580.88	0.00	133808.68	212958.32	250539.20
प्रिंटर	60%	472658.00	0.00	0.00	472658.00	397032.80	45375.12	0.00	442407.92	30250.08	75625.20
वाटर डिस्पेंसर	15%	28150.25	0.00	0.00	28150.12	7812.20	3050.71	0.00	10862.91	17287.21	20338.05
कुल		**27,634,757**	**95,827**	**.**	**27,730,584**	**16,694,690**	**847,176**	**.**	**17,541,866**	**10,188,718**	**10,940,067**
पिछले वर्ष के आंकडे		**27,634,757**	**.**	**.**	**27,634,757**	**15,644,218**	**1,050,472**	**.**	**16,694,690**	**10,940,067**	**11,990,540**

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
		31.03.2011	31.03.2010
	अनुलग्नक छ		
	सहयोगी एजेंसियों को अग्रिम		
1	आसराए नई दिल्ली	114637	114637
2	अभय मिशनए अगरतला	1352440	1096280
3	पुलिस अपर महानिदेशक,, चैन्नई	74483	74483
4	एम्सए दिल्ली	458200	458200
5	ऑल त्रिपुरा एससी/एसटी एमएमयूसी अगरतला	3670	3670
6	अल्पसंख्यक एवं हरिजन एसकेके	0	79000
7	एल्जाइमर्स सोसायटी (एआरडीएसआई) केरल	2989847	347641
8	अन्ना प्रबंधन संस्थान	117572	117572
9	अनुराग दिल्ली	881265	1261465
10	कलकत्ता, एमआईजीके	980025	1179485
11	कलकत्ता स्मारिटनसए कोलकाता	3054025	3208184
12	सेंटर फोर एक्शन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंगए भुवनेश्वर	3803710	3030140
13	सेंटर फोर एक्शन रिसर्च ऑन एएसवीयू . तिरुपति	22400	22400
14	सामाजिक कल्याण विभागाध्यक्ष, हैदराबाद	206600	206600
15	मुख्य समन्वयकए बाल सखा पटना	154886	192000
16	बाल देखभाल कार्यक्रम ;राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान)	411142	411142
17	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई	4293533	4293533
18	गली में जीवनयापन करनेवाले और कामकाजी बच्चों के लिए नगर स्तरीय कार्यक्रम कार्रवाई, कोलकाता	0	76669
19	कोर केयर फाउंडेशन, दिल्ली, भारत	22400	44800
20	डीएआईआरआरसीए मुंबई	240000	240000
21	लेखापरीक्षा विभाग, सीई, दिल्ली विश्वविद्यालय	97874	97874
22	जनसंख्या अध्ययन विभाग.	137800	137800
23	सामाजिक और एएसमपी कल्याण . नागालैंड	134000	134000
24	सामाजिक और एएसमपी कल्याण महिला देव कोहिमा	132700	132700
25	समाज रक्षा विभाग. गुजरात	205987	577657
26	समाज रक्षा विभाग, मणिपुर सरकार, इम्फाल	406700	268900
27	समाज रक्षा विभाग. गुवाहाटी	729844	729844
28	सामाजिक कल्याण विभाग. जयपुर	420900	420900
29	सामाजिक कार्य विभागए आंध्र प्रदेश, विश्वविद्यालय	191000	183400

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
30	सामाजिक कार्य विभागए मेघालय सरकार	239800	239800
31	सामाजिक कार्य विभागए दिल्ली विश्वविद्यालय	700551	700551
32	महिला और एएमपी बाल विकास विभागए कर्नाटक	164695	164695
33	समाज रक्षा विभाग, चंडीगढ़	134300	134300
34	विकास कल्याण अनुसंधान फाउंडेशन	119784	119784
35	सामाजिक कल्याण विभाग,मणिपुर सरकार,इम्फाल		
36	पुलिस डीआईजीए भोपाल रेंज	98580	98580
37	पुलिस विभागए सीआरपीएफए नईदिल्ली	51000	51000
38	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार	198623	198623
39	पुलिस महानिदेशक,, मुंबई	156750	156750
40	महानिदेशक, आरसीवीपी, ननोर्नहा	135150	135150
41	निदेशक, किशोर डब्ल्यूसीएसऔर अनुसूचित जाति, कर्नाटक	234700	127948
42	निदेशक, लेडी इरविन	5000	5000
43	निदेशक, निमहांस बंगलौर	750333	750333
44	निदेशक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़	225712	87912
45	निदेशक, सामाजिक रक्षा, तमिलनाडु सरकार	452882	457882
46	निदेशक, समाज कल्याण, अंडमान और निकोबार	0	112688
47	निदेशक, समाज कल्याण, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	0	110413
48	समाज रक्षा निदेशक,केरल	437682	575482
49	समाज रक्षा निदेशक, मिजोरम	499512	499512
50	समाज रक्षा निदेशक,पांडिचेरी	131912	131912
51	समाज रक्षा निदेशक, त्रिपुरा	131912	131912
52	महिला एवं बाल विकास विभाग, मुंबई	226646	226646
53	दिव्य दिशा, हैदराबाद	209956	209956
54	डोवए हैदराबाद	89000	85000
55	औषध डिवीजन कार्यक्रम ;राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान)	819983	819983
56	फ्रूट एण्ड बड वेलफेयर एसोसिएशन	172800	204300

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
57	गैलेक्सी क्लब . इम्फाल	4133902	4502902
58	राज्य बाल आयोग, गोवा	90574	90574
59	ग्रीन वैली फाउंडेशन, विशाखापट्नम	0	0
60	गुरु तेगबहादुर शिक्षा	0	79000
61	गुजरात पुलिस अकादमी, गुजरात	125845	125845
62	हमदर्द स्वास्थ्य अनुसंधान	79000	79000
63	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	264612	264612
64	हीलिंग टच	242740	258240
65	स्वास्थ्य मेला सासाराम . बिहार	187326	187326
66	हैरिटेज फाउंडेषन–हैदराबाद	1421300	530700
67	होटल सम्राट, नई दिल्ली	1400000	1400000
68	आईसीसीआई, नई दिल्ली	86967	86967
69	भारतीय जन . संचार संस्थान	20000	20000
70	इनस्टेप प्रौद्योगिकी	39674	39674
71	इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्डीज़ जयपुर	118588	118588
72	न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	152874	152874
73	एकीकृत महिला एवं बाल विकास केंद्र	539575	596175
74	अंतर्राष्ट्रीय दीर्घायु सेंटर, इंडिया	855906	681506
75	अंतर्राष्ट्रीय युवक हॉस्टल, ट्रस्ट नई दिल्ली	182775	182775
76	पूर्वोत्तर भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद संबंधी	0	355320
77	इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, नई दिल्ली	0	668800
78	आईडब्ल्यूसीडीसी इम्फाल	0	281825
79	जया प्रकाश इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज कोलकाता	984073	869973
80	जुवेनाइल वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रनए हैदराबाद	109929	109929
81	कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर	95086	98043
82	कृपा फाउंडेशन कोहिमा नागालैंड	5088900	3720900
83	कृपा फाउंडेशन, मुंबई	1139203	930603

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
84	लोक कल्याण जन सभा, शाजापुर	4582	79938
85	लोक कल्याण जन सभा, अमिति, भोपाल	85000	85000
86	मदतए भुवनेश्वर	1041202	164822
87	मदुरै सामा रक्षा संस्थान	520800	207400
88	मानस्वी	48060	203560
89	विविध कार्यक्रम ;खाता प्रभागद्ध	3000	3000
90	मिजोरम समाज रक्षा एवं पुनर्वास बोर्ड	3795547	3539297
91	मुक्तांगन मित्र, पुणे	7103752	6263117
92	एनएडीए भारत फाउंडेशन	82400	82400
93	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	158400	158400
94	नशाबंदी मंडल	66004	66004
95	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	125000	125000
96	नई एकीकृत ग्रामीण प्रबंधन अभिकरण योजना	374600	374600
97	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	210918	210918
98	नाईटिनगेल मेडिकल ट्रस्ट, बंगलौर	2284426	943526
99	निर्वाण हल्द्वानी	79000	79000
100	निर्वाण, लखनऊ	218377	218377
101	नॉर्थ ईस्ट सोसायटी प्रोमोशन आफ यूथ एंड मास	21959	21959
102	ओल्ड एज केयर डिवीजन	93544	93544
103	ओपन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर	232530	383933
104	उड़ीसा बाल कल्याण राज्य परिषद	68859	206659
105	पंडित बचपन पांडे महिला विकास भवन	79000	79000
106	पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, चेन्नई	64354	110600
107	पूर्व लेखा अधिकारी, डीएवीपी नई दिल्ली	682013	682013
108	प्रधानाचार्य, उदयपुर स्कूल आफ एसईयू, राजस्थान	86724	137800
109	जेल विभाग,उड़ीसा सरकारए भुवनेश्वर	132700	132700
110	प्रयासए नई दिल्ली	45096	45096
111	पीएसजी कला और विज्ञान कॉलेज	136200	136200

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
112	पीएसजीआर कृष्णामल महिला कॉलेज, कोयंबटूर	1159280	912680
113	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर	526800	736969
114	रजिस्ट्रार, जैन विश्वभारती यूएल,– राजस्थान	137800	137800
115	रजिस्ट्रार एमजीसीजीवीसीए सतना	240000	240000
116	रेस्पेक्ट एजए इंटरनेशनलए आगरा	864160	850460
117	सार्ड	67000	67000
118	सौहार्दए नई दिल्ली	322300	178300
119	शोषित महिला संस्थान	79000	79000
120	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	0	261871
121	महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा, चंडीगढ़	132700	132700
122	सामाजिक कल्याण, मेघालय सरकार	296500	296500
123	समाज कार्य विभाग, मैसूर	231400	231400
124	युवा और पददलित अधिकारिता सोसायटी,	138776	138776
	एसपीवाईएमए नई दिल्ली	4375219	6349457
125	श्री वेंकटेशवर विश्वविद्यालय, तिरूपति	45881	183298
126	सुप्रिया शिक्षा, दिल्ली	19160	19160
127	तेलम रिसर्च फाउंडेशन	0	331400
128	तेज राम फाउंडेशन दिल्ली	22400	129100
129	संस्थापक अध्यक्ष एमआईओएसएसए मदुरै	321200	321200
130	त्रिवेंद्रम समाज सेवा सोसायटी	0	76933
131	टीटी रंगनाथन क्लिनिकल फाउंडेशन, चेन्नई	2070763	1842059
132	उत्तर प्रदेश मैनेजमैंट अकादमीए लखनऊ	135517	135517
133	विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, कोलकाता	2085488	3894073
134	डब्ल्यूएसईडीपीए नई दिल्ली	400400	292700
135	आश्रिता,	200000	0
136	बडौदा नागरिक परिषद, बडोदरा, गुजरात	320800	0
137	भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय,	192800	0
138	सेंटर फोर जिरोंटोलॉजिकल स्टडीज, केरल	181200	0

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
139	चेंगनचेरी समाज रक्षा सोसायटी, केरल	1598900	591500
140	महिला एवं बाल विकास विभाग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	150271	199000
141	डॉ. नंदामा मौजेज चेरिटेबल ट्रस्ट, विशाखपटनम	15000	0
142	ईटीआर फोर दी डिसेबल्ड, केरल	95240	0
143	फोटो एण्ड मैन एसोसिएटस , भुवनेश्वर	95240	0
144	फाउंडेशन ऑफ रिकवरी एंड एनहांसमेंट	95240	0
145	गुंजन, सामुदायिक विकास संगठन, धर्मशाला	631000	0
146	हैल्थ फिटनेस ट्रस्ट	40000	0
147	हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ आट्र्स और साइंस, कोयंबटूर, तमिलनाडु	190935	199400
148	भारतीय शराब नीति एलायंस, नई दिल्ली	939000	138000
149	इंडिया हार्म रिडक्शन वर्क	120000	0
150	कृपा फाउंडेशन, गोवाहाटी	15000	0
151	लव इन एक्शन, मणिपुर	272280	0
152	लखनउ विश्वविद्यालय	101200	0
153	मनोहमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय	299000	0
154	माताश्री बहुउद्देश्यीय विकास शिक्षण संस्थान	91200	0
155	द्वारका में एनआईपीएसटेक	0	329600
156	अफीम नशा मुक्ति उपचार अनुसंधान संस्थान, राजस्थान	789000	0
157	परिमार्जन	86400	0
158	आरआरटीसी, आईआरडीईओ, वांगाबाल	528080	0
159	समर्थ, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली	221800	385200
160	समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	199240	199240
161	सोसाइटी आफ एंपावरमेंट एंड एडवोकेसीए भरतपुर	623400	28800
162	तमिलनाडु पुलिस अकादमी, चेन्नई	149646	117224
163	टीटीके अस्पताल ;आरआरटीसी दक्षिण), चेन्नई	301200	310262
164	उरिवी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट	15000	82400
	कुल	85457615	8054998

अनुलग्नक एच
1983–84 से 2003–04 के पुराने बकाए का वर्षवार संक्षिप्त ब्यौरा

वर्ष	31.03.10 को	31.03.11 तक क्लीअर	31.03.10 को
1983.84 से 1993.94	3288633	0	3288633
1994.95 से 2003.04	0	0	0
1996.97	0	0	0
1997.98	0	0	0
1998.99	0	0	0
1999.00	1900730	0	1900730
2000.01	1730096	0	1730096
2001.02	0	0	0
2002.03	0	0	0
2003.04	0	0	0
कुल	**6919459**	**0**	**6919459**

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आर. के. पुरम, नई दिल्ली

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	31.03.2012	31.03.2011
अनुलग्नक आई		
स्टाफ अग्रिम		
	0	4150
अनिल कुमार भट्ट	0	1552
अनिल कुमार ;उश्रेलि)	0	18692
अरुण कुमार गुप्ता	0	48425
सी सरस्वती	24810	59810
डी सी गया राजू	751250	711649
डा आर गिरीराज	90000	3772
मनोज हतोज	25000	0
एम सुनिल कुमार	121337	0
निशांत कुमार विश्वकर्मा	65000	0
राकेश कुमार	0	1855
विश्वनाथ प्रसाद	200	0
पुनम रानी	2153300	1617792 0
	18950	
कुल	**3249847**	**2467697**

अनुलग्नक जे

लेखांकन नीतियां और लेखांकन के लिए नोट

1) इस संस्थान को समाज रक्षा, वृद्धजन देखभाल और मादक द्रव्य दुरूप्योग के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और उनके के कार्यान्वयन के उद्देष्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 15.07.2002 को षामिल किया गया था। संस्थान की कार्य–प्रणाली के और अधिक सुदृढीकरण के लिए, इसे दिनांक 01.04.2004 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के तौर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

2) वित्तीय विवरणियां आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार एतिहासित लागत परंपरा के आधार पर और प्रोद्भूत विधि से तैयार की जाती हैं। सोसायटी द्वारा लेखांकन नीतियों का निरंतर पालन किया जा रहा है और पूर्व में प्रयोग में लाई गई नीतियों का अभी भी पालन किया जा रहा है।

3) मंत्रालय से विभिन कार्यक्रमों के आयोजन और संस्थान के रूटीन उद्देष्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त सभी अनुदानों को आय और व्यय लेखा में लेखांकित किया गया है।

4) मादक द्रव्य निवारण, बाल देखभाल, वृद्धजन देखभल, प्रषिक्षण कार्यक्रमों, सुग्राही कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आदि के विभिन्न कार्यक्रमों और वेतन एवं अन्य व्ययों जैसे विज्ञापन व्यय, कार्यालयी मरम्मत एवं रख–रखाव, संस्थान की संवीक्षा आदि को योजना व्यय माना गया है जबकि जॉब के लिए विषेष पदों, से इतर अन्य स्टाफ के वेतन व्यय जैसे एलटीसी प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाष आदि को गैर–योजना व्यय माना गया है।

5) **अचल परिसंपत्तियां**

अचल परिसंपत्तियों के भाडा षुल्क और करों और इसके वांछित प्रयोग के लिए अपेक्षित दषा में लाने के लिए परिसंपत्तियों पर सभी व्यय और परिसंपत्ति को प्रयोग में लाने की तिथि तक हुए खर्चे को समाविष्ट करते हुए अधिग्रहण लागत बताई गई है।

दिनांक 01.04.2004 से पूर्व आवष्यक अचल परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक को विभिन्न शीर्षों के तहत पूंजीगत दिखाया गया है और 31.03.2012 तक हुए मूल्यह्राय को परिसंपत्तियों की भिन्न श्रेणी के पृथक प्रावधान शीर्ष में अलग से क्रेडिट किया गया है।

5) **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विनिर्धारित दर पर रिटीन डाउन मूल्य विधि के आधार पर अचल परिसंपत्तियों पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 01.04.1996 से पूर्व खरीदी गई और रू0 5000/– से कम मूल्य की सभी परिसंपत्तियों का पूरी तरह मूल्यह्रास किया गया है।

7) **इनवेंटरी**

स्टोर के क्रय को व्यय में प्रभारित किया गया है। 31.03.2012 को स्टॉक में पडी क्लोजिंग स्टॉक सामग्री को सामग्री नहीं माना गया है। अतः इसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया गया है।

8) प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी के रूप में किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान किए व्यय और अर्जित आय दर्षाई जाती है।

9) आय और व्यय के खातों को वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान किए गए खर्च और अर्जित आय को दर्षाया जाता है।

10) कर्मचारियों के लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान, ग्रेच्युटी भुगतान पर सरकारी दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती। इसके अलावा, संस्थान के खातों में अलग प्रावधान किया जाता है।

11) वित्तीय वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अग्रिम की बकाया शेष राशि 31 मार्च 2011 को 0.69 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष 2011–12 में कोई वसूली नहीं की गई।

1983–84 से 1993–94	0.33 करोड़ रुपए
1994–95 से 2003–04	0.36 करोड़ रुपए
2004–05 से 2011–12	8.55 करोड़ रुपए
कुल बकाया	9.24 करोड़ रुपए

संस्थान, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठन, पुलिस अकादमियों आदि सहित अन्य संगठनों के साथ सहयोग करता है। प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर अनुसार अपनी गतिविधि के प्रयोजन के लिए अग्रिम प्रदान किया था। निरंतर आधार पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि छोटी सी अवधि के भीतर पूरे बकाया शेष राशि भलीभांति समायोजन हो जाए।

12. वर्ष 2011–12 के वर्तमान आंकडों के साथ– साथ पूर्व वर्ष 2010–11 के पिछले तुलनात्मक आंकड़े भी दिए गए हैं। तुलनात्मक आंकड़े तुलन–पत्र, आय और व्यय खाते, प्राप्तियों और भुगतान खाते और अनुसूचियों/अनुबंधों में भी संलग्न है।

13) अनुसूची सं. 'ए' से 'जे' तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं और तुलनात्मक रूप में तैयार किया गया है।

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

अरुण सिंह एंड कंपनी, कृते राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजी. सं0 011863 एन

ललिता रानी	डी सी राजु	लाल शंगलूर	रवि कपूर
कोषाध्यक्ष	उपनिदेषक	निदेषक	साझेदार

स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 27.05.2013

अनुबंध–XV

डीजीएएंडसीई के कार्यालय द्वारा वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरों के उत्तर वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट पैरों के उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
	खातों संबंधी टिप्पणी: (i) संस्थान के वार्षिक खाते प्रारूप केंद्रीय स्वायत्त निकायों (गैर–लाभकारी संगठन और सदृष संस्थान) के लिए खातों के अनुरूप नहीं हैं। तुलन–पत्र की अनुसूचियां, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते भी अनुमोदित खाता प्रारूप के अनुसार भी नहीं थे।	**पैरा 1: खातों संबंधी टिप्पणियां** वित्त मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्धारित संस्थान के वार्षिक खाते के नए प्रारूप स्वायत्त निकायों (गैर–लाभकारी संगठन और सदृष संस्थान) 2012–13 से बनाए जा रहे हैं। अतः इस पैरा को समाप्त किया जाए।
1	(ii) वर्ष के दौरान 33.30 रूपए लाख (देनदारियां) और 9.80 लाख रूपए (आस्ति) की राशि को सक्षम प्राधिकारी (प्रशासनिक मंत्रालय) के अनुमोदन के बिना बट्टे खाते में डाल दिया गया था।	इस संबंध में उचित समयावधि में उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
	(iii) वित्तीय विवरणी के संकलन हेतु नोट और निर्देशों (सूची–7) के अनुसार, कर्मचारियों की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता और कर्मचारियों के संचयी अवकाश के नकदीकरण को वास्तविक आधार पर प्रोद्भूत किए जाने की जरुरत होती है और वर्ष के अंत तक प्रदान किया जाता है। लेकिन, संस्थान द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया।	कार्यकारी निकाय (महा परिषद) द्वारा ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारियों हेतु प्रावधान का कोई निर्ण नहीं लिया गया है।
	(iv) वर्ष 2011–12 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 6.25 करोड रु0 (योजना 5.00 करोड रु0 और गैर– योजना 1.25 करोड रु0.) प्रदान किए गए लेकिन प्राप्तियों और भुगतान के साथ ही आय और व्यय खाते में योजना और गैर–योजना अनुदान को पृथक नहीं दर्शाया गया।	2012–13 से संस्थान के वार्षिक खातों को ऐसा वर्गीकरण किया जा रहा है। इस पैरा को हटाया जाए।
	(v) 1983–84 से 2003–04 अवधि के दौरान बकाया अग्रिम (69 लाख रु.) और रिकार्ड के अनुसार (71 लाख रु.) के आंकडे में 2.00 लाख रु. का अंतर था जिसका समाशोधन किया जाना है।	71 लाख रु.की राषि को चार्टेड लेखाकार द्वारा गलती से दर्शाया गया है। वस्तुतः इस अवधि के दौरान बकाया अग्रिम केवल 69 लाख रु. ही था। अतः इस पैरा को हटा दिया जाए।
	(vi) आय से 769527 लाख रु. अधिक व्यय, को व्यय की ओर गलती से (–) चिह्न से दर्षाया गया है।	आय और व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे धनात्मक राशि के तौर पर दूसरी ओर दर्शाया जाएगा। इस पैरा को हटा दिया जाए।
	(vii) 2010–11 और 2011–12 के खातों में अंतर था।	यह अन्तर लिपिकीय त्रुटि के कारण है इस अन्तर को समाप्त कर दिया जाएगा और अगले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में सही–सही दर्शाया जाएगा। पैरा का निपटान किया जाए।
	(viii) पिछले वर्ष के आंकड़े अर्थात अनुसूची–ग,घ और छ के संबध में 2010–11 के आंकड़े जैसाकि तुलन– पत्र में दर्शाया गया है लेखाओं के साथ जोड़ी गई अनुसूची से मेल नहीं खाते हैं।	

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
	(ix) वार्षिक लेखा परिसम्पति रजिस्टर के बीच अन्तर–कमप्यूटर, फर्नीचर और स्थित वस्तुएं, कार्यालयी उपकरण, सॉफ्टवेयर	यह अन्तर कुछ लिपिकीय त्रिटि के कारण था। इस अन्तर को समाप्त कर दिया जाएगा और 2010–11 की अंतिम वार्षिक रिपोर्ट में सही–सही दर्शाया जाएगा।
	(x) वार्षिक लेखा और नियत परिसम्पति रजिस्टर के बीच अन्तर अव्ययित शेष	पैरा में उल्लिखित अन्तर का समाधान कर लिया गया है। स पैरा को छोड़ दिया जाए। वार्षिक लेखा और नियत परिसम्पति रजिस्टर के बीच अन्तर का आशोधन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
	संगठन/सहयोगी एजेंसियों को दिए गए 5.04 करोड़ रुपए के अग्रिम समायोजन न किया जाना। सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनआईएसडी संगठनोंध्सहयोगी एजेंसियों को अग्रिम के रूप में संभावित व्यय की 80 प्रतिशत राशि जारी करता है और शेष राशि मेमिनार पाठ्यक्रम पूरा होने पर जारी की जाती है तथा उनमें लेखा प्राप्त किया जाता है। अग्रिम की शर्तों और निबंधनों के अनुसार संस्थाओं को निम्नलिखत प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है (i) कार्यक्रम अनुसूची की एक प्रति, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट कार्यक्रम पूरा होने के 10 दिन के भीतर कार्यक्रम का मूल्यांकन रिपोर्ट (पप) स्वीकृति आदेश के अनुसार शीर्खवार लेखाओंधकिए गए व्यय का ब्योरा कार्यक्रम पूरा होने की तारीख के एक माह के भीतर मूल रूप में सभी वाऊचर इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य है कि अव्यमित शेष, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के एक माह के भीतर लेखाओं के साथ–साथ अव्यमित शेष भी भेजा जाए, ऐसा न करने पर समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर अव्यमित शेष पर ब्याज लगाया जाएगा। पिछले वर्ष गई अग्रिम राशि का समायोजन चालू वर्ष में किया जाना चाहिए। रिकॉर्डों की जांच करने से पता चलता है कि विभिन्न संगठनों के नाम पर 5.04 करोड़ रुपए बकाया था और 27.08.2013 की स्थिति के अनुसार कोई वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 2003–04 के पहले की अवधि का बकाया अग्रिम के संबंध में कोई रिकार्ड रजिस्टर संस्थान में उपलब्ध नहीं था। जिनके अभाव में 1983–84 से 2003–4 की अवधि से संबंधित सम्बद्ध एजेंसियों से 71 लाख रुपए की अग्रिम बकाया राशि की वसूली करना संभव नहीं है। ठोस कदम के अभाव में बकाया अग्रिम की राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। यह संस्थान के वित्तीय प्रबंधन की विफलता है। पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया जाने के बावजूद बकाया अग्रिम के समायोजन के लिए एनआईएसडी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेखापरीक्षा की दृष्टि में एनआईएसडी को बकाया अग्रिमों के समायोजन के लिए तत्काल कार्रवाई करनी है और इसकी सूचना लेखापरीक्षा को देनी है, तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि और अग्रिम का समायोजन न करने के कारण मांगे गए हैं, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।	**पैरा 2** राष्ट्रीय सामाजीक सुरक्षा संस्थान अपने परिसर में केन्द्रीयध्राज्य सरकारों के विभागों, यूनिवर्सिटियों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते आ रहा है में प्रशिक्षण कार्यक्रम वृद्ध व्यक्तियों की देख–भाल नशीली दवाईयों का दुरूपयोग रोधी तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर होते है, और यह सतत आधार पर संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। चूंकि इसके विषय सार्वजनिक कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण हैं सभी सहयोगी भागीदारों से हमारे संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाता है, ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों/कार्मिकों तक पहुंचा जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि हम सहयोगी एजेंसियों को अग्रिम जारी करते है जिसके लिए वे किए गए व्यय के बिलोंध्वाऊचरों के साथ कार्यक्रमों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद समयबद्ध तरीके से अग्रिमों के लेखाओं का निपटान करने में हमने सभी प्रयास किए फिर कुछ लेखाओं का निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित एजेंसियों द्वारा इन्हें समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया या जनशक्रि की कमी के कारण उनपर कार्य नहीं किया जा सका। अग्रिमों के समायोजन का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा 2002–2004 की लेखापरी 7 रिपोर्ट से लिए गए है, जिसमें उस अवधि के लिए 3.65 करोड़ रुपए समायोजित दर्शाया गया है। जिसमें से आज की तारीख में 0.71 करोड़ रुपए का समायोजन नहीं किया गया है। वसूली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय–समय पर ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
		तथापि, यह दोहराया जाता है कि प्रशिक्षण क्रियाकलाप लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और पहले आयोजित किए गए कार्यक्रमों का लेखा का निपटान चालू वर्ष के कार्यक्रमों के साथ किया जाना है। समय पर संस्थान के सहयोगियों के बकाया अग्रिमों का समायोजन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
3	319.008 लाख रु0 की सहायता अनुदान राशि का उपयोग न होना राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक नोडल संस्थान है। हालांकि, समाज रक्षा के तहत समाज की सुरक्षा के कार्यकलापों और कार्यक्रमों के सभी पहलु आते हैं, संस्थान को मुख्यतः मादक द्रव्यों के दुरूपयोग की रोकथाम, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और समाज रक्षा संबंधी अन्य मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का कार्य सौंपा गया है। रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी पदाधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और सुग्राही कार्यक्रमों के अयोजन के लिए संस्थान को वित्त वर्ष 2011–12 में 625.00 लाख रु0 की अनुदान सहायता जारी की। 1076.35 लाख रु0 (625.00 लाख रु0 और पूर्व वर्ष की 450.85 लाख रु0 की खर्च न की गई राशि) में से संस्थान इस प्रयोजन के लिए केवल 319.00 लाख रु0 का प्रयोग कर सका जिससे 449.08 लाख रु0 शेष रह जाते हैं जो संस्थान द्वारा कुल अनुदान, उपयोग न किए गए अनुदान का 30.00 प्रतिशत है।यह अवास्तविक बजट प्रबंधन के साथ ही खराब प्रदर्शन का भी संकेतक है। अनुदान के उपयोग में न लाए जाने की वजह से बहुत से लाभार्थियों को कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित नहीं किया जा सका। पिछली रिपोर्टों में भी यह बताया गया था लेकिन इस संबंध में कुछ ठोस नहीं किया जा सका।	**पैरा 3** यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि सरकारी विभागों से ऐसे सहयोग के लिए उनकी टिप्पणी मंगाई जाती हैं और इसके बाद ही उन्हें अग्रिम जारी किया जाता है। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी विभागों के साथ साथ अन्य साझेदारों ने कार्य योजना, 2011–12 में यथा अनुमोदित, समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सके व 319.00 लाख रू. का शेष बचा रहा। तथापि इस राषि को उपयोग के लिए अगले वर्ष के जीआईए के लिए जोड़ा गया है। इसके अलावा, कुछ सरकी विभाग/ और संगठन की वजह से उनके पूर्व व्यवसायों के लिए हमारे कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्थिति में नहीं थे। लक्ष्यों को नियंत्रण से परे विभिन्न कारणों की वजह से हासिल नहीं किया जा सका जो निम्नानुसार हैं: i) संस्थान वार्षिक कार्य योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अक्टूबर, 2011 में मंजूरी दे दी गई थी। इसलिए, संस्थान कार्य योजना के अनुमोदन में देरी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों के संचालन के लिए कम समय के कारण हुई। ii) सरकारी विभागों से सहयोग एजेंसियों/ क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रस्तावों का समय पर प्राप्त न होने और अधूरी प्रषिक्षण कार्यक्रम प्रतिक्रियाओं और प्रतिभागियों को स्थान, तिथि और सूची की अधूरी जानकारी के कारण विलंब हुआ।। iii) विभिन्न हितधारकों जैसे आरआरटीसी और गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठयक्रमों की संख्या में कमी। उपयुक्त प्संख्या में/षिक्षण कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त न होना। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस पैरा को हटाया जाए।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
4	**वार्षिक रिपोर्टों के मुद्रण में रु0 9.63 लाख का वर्जनी व्यय** एनआईएसडी संसद पटल पर रखे जाने और मंत्रालय व अन्य संगठनों में वितरण के लिए वार्षिक रिपोर्टों का मुद्रण कराता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनआईएसडी ने वार्षिक रिपोर्टों के संबंध में कभी कोई रजिस्टर नहीं बनाया बल्कि उन्होंने 2004–05 से वार्षिक रिपोर्टों की स्टॉक कभी बनाकर नहीं रखा। यह पता चला कि एनआईएसडी के पास रु0 9.63 लाख मूल्य की 2010–11 की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां बेकार पडी हैं। एनआईएसडी द्वारा मुहैया कराए गए ब्यौरे से यह पता चलता है कि यह नोटिस किया गया कि 2007–08 और 2008–09 वार्षिक रिपोर्टों की क्रमषः 600 और 620 प्रतियां और 2007–08 व 2008–9 के लिए क्रमषः 350 व 380 प्रतियां वितरित की गई हैं। तथापि, वर्तमान लेखापरीक्षा से पता ख्ला कि 2007–08 और 2008–09 के लिए क्रमशः 600 एवं 500 प्रतियां वितरित की गई थी और क्रमशः 60 व 70 प्रतियां स्टॉक में थीं। जबकि, यह शेष 2007–08 और 2008–09 के लिए क्रमशः 410 एवं 450 होना चाहिए। इस प्रकार, स्टॉक में पड़ी वार्षिक रिपोर्टों की कुल कीमत 1,31,059 रू. थी। यह देखा गया कि एनआईएसडी ने 2004–05 से 2010–11 संबंधी वितरित वार्षिक रिपोर्टों के शेष को कम किया गया है जिन्हें प्रासंगिक रिकॉर्डों के साथ–साथ यह 2004–05 से 2019–10 के दौरान पुरानी वार्षिक रिपोर्टें वितरित की गई थी और 2010–11 और 2011–12 अवधि के लिए एनआईएसडी द्वारा मुहैया कराए गए ब्यौरे के बीच उपरोक्त अंतर के कारण पूछे गए थे लेकिन ये लेखापरीक्षा को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।	**पैरा 4** मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों की संख्या 2010–11 में कम कर दी गई हैं। वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों की संख्या 4000 (2004–05 में मुद्रित) से घटकर वर्ष 2010–11 में 604 प्रतियां (302 अंग्रेजी व 302 हिन्दी) कर दी गई है। संस्थान ने इसके अलावा, प्रदर्शनियों के दौरान विभिन्न हितधारकों को भी वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां वितरित की, और कुछ प्रतियां पुस्तकालय के स्टॉक में भी रखी गई हैं। संस्थान ने विगत वर्ष से वार्षिक रिपोर्ट के मुद्रण में काफी कमी कर दी है और इस वर्ष केवल 100 प्रतियां (हिंदी और अंग्रेजी, प्रत्येक में) ही मुद्रित कराई हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां के वितरण को देखते हुए, स्टॉक में कोई रिपोर्ट नहीं है और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों के मुद्रण में कमी आई है। इसलिए, उक्त लेखा परीक्षा पैरा गिरा दिया जाए।
5	**बकाया देयों– 70.07 लाख रू. का सत्यापन न किया जाना** 31 मार्च, 2012 के तुलन–पत्र से पता चला कि 70.07 लाख रु0 की राशि को तुलन–पत्र की देनदारियों की ओर पूंजी खाता शीर्ष के तहत 1983 से 2003 के दौरान सहायक एजेंसियों को अग्रिम' के रुप में दर्शाया गया है। इन देनदारियों का संबंध 1983–84 से 2003–04 से है। संस्थान के पास इसका ब्यौरा नहीं है कि इस राशि का किस–किसको भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, संस्थान द्वारा इन देनदारियों के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। इस विवरण/ रिकार्ड के अभाव में, खाते में दर्शाए गए आंकडों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता। रु0 70.07 लाख के लिए तथ्यों और आंकडों और समायोजन न किए जाने के कारणों की पुष्टि आवश्यक थी लेकिन उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इन बकाया देनदारियों का नकदीकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।	**पैरा 5** यहाँ कहा जा सकता है कि आग लगने की दो प्रमुख घटनाएं वर्ष 2004 और उसके बाद 2008 के दौरान हुई हैं जिनमें कुछ रिकॉर्ड जल गए और कुछ खो गए हैं। उल्लिखित कारणों से, लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका। इस बकाया असमायोजित अग्रिम को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
6	एनआईएसडी के अधिकारियों को 32.50 लाख रू. की असमायोजित अग्रिम राशि जी एफ आर के नियम 292(1) के अनुसार, कार्यालय प्रमुख, सरकारी सेवक को किसी सामान या सेवा की खरीद अथवा कार्यालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक विशेष उद्देश्य से अग्रिम की स्वीकृति दे सकता है, बशर्ते (i)अग्रिम की राशि उस उद्देश्य के लिए कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त शक्तियों से अधिक नहीं है, (ii)कार्यालय प्रमुख अग्रिम तय समय पर समायोजन किए जाने हेतु उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही, नियम 292(2) में प्रावधान है कि सरकारी सेवक को अग्रिम की निकासी कराने से 15 दिनों के भीतर समायोजन, बिल बकाया राशि सहित, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अग्रिम की बकाया राशि उसके अगले वेतन(नों) से वसूली जाएगी । कुछ कर्मचारियों के समक्ष दर्शाए गए अग्रिमों का संबंध 2010–11 से पूर्व अवधि से है जैसा वर्ष 2010–11 के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है। क्रमांक 1 से 9 के संबंध में बकाया अग्रिम का वर्षवार और दिनांक वार विवरण संस्थान के पास नहीं है। अग्रिमों के समायोजन न किए जाने के कारण मांगे गए लेकिन अभी उत्तर नहीं मिला है। जोर दिया जाता है कि लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए इन अग्रिमों का समायोजन किया जाए। वार्षिक खातों की संवीक्षा से पता चला कि अधिकारियों को बकाया के रूप में 32.50 लाख रू. की राशि का भुगतान किया गया है।	**पैरा 6** सुश्री पूनम रानी, अनुसंधान अधिकारी को छोड़कर सभी असमायोजित अग्रिमों का समाशोधन कर लिया गया है। सुश्री पूनम रानी के खिलाफ 5 लाख रू. के अग्रिम का समायोजन किया जाना लंबित है। निर्णय लिया गया है कि सुश्री पूनम रानी के खिलाफ लंबित अग्रिम की उनके मासिक वेतन से कटौती की जाएगी। अतः इस पैरा को हटा दिया जाए।
7	**अग्रिमों को अनियमित रूप में बट्टे खाते में डालना।** जीएफआर के नियम 33 (5) के अनुसार, किसी नुकसान की राषि की वसूली या उसे बट्टे खाते में डालना केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए। रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि एनआईएसडी ने 9,80,007/– रू. आहरण और 33,29,735/– रू. जमा की राषि को बट्टे खाते में डाला था। तथापि, यह देखा गया कि कर्मचारियों और कुछ अन्य एजेंसियों से 9.80 लाख (तालिका–1) की राशि वसूली योग्य है लेकिन 33.30 लाख रू. में से 15.668 लाख रू. (तालिका–प्प) की राशि स्टाफ को देय थी। इसके मद्देनजर, लेखापरीक्षा में यह नहीं समझा जा सका कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने उस राषि को किस प्रकार बट्टे खाते में डाला जो स्टाफ से वसूली योग्य और देय थी। एनआईएसडी को भारत वसूली योग्य अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के बजाय अन्यों के साथ साथ अपने कर्मचारियों से सरकार द्वारा विनिर्धारित दरों के अनुसार 9.80 लाख रू. का अग्रिम ब्याज सहित वसूल करना चाहिए। इसी प्रकार, 15.68 रू. की राषि के मामले में, एनआईएसडी के कर्मचारियों से, जैसा तालिका–II में दर्शाया गया है, संबंधित राषि को वापस करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इन अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था। इस संबंध में टिप्पणी मांगी गई थी लेकिन उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए आवष्यक कार्रवाई की जाए।	**पैरा 7:–** अग्रिमों को अनियमित रूप में बट्टे खाते में डालना। यह राषि गलती से पिछले चार्टेड एकाउंटेट द्वारा आगे लाई गई थी लेकिन रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार इसे समायोजित कर लिया गया है। पाया गया कि इसका पूर्व वर्षों में काई हिसाब नहीं है, जिसे परिवर्ती वर्षों में अनावष्यक तौर पर आगे लाया गया। अतः इसे हटा दिया जाए।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
8	**धन का अनधिकृत प्रतिधारण** विभिन्न सहयोगी एजेंसियों और आरआरटीसी को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए दिए गए अग्रिमों संबंधी नियमों व शर्तों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रषिक्षण समाप्त होने के एक माह के भीतर खाते सहित खर्च न किया गया शेष भेजना होता है। ऐसा न करने पर खर्च न की गई राशि पर समय–समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा। रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला है कि वर्ष 2011–12 के दौरान अग्रिम की खर्च न की गई शेष राशि की वापसी के खाते पर 23,80,967/– रूपये की राशि प्राप्त हुई है और नकद/चैक जमा रजिस्टर में प्रविष्ट की गई हैं, जिसमें खर्च न की गई राशि जमा करने में 104 से 1778 दिनों का विलंब हुआ है (अनुबंध –I)। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि अभय मिशन और कलकता स्मारिटन को 1,08,880/– रूपये की राशि (80000 +28800) दी गई थी लेकिन यही राषि 257 और 322 दिनों के बाद वापस की गई थी लेकिन संबंधित संगठनों से कोई शास्ति ब्याज नहीं लगाया गया था। मामले को संस्थान में भेजा गया था लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए अब, विनिर्धारित प्रावधान का अनुपालन किया जाए।	**पैरा 8** अग्रिमों की खर्च न की गई शेष राशियों को समय से जमा कराया जा रहा है। अतः इस पैरा को हटा लिया जाए।
9	**समायोजन में विलंब** विभिन्न सहयोगी एजेंसियों और आरआरटीसी को दिए गए अग्रिमों के संबंध में नियम और स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के एक माह के भीतर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खाते सहित खर्च न की गई राषि भेजी जानी जरूरी होती है। ऐसा न करने पर खर्च न की गई राषि पर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जाएगा। प्रशिक्षण अग्रिमों के रजिस्टरों की जांच से पता चला कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा दिए गए अग्रिम के समायोजन में 1108 दिनों की देरी की गई थी। इसका ब्यौरा अनुबंध II पर दिया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया था कि कुछ अधिकारियों ने, जो राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कार्य कर रहे थे, अग्रिमों का आहरण किया किंतु विनिर्धारित समय सीमा के भीतर समायोजन बिल जमा नहीं किया। यहां तक कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा अग्रिम रजिस्टर का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा। इसके परिणामतः, संस्थान ने एजेंसियों द्वारा समायोजित सही राषि के साथ–साथ खर्च न किए गए वापस शेष के बारे में पता नहीं चल पाया। मामले को संस्थान के पास भेजा गया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला था।	**पैरा 9** पैरा 2 और 8 का दिया गया उत्तर देखा जाए। हालांकि, कार्यक्रमों के साथ–साथ कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई अग्रिम के आयोजन के लिए सहयोगी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रमों के योजना के लिए अग्रिम रजिस्टर का ठीक रख–रखाव किया जा रहा है। व्यक्तिगत अग्रिमों की स्थिति ऊपर पैरा 2 और पैरा 6 में देखी जा सकती है। इसके द्रष्टिगत, उपरोक्त पैरा को हटा दिया जाए।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
10	**5,52,583/– रूपए का अनियमित व्यय – बिना मंजूरी** मार्च, 2012 के दौरान, वादचरों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कोलकाता में कलकत्ता मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट ऑफ जिरोंटॉलोजी (सीएमआईजी) के सहयोग से बुजुर्गों की देखभाल में बुनियादी मुद्दों एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जो 31 मार्च से 29 अप्रैल, 2011 को आयोजित किया गया था, पर 5,52,583/– रूपए की राशि खर्च की गई थी। तथापि, यह देखा गया है कि इस मामले में उपरोक्त खर्च की स्वीकृति 17 फरवरी, 2012 को जारी की गई थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कथित कार्यक्रम के लिए 5,52,583/– रूपए की तुलना में 7,09,622/– रूपए की राशि जारी की गई थी। इसे स्पष्ट करना जरूरी है। इस संबंध में टिप्पणियां मांगी गई थी किंतु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	**पैरा –10** इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएमआईजी को वित्त वर्ष 2010–11 के लिए बुजुर्गों की देखभाल में बुनियादी मुद्दों एक माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जो 31 मार्च से 29 अप्रैल, 2011 को आयोजित किया गया था, की मंजूरी दी गई थी। लेकिन उस समय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी थी। सीएमआईजी द्वारा खाते प्रस्तुत किए जाने के बाद ईसी से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया था और चुकौती के लिए वास्तविक हुआ व्यय अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, 5,52,583/– रूपए के भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, 5,52,583/– रूपए की तुलना में 7,09,622/– रूपए की राशि जारी नहीं की गई थी। 7,09,622/– रूपए की राशि में निम्नलिखित स्वीकृतियां शामिल हैं: 1) 5,52,583/ – रुपये 2) 27,593/ –रुपये 3) 26,446/ – रुपये 4) 1,03,000/ – रुपये हालांकि, बैंक के कमीशन को बचाने के लिए, समेकित राषि का मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस पैरा को हटा दिया जाए।
11	**अग्रिम के नियमों व शर्तों का उल्लंघन** फाइल सं. 40/17/2010–आरएंडडी की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि संस्थान ने ''वृद्धावस्था की चुनौतियां और ग्रामीण राजस्थान में इसकी देखभाल'' नामक परियोजना के लिए सोसायटी फोर एंपावरमेंट एण्ड एडवोकेसी (एनजीओ) को 4,98,500/– रूपये की राषि संस्थान को स्वीकृत की थी। इस परियोजना की अवधि 12 माह की थी। परियोजना को 16/12/2011 को इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि संस्थान अनुसंधान दिषा–निर्देषों के पैरा 2.11 (iii) में दिए गए नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, जिसमें असफल रहने पर संस्थान को अभी तक परियोजना के लिए राषि जारी करने के लिए चैक/बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण की तारीख से इस पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा, जब परियोजना पूरी हो जाती है, संस्थान/संगठन परियोजना रिपोर्ट और खातों का व्यवस्थापन पेष करेगा।	**पैरा –11** सोसायटी फोर एंपावरमेंट एण्ड एडवोकेसी ने ''वृद्धावस्था की चुनौतियां और ग्रामीण राजस्थान में इसकी देखभाल'' अनुसंधान परियोजना की। अध्ययन रिपोर्ट 15 सितंबर, 2013 को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, एजेंसी ने बताया कि विलंब व्यावहारिक आंकडों में संग्रह में उनको पेष आ रही कठिनाई के कारण हुआ जिसे अध्ययन के लिए अनिवार्य माना गया था। अनुसंधान परियोजना में अन्य बातों के साथ–साथ नमूना डिजाइन, डाटा सारणीकरण, मास्टर शीट प्रस्तुत करने, प्रतिशत विष्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के अनुसार उत्तरदाताओं

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
	हालांकि, यह पाया गया कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने 19/01/2012 और 19/06/2012 को प्रत्येक 1,99,400/– रूपए की दो किस्तों में 1,99,400/– रूपए प्रदान किए गए। लेकिन आठ माह की अध्ययन अवधि पूरी होने पर भी, गैर सरकारी संगठन द्वारा मुहैया कराई गई कतिपय अनुसंधान रिपोर्टें, प्रगति रिपोर्टें और अन्य व्यवस्थापन खाते प्रदान नहीं कराए गए थे। हालांकि एनआईएसडी ने रिपोर्ट प्रदान करने के लिए दिनांक 05/03/2013, 03/05/2013 और 05/07/2013 को पत्र जारी किए है लेकिन एनआईएसडी में अभी तक गैर सरकारी संगठनों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा का अभिमत है कि संस्थान ने वित्तीय सहायता के नियमों व शर्तो। के उल्लंघन के लिए हित के साथ–साथ अग्रिम की वसूली के लिए गैर सरकारी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संस्थान को कानूनी कार्रवाई अर्थात ब्लैक लिस्टिंग के बाद इन दोषी गैर सरकारी संगठनों/संगठनों के खिलाफ अग्रिमों के नियमों व शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले को संस्थान को भेजा गया था लेकिन अभी उत्तर नहीं मिला है।	के कार्य की पहचान करना शामिल है। इस रिपोर्ट से ग्रामीण राजस्थान में वृद्ध जनों की वास्तविक स्थिति का पता चला। यह एनआईएसडी और मंत्रालय के लिए, वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्र में उपयुक्त नीतिगत निर्णय लेने में काफी उपयोगी होगा। हालांकि, भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट कर लिया गया है और तदनुसार, सभी गैर सरकारी संगठनों को कठोर निर्देष दिया जाएगा कि समय–सीमा के भीतर यह रिपोर्ट पेश करें। पैरा को हटा दिया जाए।
12	**बचत बैंक खाते का रख रखा न करने के कारण 12.43 लाख रूपये के ब्याज की हानि** भारत भारत/ भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेष जारी किए थे कि सभी स्वायत्त निकायों को अपनी निधियां बचत बैंक खाते में रखनी चाहिएं और स्वायत्त निकायों के बचत खाता धारकों को चाले खाते की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। रिकॉर्डों की जांच से पता चला कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का सिंडीकेट बैंक में चालू खाता है। संस्थान को बचत बैंक खाते का संचालन न करने के कारण 12.43 लाख रूपये के ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा। यदि संस्थान ने अपनी निधियां बचत बैंक खाते में रखी होतीं तो इस हानि से बचा जा सकता था। लेखापरीक्षा का अभिमत है कि संस्थान को ब्याज हासिल करने के लिए वर्तमान चालू खाते को तत्काल बचत बैंक खाते में अंतरित कर लेना चाहिए। संस्थान को लेखापरीक्षा के लिए चालू खाता खोलने संबंध स्पष्टीकरण भी स्पष्ट करना होगा।	**पैरा 12** अब, संस्थान ने बचत बैंक खाता खोल लिया है। अतः, इस पैरा को हटा लिया जाए।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
13	जीपीएफ/सीपीएफ नियमों के अनुसार, जीपीएफ अंषदान, अंषदाता की परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होना चाहिए और सीपीएफ के मामले में, अंषदान परिलब्धियों के 105 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। रिकॉर्डों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एनआईएसडी के नौ अधिकारियों/कर्मचारियों को जीपीएफ/सीपीएफ, सीजीईजीआईएस, सीजीएचएस आदि के लिए कटौती किए बिना वेतन का भुगतान किया जा रहा था, जो गंभीर अनियमितता और सरकारी नियमों के खिलाफ है। लेखापरीक्षा में संस्थान से उस प्रावधान या सरकारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए कहा गया जिसके तहत कटौतियां नहीं की गईं। लेकिन संस्थान द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। यह सुझाव दिया जाता है कि एनपीएस के लिए 10 प्रतिशत की दर से और सीजीईजीआईएस, सीजीएचएस की कटौतियां सरकारी नियमों के तहत विनिर्धारित दर से की जाएं। प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन लिया जाए और लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए कटौतियां की जाएं।	**पैरा –13** मामले का ईसी बैठक के लिए कार्यसूची मद के रूप में प्रस्तावित किया है। ईसी द्वारा अनुमोदन के परिणामतः, एनआईएसडी के उन सभी कर्मचारियों को ये लाभ दिए जा रहे हें, जो 1.1.2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। संस्थान को 15 जुलाई, 2002 को स्वायत्तता का दर्जा मिला। स्वायत्ता से पूर्व जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें जीपीएफ/सीजीईजीआईएस/सीजीएचएस के फायदे दिए गए हैं। जो कर्मचारी स्वायत्ता के बाद सेवा में आए हैं, वे नई पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं। इस मामले को एनएसडीएल के साथ उठाया गया। एनआईएसडी सितंबर, 2014 से नई पेंशन स्कीम के लिए प्रत्येक माह कर्मचारियों के वेतन से पेंषन अंषदा घटाने लगा है।
14	**संस्थान द्वारा टीडीएस की वसूली न होना** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194– सी के प्रावधान के अनुसार, संविदाकारों और उप– संविदाकारों को रु0 30,000 से अधिक के भुगतान के सभी मामलों में 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर कटौती करनी अपेक्षित होती है। रिकार्ड से पता चला कि टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी। दिनांक 09.09.2013 के हाफ मार्जिन सं. 5 के द्वारा 69,939/– रू. के टीडीएस की वसूली न किए जाने के कारण पूछे गए थे लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए संस्थान द्वारा 69,939/– रू. के टीडीएस की वसूली की जाए।	**पैरा–14** संस्थान द्वारा टीडीएस की वसूली की जा रही है। पार्टियों से बकाया कर राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
15	आयकर के संबंध में 2.13 लाख रूपए की घटोत्तरी करने में अनियमितताएं (I) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, यह आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य है कि वह सरकारी सेवक की बच अर्थात पीपीएफ, एलआईसी, एनएससी, एनएसएस और आवास किराया भत्ते आदि संबंधी प्रमाण प्राप्त एवं सत्यापित करे जो आयकर में कमी/राहत का दावा करता है। आयकर में कमी के रिकॉर्डों की संवीक्षा से ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें दावा की गई कमी(यों) के अपेक्षित प्रमाण आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्राप्त और सत्यापित नहीं किए गए थे। ऐसे सभी मामलों की संवीक्षा की जाए और संबंधित कर्मचारियों से घटोत्तरी का प्रमाण लिया जाए और लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए आवषयक कार्रवाई की जाए। **फार्म–16 ठीक से तैयार न करना** इसके अलावा, यह भी देखा गया कि सभी फार्म–16 गलत प्रपत्र में बनाए गए हैं और आयकर अधिनियम की धारा 203 के अनुसार आय, छूट, बचत आदि दर्षाने के लिए कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था, जिससे फार्म 16 आयकर आकलन के प्रयोजन के लिए बेकार हो गया।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया, पैरा को हटा दिया जाए। भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया, पैरा को हटा दिया जाए। लेखापरीक्षा निरीक्षण द्वारा दिए गए सुझाव का पालन किया जा रहा है। पैरा को हटा दिया जाए। अनुपालन और आवषयक कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा	उत्तर
	(III) आयकर के प्रयोजन के लिए सकल वेतन में मानदेय को शामिल न करना। वर्ष 2011–12 के दौरान अधिकारियों/कार्मिकों को 1.15 लाख रूपए के मानदेय के भुगतान को वेतन बिल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था और इसे आयकर के प्रयोजनार्थ सकल वेतन में शामिल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा टीडीएस नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उसके द्वारा संवितरित वेतनों में से स्रोत से मासिक किस्तों में आयकर की कटौती करनी चाहिए और अंतिम समायोजन मार्च के अंत से पूर्व माह में देय अंतिम वेतन से की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, नियोक्ता को ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां अतिरिक्त आय, जैसे ''आवास संपत्ति से आय'' को हिसाब में रखने की अनुमति हो, ''वेतन'' के तहत आय पर ही विचार करना होता है। रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संवितरित वेतनों से स्रोत से मासिक किस्तों में आयकर की कटौती नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि वेतन बिल में कटौती किए गए कुल कर और फार्म–16 में अंतर थे। मसिक आधार पर स्रोत से आयकर की कटौती न करने और इस अंतर के कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट किए जाएं।	अब सभी कर्मचारियों के लिए टीडीएस की कटौती की जा रही है। तथापि, कुछ मामलों में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक हुई है, और अब से यह सुनिष्चित किया जाएगा और स्टाफ के वेतनों से अपेक्षित वसूली कर ली जाएगी।
16	**आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित न करना।** संस्थान को त्रुटियों, दोहरे भुगतानों और कार्यप्रणाली में अनियमितताओं के बचाव के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावी प्रणाली आवश्यक होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की अधिक प्रभावशीलता से अक्सर प्रशासन में अधिक कुशलता आती है और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग होता है। यह संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, संस्थान के व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि नियमित समयांतरालों पर संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा करे।

क्र. सं.	वर्ष	वास्तविक व्यय लाख में
1	2009–10	765
2	2010–11	519
3	2011–12	778

इतना अधिक व्यय किए जाने के बावजूद, मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा लेन–देन के रख–रखाव और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों –विनियमों का उपयुक्त पालन किए जाने के लिए 1998 से संस्थान की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की है।

लेखापरीक्षा का अभिमत है कि आंतरिक लेखापरीक्षा आवषयक है क्योंकि इसे कमकर नहीं आंका जा सकता/ इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को लेखापरीक्षा की सूचना देते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए आवष्यक कार्रवाई करनी चाहिए!